शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

वार्षिक अहेवाल 2011-12

आरटीई - एसएसए : एनपीईजीईएल - केजीबीवी

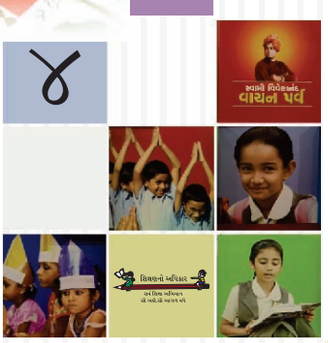

गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद
सर्व शिक्षा अभियान
सेक्टर -17, गांधीनगर, गुजरात
टोल फ्री नंबर - 1800-233-7965

प्रस्तावना

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार; प्राथमिक शिक्षा के सार्वत्रिकरण की परिकल्पना की गई है। सर्व शिक्षा अभियान गुणवत्ता शिक्षा और बुनियादी स्तर पर इक्विटी भागीदारी पर केंद्रित है। सभी गतिविधियों और पहल के परिणामस्वरूप नामांकन मे वृद्धि, छात्र की अवधारण और गुणवत्तायुक्त शिक्षा की सीखने-सीखाने की प्रक्रिया मे सुधार हुआ है ।

नई पाठ्यपुस्तकों, पाठ्यक्रम की समीक्षा करने और नए शिक्षणशास्त्र के प्रति शिक्षकों का उन्मुखीकरण जो मोटे तौर पर किया गया है, बाल केंद्रित, गतिविधि आधारित और खुशहाल सीखने के विकास के मामले में ठोस कदम उठाए गए हैं। विभिन्न विषय क्षेत्रों और शैक्षणिक प्रथाओं में शिक्षकों की दक्षताओं, ज्ञान और कौशल को बढ़ाने का प्रयास करने के लिए बना रहे हैं। स्कूल और सामुदायिक प्रशिक्षण के दौरान अपने विकास के स्वामित्व के लिए एसएमसी सदस्यों को प्रशिक्षित और उन्मुख किया गया है।

जैसा कि आरटीई अधिनियम -2009 के तीसरे वर्ष के लिए कदम लेते हुए हम महसूस करते हैं कि विभिन्न गतिविधियों की गति को त्वरित किया गया है। हमने परियोजना के कार्यान्वयन के सभी स्तरों पर बेहद प्रेरित वातावरण का निर्माण किया है। टीम मे विश्वास बहुत अधिक है और कार्यान्वयन मिशनरी उत्साह के साथ किया जा रहा है। गुजरात सार्वत्रिक नामांकन के करीब है और इसलिए सार्वत्रिक प्रतिधारण, नियमित उपस्थिति और गुणवत्ता, बाल केंद्रित शिक्षा को प्राप्त करने की ओर अपना ध्यान केंद्रित स्थानांतरित कर दिया गया है।

(मनोज अग्रवाल आईएएस)
राज्य परियोजना निर्देशक, सर्व शिक्षा अभियान और
प्राथमिक शिक्षा के आयुक्त और
मध्याह्न भोजन योजना,
गांधीनगर, गुजरात

अनुक्रमणिका

अध्याय 1	गुजरात: राज्य की रूपरेखा	1
अध्याय 2	टीचर्स ट्रेनिंग और एलईपी	7
अध्याय 3	समुदाय का अभिप्रेरण	31
अध्याय 4	बालिका शिक्षा, एनपीईजीईएल और केजीबीवी	37
अध्याय 5	विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम	47
अध्याय 6	विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए संकलित शिक्षा	55
अध्याय 7	मीडिया और दस्तावेज़ीकरण	61
अध्याय 8	प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.)	65
अध्याय 9	आयोजन और प्रबंधन	69
अध्याय 10	स्कूल के बुनियादी ढांचे का विकास	73
अध्याय 11	वित्त और लेखा	81

आर.टी.ई. अधिनियम् 2012 के प्रावधानों के कार्यान्वयन का विवरण

क्रमांक	नियमों का विवरण	की गई कार्रवाई	लागू कार्यालय / एजेंसी
1	(1) विद्यार्थियों के प्रवेश (2) आयु प्रमाण के दस्तावेज (3) प्रवेश के लिए विस्तारित अवधि		निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा
2	विशेष प्रशिक्षण	स्कूल से वाहर रहेने वाले 6-14 वर्ष के आयुवर्ग के वच्चे जो कभी नामांकित नहीं हुए हैं और वो वच्चे जो प्राथमिक शिक्षा पूरी होने से पहले स्कूल छोड देते हे उन वच्चो की हर साल पहचान की जाती हैं । ऐसे वच्चों के नाम स्कूल के रिकॉर्ड में दर्ज किए जाते है। उन वच्चो को उचित कक्षा मे वास्तविक प्रवेश के समय सक्षम वना वनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण सामग्री विकसित की जाती हे और विशेष रणनीति की योजना वनाई जाती हे।	सर्व शिक्षा अभियान
3	नए प्राथमिक स्कूलों के खुलने और निजी स्कूल का अधिकार संभाल लेना		निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा
4	स्कूलों में नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए	पहले से ही लागू	राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिकरण / स्कूल
5	वच्चों के रिकॉर्ड की स्थानीय प्राधिकारी द्वारा रखरखाव		निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा
6	प्री - स्कूल में दाखिले की प्रक्रिया		राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त प्राधिकारी की पहचान
7	पाठ्यक्रम और पूर्व स्कूल की मूल्यांकन प्रक्रिया		राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त प्राधिकारी की पहचान
8	पूर्वस्कूली (प्री-स्कूल) शिक्षकों का प्रशिक्षण एवं आकलन		राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त प्राधिकारी की पहचान
9	आर्थिक दृष्टि से कमजोर और वंचित समूह से संवंधित वच्चों का विना सहायता प्राप्त (प्राइवेट) स्कूलों मे प्रवेश		निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा द्वारा ऐसे प्रवेश के लिए दिशा - निर्देश जारी
10	स्कूलों मे प्रवेश के लिए न कोई कैपिटेशन फीस के नियमों और न कोई स्क्रीनिग प्रक्रिया का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई.		निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा
11	स्कूलों की मान्यता, स्कूल के अलावा अन्य स्कूल की स्थापना और जीस की मालिकी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा नियंत्रित की जाती हो ।		निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा

क्रमांक	नियमों का विवरण	की गई कार्रवाई	लागू कार्यालय / एजेंसी
12	मान्यता को वापस ले लेना		निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा
13	स्कूल के लिए मानदंड और मानकों		निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा
14	स्कूल व्यवस्थापन समिति की रचना और उसके के कार्य	जी.आर. दिनांकित 22.3.2011 के अंतर्गत हर स्कूल में स्कूल व्यवस्थापन समिति (एसएमसी) की रचना की गई है।	सर्व शिक्षा अभियान
15	स्कूल विकास योजना को तैयार करना	स्कूल विकास योजना हर साल एसएमसी द्वारा तैयार की जाती हैं।	सर्व शिक्षा अभियान
16	न्यूनतम योग्यता हांसिल हो वेसे शिक्षक	पर्याप्त शिक्षक - शिक्षा की सुविधा राज्य में उपलब्ध हैं।	राज्य सरकार
17	शिक्षकों या विद्या सहायक की सेवा का वेतन, भत्ते और शर्ते.		राज्य सरकार
18	शिक्षक या विद्या सहायक के कर्तव्यों		GCERT/निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा
19	स्कूलों द्वारा कीए जानेवाले कर्तव्यों (1) हर वर्ग में उपस्थिति का सुझाव दिया है (2) समय – सारणी (3) रजिस्टर अभिलेखों, और पत्राचार		निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा
20	शिक्षकों या विद्या सहायक के लिए शिकायत निवारण तंत्र		राज्य सरकार द्वारा न्यायाधिकरण का गठन
21	शैक्षणिक प्राधिकारी अंतर्गत शैक्षणिक पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया		जी.सी.इ.आर.टी.
22	पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया		जी.सी.इ.आर.टी.
23	आवधिक प्रशिक्षण और नियमित रूप से मूल्यांकन के लिए तंत्र की व्यवस्था		जी.सी.इ.आर.टी.
24	सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्य क्रमों का आवधिक वाह्य मूल्यांकन		जी.सी.इ.आर.टी.
25	शिक्षा की गुणवत्ता की समय-समय पर आकलन और एक रिपोर्ट का निर्माण		राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्र संगठन या विग स्थापित करने की व्यवस्था।
26	नियमित रूप से मोनिटरीग तंत्र		राज्य सरकार द्वारा सेवापूर्व शिक्षक प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर नियमित नजर रखने के लिए तंत्र स्थापित करने की व्यवस्था।

क्रमांक	नियमों का विवरण	की गई कार्रवाई	लागू कार्यालय / एजेंसी
27	शिक्षक पात्रता के लिए आम कसौटी की शुरूआत	जीआर दिनांकित 27/04/12 और18/01/12 मे आम शिक्षक और सिर शिक्षक की शिक्षक पात्रता कसौटी द्वारा भर्ती का विवरण दिया गया है।	राज्य परीक्षा बोर्ड
28	प्राथमिक शिक्षा के पूरा होने का प्रमाण पत्र / पुरस्कार		निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा
29	राज्य आयोग द्वारा बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए कार्यों का प्रदर्शन	बाल अधिकार अधिनियम, 2005 के संरक्षण के लिए राज्य स्तर पर गुजरात राज्य महिला आयोग, गांधीनगर कार्य कर रहा हैं और दिनांकित 07/04/2011 की अधिसूचना अनुसार महिला एवं बाल विकास विभाग को आवंटित किया गया है ।	राज्य सरकार
30	SCPCR के सामने शिकायतों को प्रस्तुत करने की रीति		गुजरात राज्य महिला आयोग, गांधीनगर
31	राज्य सलाहकार परिषद (State Advisory Council) का संविधान (गठन) और कार्यो		राज्य सरकार

अध्याय - I

गुजरात: राज्य की रूपरेखा

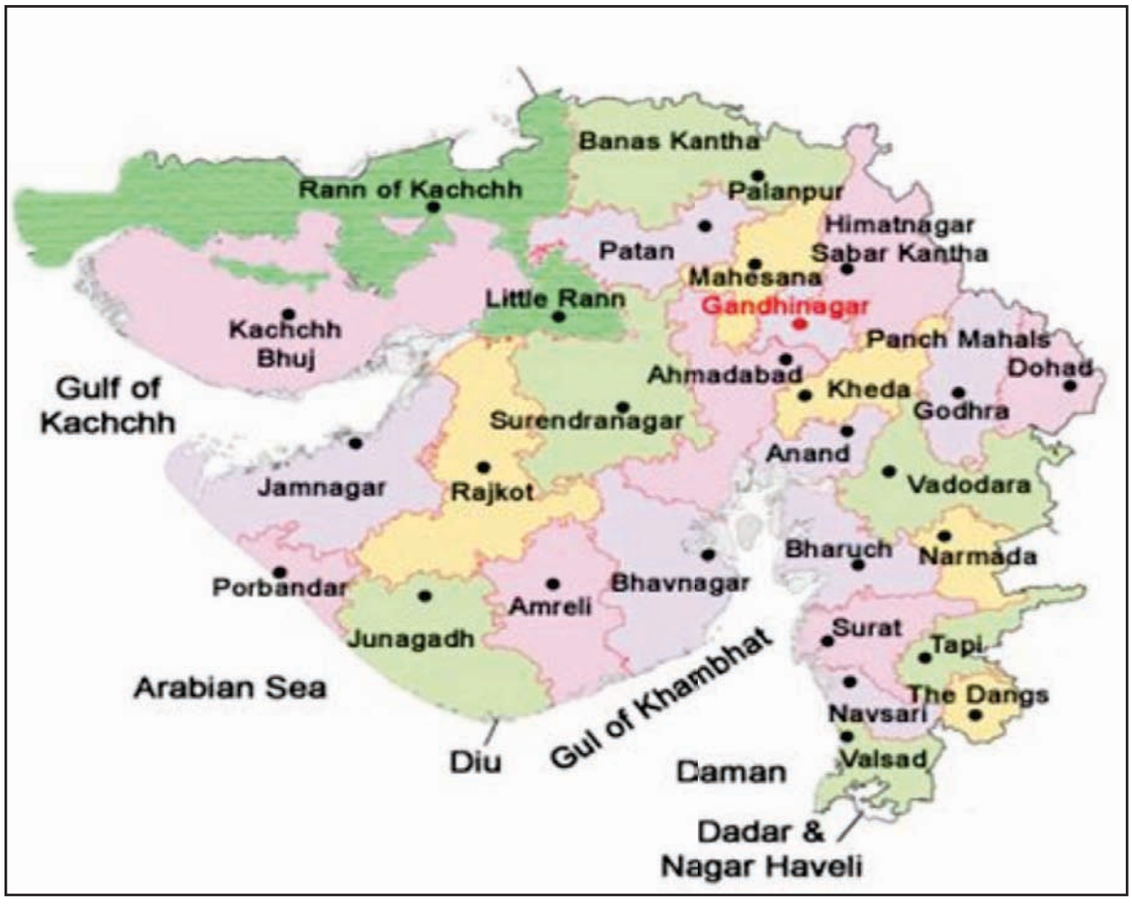

अध्याय - I

गुजरात: राज्य की रूपरेखा

क्षेत्र और जनसंख्या :

गुजरात का क्षेत्रफल 1.96 लाख वर्ग किलोमीटर है । राज्य को 26 जिलों और 228 ब्लॉकों में बांटा गया है । अंतिम 2011 की जनगणना के द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार राज्य की जनसंख्या 6.03 करोड़ है। भारत के कूल क्षेत्रफल मे गुजरात का हिस्सा 6.19 प्रतिशत है।

घनत्व :

गुजरात का जनसंख्या घनत्व 308 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी था । उच्चतम घनत्व सूरत जिले में 1376 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी पाया गया था, जबकि कम से कम घनत्व 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी कच्छ जिले में पाया गया था।

लिंग अनुपात :

वर्ष 2011 मे गुजरात का लिंग अनुपात 934 है। डांग जिले मे उच्चतम 1007 लिंग अनुपात है, जबकि सूरत जिले में कम से कम 788 लिंग अनुपात पाया गया था । राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या मे लिंग अनुपात 925 है, जबकि यह शहरी क्षेत्रों में 911 और ग्रामीण क्षेत्रों में 934 है। राज्य में अनुसूचित जनजाति की आबादी मे लिंग अनुपात 974 है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 926 और ग्रामीण क्षेत्रों में 978 है।

साक्षरता :

राज्य में साक्षरता दर (0-6 साल के आयु वर्ग में बच्चों को छोड़कर) वर्ष 2001 में 69.14 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 79.31 प्रतिशत वृद्धि हुई है। पुरूषों मे यह प्रमाण मे वर्ष 2001 में 79.66 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 87.23 प्रतिशत वृद्धि हुई है, जहां महिलाओं के बीच यह प्रमाण 2001 में 57.86 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 70.73 प्रतिशत वृद्धि हुई है। अहमदाबाद की उच्चतम साक्षरता दर 86.65 प्रतिशत है, जबकि दाहोद में सबसे कम 60.60 प्रतिशत साक्षरता दर है।

शहरीकरण :

2001 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार, जहां भूकंप के कारण जनगणना नहीं हो पाई उन कच्छ, जामनगर और राजकोट, जिले के क्षेत्रों को छोड़कर गुजरात की 37.35 प्रतिशत आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है। शहरीकरण की यह अनुपात वर्ष 1991 में 34.49 प्रतिशत थी। गुजरात में अहमदाबाद सबसे अधिक शहरीकृत जिला है जहां की 80.09 प्रतिशत आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है, जबकि डांग पूर्ण रूप से ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ कोई शहरी आबादी नहीँ है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों :

2001 की जनगणना के अनुसार, राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 35,92,715 है, जो कुल जनसंख्या का 7.09 प्रतिशत है। इसमे 18,66,283 पुरुषों शामिल हैं जो 7.07 प्रतिशत है और 17,26,432 महिलाओं शामिल जो 7.11 प्रतिशत हैं। राज्य में शहरी अनुसूचित जाति की आबादी 14,12,274 है, जो 39.31 प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति की आबादी 21,80,441 है, जो 60.69 प्रतिशत है।

2001 की जनगणना के अनुसार, राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 74,81,160 है, जो कुल जनसंख्या का 14.76 प्रतिशत है। जिसमें 37,90,117 पुरुषों शामील है, जो 14.36 प्रतिशत है और 36,91,043 महिलाओं 15.20 प्रतिशत शामिल हैं। राज्य में शहरी अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 6,14,523 है जो 8.21 प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 68,66,637 है, जो 91.79 प्रतिशत है।

प्राथमिक शिक्षा :

प्राथमिक शिक्षा शैक्षिक पिरामिड का आधार होने के कारण गुजरात सरकार ने राज्य में हमेशा से इसके विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। गुजरात में हर गांव मे 1 किमी के दायरे में एक प्राथमिक विद्यालय है। वर्ष 2011-12 के DISE रिपॉर्ट के अनुसार छात्र-शिक्षक अनुपात 30 है।

प्रारंभिक विद्यालय :

पिछले वर्षों में गुजरात में प्राथमिक स्कूलों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। 2004-05 में प्राथमिक **विद्यालय** की संख्या 36315 थी, यह संख्या 2011-12 में बड़कर 40938 हो गई। इससे स्पष्ट रूप से इंगित होता है कि सर्व शिक्षा अभियान अपने विविध जागृति अभियानों को कार्यान्वयन करके राज्य में प्रारंभिक शिक्षा की माँग बढ़ाने में सफलता पाई है।

वर्ष	स्कूल				नामांकन			
	सरकारी	निजी सहायता प्राप्त	निजी सहायता रहित	कूल	सरकारी	निजी सहायता प्राप्त	निजी सहायता रहित	कूल
2004-05	32258	765	3292	36315	5963898	155808	690433	6810140
2005-05	32318	777	4161	37256	6065080	160823	927964	7153868
2006-07	33061	888	5194	39143	6084871	202378	1256479	7543728
2007-08	33236	852	5477	39565	6032985	213255	1419790	7666029
2008-09	33182	843	5081	39106	6006939	220337	1485067	7712344
2009-10	33429	913	5610	39952	5882190	253373	1683300	7818863
2010-11	33503	788	6403	40728	5917835	214049	2013161	8145045
2011-12	33537	703	6738	40943	5969126	170964	2221670	8376967

नामांकन में वृद्धि :

लोगों में शिक्षा के प्रति बढ़ती हुई जागृति के साथ, प्रारंभिक पाठशालाओं में बच्चों के नामांकन में भारी बढ़ोतरी देखी गई, जिसमें लड़के और लड़कियाँ दोनों ही शामिल थे । सबसे ज्यादा खुशी की बात है कि इतने वर्षों में, प्रारंभिक शिक्षा पूरा करने वाले बच्चों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। कक्षा 1-7 में कुल नामांकन 2003-04 में 65,99,296 से 2011-12 मे 83,76,967 बढ़ गया है ।

वर्ष	नामांकन कक्षा (सभी): 1 को 5			नामांकन कक्षा (सभी): 1 से 8		
	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
2003-04	2753851	2390427	5144278	3577331	3023700	6601031
2004-05	2817873	2457464	5275337	3690323	3130769	6821092
2005-06	2905938	2573721	5479659	3841530	3313470	7155000
2006-07	3048072	2682210	5730282	4049751	3491219	7540970
2007-08	3095168	2711659	5806827	4110074	3552419	7662493
2008-09	3092593	2716192	5808785	4125572	3586772	7712344
2009-10	3124744	2730882	5855626	4190175	3628688	7818863
2010-11	3163491	2723977	5887468	4390931	3754114	8145045
2011-12	3138434	2719585	5858019	4507418	3869549	8376967

ड्रॉप आउट दरों में कमी :

प्राथमिक शिक्षा के सार्वत्रिकरण के लिए लागू की गई विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के मानक में ड्रॉप-आउट रेट की दर की जबरदस्त कमी हुई है । कक्षा 1 से 7 मै वर्ष 1996-1997 में 49.49 थी जो 2011-12 में 7.56% थी । इसी तरह, कक्षा 1 से 5 का ड्रॉप आउट रेट, जो कि वर्ष 1996-97 में 35.40 से घटकर वर्ष 2011-12 में 2.07 हुआ है, जिसका अर्थ उसी के लिए प्रतिधारण दर अब 97.93 है।

शाला छोड़ने वालों की दर (ड्रॉप-आउट रेट)						
वर्ष	कक्षा. 1 से 5			कक्षा.1 से 7		
	लड़कों	लड़कियों	कूल	लड़कों	लड़कियों	कूल
2004-05	8.72	11.77	10.16	15.33	22.8	18.79
2005-06	4.53	5.79	5.13	9.97	14.02	11.82
2006-07	2.84	3.68	3.24	9.13	11.64	10.29
2007-08	2.77	3.25	2.98	8.81	11.08	9.87
2008-09	2.28	2.31	2.29	8.58	9.17	8.87
2009-10	2.18	2.23	2.2	8.33	8.97	8.66
2010-11	2.08	2.11	2.09	7.87	8.12	7.95
2011-12	2.05	2.08	2.07	7.35	7.82	7.56

जीईआर और एनईआर :

पिछले कई वर्षों में, गुजरात ने दो बड़े दिशासूचकों में महत्वपूर्ण उन्नति दिखाई है: सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) तथा शुद्ध नामांकन अनुपात (एनईआर), लड़के और लड़कियों दोनों के लिए। वर्ष 2003-04 में, कुल जीईआर और एनईआर क्रमश: 95.5 और 75.07 थे । वर्ष 2011-12 में, कुल जीईआर और एनईआर क्रमश: 99.22 और 91.15 है । वर्ष 2003-04 में, लड़को का कुल जीईआर और एनईआर क्रमश: 96.62 और 75.07 थे । वर्ष 2011-12 में, लड़को का कुल जीईआर और एनईआर क्रमश: 99.51 और 91.19 है । वर्ष 2003-04 में, लड़कियों का कुल जीईआर और एनईआर क्रमश: 94.38 और 74.8 थे । वर्ष 2011-12 में, लड़कियों का कुल जीईआर और एनईआर क्रमश: 99.35 और 90.73 है ।

वर्ष	एनईआर			जीईआर		
	लड़कों	लड़कियों	कूल	लड़कों	लड़कियों	कूल
2003-04	75.33	74.8	75.07	96.62	94.38	95.5
2004-05	96.06	95.23	95.65	109.68	109.39	109.54
2005-06	96.56	95.73	96.15	110.68	110.39	110.54
2006-07	97.83	96.23	97.03	111.78	111.49	111.64
2007-08	98.17	96.67	97.42	103.11	100.84	101.98
2008-09	98.58	98.58	97.82	104	101.72	102.86
2009-10	98.82	98.04	98.29	104.67	102.34	103.51
2010-11	99.06	98.23	98.64	105.03	103.12	104.08
2011-12	99.08	98.53	98.8	105.08	104.2	104.64

गुजरात सरकार के विशेष हस्तक्षेप :

एसएसए को अपने हिस्से का निधिदान देने के उपरांत, गुजरात सरकार ने उत्साहपूर्ण तरीके से राज्य में अनेक विलक्षण हस्तक्षेप लागू किए, जैसे कक्षा 1 से 7 के छात्रों को नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें मुहैया कराना, प्राथमिक पाठशालाओं के स्तर की उन्नति, विद्या लक्ष्मी योजना और विद्या दिप योजना।

विद्या सहायको कि भर्ती :

प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की कमी की समस्या के निवारण हेतू, गुजरात सरकार विविध चरणों में विद्या-सहायकों की भरती कर रही है। विद्या सहायक एक निश्चित समेकित वेतन पर नियुक्त शिक्षक है । जिनको जिलों की पाठशालाओं में रिक्तता की पूर्ति के लिए नियमित संवर्ग में अवशोषित किया जाता है। शिक्षा विभाग के द्वारा प्रकाशित आँकड़ो के अनुसार वर्ष 2011-12 में कुल 1,32,983 विद्या-सहायकों के स्थानों में से 11625 की भरती की गई है।

नि: शुल्क पाठ्य पुस्तके :

राज्य सरकार के तहत ज़िला शिक्षा समितियों और नगरपालिका पाठशाला बॉर्ड द्वारा संचालित पाठशालाओं में कक्षा 1 से 7 में पढ़नेवाले बच्चों को नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें मुहैया कराती है । सर्व शिक्षा अभियान के तहत राज्य की सरकारी एवं अनुदान सहाय प्राप्त पाठशालाओं में कक्षा आठवीं में पढ़ने वाले सभी बच्चों को नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें प्रदान की जाती हैं। यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि गुजरात सरकार शिक्षा के सात माध्यमों में पाठ्यपुस्तको को प्रकाशित एवं प्रदान कराती है, जैसे कि गुजराती, हिन्दी, अंग्रेजी, मराठी, उर्दू, सिन्धी और तमिल। बालसृष्टि नामक एक मासिक सामयिक भी प्रकाशित किया जाता है और 33,393 प्राथमिक स्कूलों, 86 केजीबीवी, बीआरसी, सीआरसी में नि:शुल्क वितरीत किया जाता है।

प्राथमिक स्कूलों के उन्नयन :

यह पाया गया है कि बच्चों को प्राथमिक शिक्षा को पूरा नहीं करने के लिए प्रमुख कारणों में से एक उनके गांव में कक्षा 5 से उपर स्कूली शिक्षा सुविधाओं की कमी है। इस समस्या पर काबू पाने के लिए हर गांव में कम से कम एक प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय के रूप में उन्नत किया गया है।

विद्या लक्ष्मी योजना :

जहां कन्या साक्षरता दर 35% से नीचे है उन गाँवों में विद्या लक्ष्मी नामक यह योजना की शुरूआत की गई थी। इस योजना का लक्ष्य प्राथमिक विद्यालयो में लडकियों के 100 प्रतिशत नामांकन एवं अवधारण हासिल करना था। योजना के तहत, कक्षा 1 में नामांकित होनेवाली हर एक लड़की को, रू. 1000/- के मूल्य का नर्मदा बॉण्ड दिया जाता है, जिसकी परिपक्वता अवधि सात वर्ष की है। प्राथमिक शिक्षा के सात वर्ष पूर्ण कर लेने के पश्चात ही लड़की इस परिपक्व राशि को नकद रूप में पाने योग्य बनती है। इस योजना से लाभान्वित हुई लड़कियों की संख्या और नर्मदा बॉण्ड के ज़रिए वितरीत की गई धनराशि की कुल रकम निम्नानुसार है:

वर्ष	लाभार्थि लड़कीयों की संख्या	नर्मदा बोन्ड की कुल राशि वितरित (लाख रुपये में)
2002-03	1,10,829	1108.29
2003-04	1,54,457	1544.57
2004-05	1,30,000	1300.00
2005-06	1,51,034	1510.34
2006-07	1,16,300	1163.00
2007-08	1,47,506	1475.06
2008-09	1,28,757	1287.57
2009-10	1,11,553	1115.53
2010-11	1,04,319	1043.19
2011-12	1,14,491	1144.91

विद्या दीप योजना :

राज्य सरकार के स्कूलों में पढ़ रहे वच्चों को बीमा सरंक्षण प्रदान करने के लिए विद्या दीप योजना शुरू की है। 26 जनवरी, 2001 के भूकंप में जीन वच्चों ने अपने जीवन खो दीए है उनकि स्मृति में ये योजना शुरू की गई है, योजना के तहत प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में पढ रहे सभी वच्चों को लाभ प्रदान कराने का हेतू है। राज्य सरकार वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करेगा, जिसके तहत 25,000 की एक राशि प्राथमिक विद्यालय में वच्चों के लिए बीमा किया जाएगा, जवकि रू.50, 000 की एक राशि को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में वच्चों के लिए बीमा किया जाएगा । आत्महत्या और प्राकृतिक मृत्यु के अलावा आकस्मिक मृत्यु के किसी भी मामले में बीमा कंपनी को बीमा की राशि छात्रों के माता पिता को भुगतान करना होगा। वच्चे की मृत्यु के एक सप्ताह के भीतर पाठशाला के आचार्य के द्वारा इससे संबंधित एक प्रमाणपत्र दिया जाता है जिसके आधार पर, वच्चे की बीमाकृत राशि का 15 दिनों के भीतर चेक द्वारा भुगतान किया जाएगा ।

विद्या दीप योजना के अतर्गत भुगतान के लिए किए गए दावों का वर्ष - वार विवरण इस प्रकार है:

वर्ष	दावा का भुगतान किया गया	धारा
2002-03	436	प्राथमिक, माध्यमिक और हायर सेकेंडरी
2003-04	248	प्राथमिक, माध्यमिक और हायर सेकेंडरी
2004-05	456	प्राथमिक, माध्यमिक और हायर सेकेंडरी
2005-06	153	प्राथमिक, माध्यमिक और हायर सेकेंडरी
2006-07	381	प्राथमिक, माध्यमिक और हायर सेकेंडरी
2007-08	31	प्राथमिक
2008-09	382	प्राथमिक
2009-10	277	प्राथमिक
2010-11	318	प्राथमिक
2011-12	184	प्राथमिक

अध्याय - II

टीचर्स ट्रेनिंग और एलईपी

अध्याय – II

टीचर्स ट्रेनिंग और एलईपी

गुणवत्ता में सुधार की ओर

सेवाकालीन प्रशिक्षण शिक्षक :

सेवाकालीन प्रशिक्षण शिक्षक :

शिक्षकोको "भागीदारी" और "उपलब्धि" संदर्भ के साथ विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। यूईई लक्ष्य को प्राप्त करने में एक शिक्षकोकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इस के लिए वे आवश्यक प्रतिवद्धता, प्रेरणा, ज्ञान, कौशल और जवावदेही यूईई के प्रभावी प्रमोटरों के रूप में कार्य करने की जरूरत है।

देश में प्राथमिक स्कूलों में काम कर रहे शिक्षकों विभिन्न पृष्ठभूमियों, प्रेरणा स्तर, योग्यता और प्रशिक्षण से है । यह आवश्यक है कि वे सभी लक्ष्य में पूरी तरह से उन्मुख होते हैं, दर्शन और एसएसए तहत यूईई की रणनीति और अपने ज्ञान और कौशल को लगातार उन्नत कर रहे हैं। इतना है कि वे प्रभावी ढंग से अपने मिशन में वास्तविक भूमिका का निर्वहन करने में सक्षम हैं. इस के लिए, सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण आदानों गुजरात में इस परियोजना के तहत विशेष रूप से वल दिया है ।

विभिन्न मॉड्यूल अलग अलग विषयों पर सामग्री के अनुसार एसआरजी (SRG) सदस्यों, विश्वविद्यालयों के प्रख्यात शिक्षाशारुी, विशेषज्ञों के मार्गदर्शन के तहत विकसित किए गए है।

एसआरजी, डाइट, एससीईआरटी के विषय विशेषज्ञों ने शिक्षकों को वर्ग योजना और उसके प्रदर्शन की विशेष जानकारी दि।

प्राथमिक शिक्षकों को प्रभावी कक्षा शिक्षण और आधुनिक शिक्षा तकनीक के लिए विभिन्न शैक्षिक सामग्री का उपयोग करना चाहिए, वास्तविक जीवन की घटनाओं, गतिविधियों के द्वारा एक परियोजना के रूप में अलग अलग विषयों एवं शैक्षिक अंको को सिखाने चाहिए । 2011-12 में छात्रों को स्वयं शिक्षण सामग्री का उपयोग करने हेतु शिक्षक प्रशिक्षण का फैसला लिया गया हैं।

अप्रैल 2011 में पूरे गुजरात मे प्रभावी कक्षा शिक्षण के लीए शिक्षकों को सकारात्मक दृष्टिकोण के उपर प्रशिक्षण दीया गया की केसे प्रभावी कक्षा का निर्माण कर सकते है।

प्राथमिक स्कूलों मे स्कूल तत्परता गतिविधि, प्रवृति केंद्रित शिक्षा, पढ़ने और लीखने की विधि के उपरांत गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के शिक्षकों को 2009-10 मे अनुपूरक सीखने का जो प्रशिक्षण दिया गया था वो इस वर्ष भी दिया गया है ।

क्लस्टर स्तर पर एक दिन के लिये सीआरसी प्रशिक्षण अयोजित किया गया; जिस्मे पिछले महीने के कक्षा शिक्षण की चर्चा की गई।

इन प्रशिक्षण में राज्य स्तर के विशेषज्ञ द्वारा साइट समर्थन और विभिन्न विषयों पर शिक्षकों को मार्गदर्शन दिया गया था।

2011-12 के प्रशिक्षण के वारे मे प्रशिक्षण के अंत में शिक्षकों द्वारा जो सुजाव दिए गए उस अनुसार अगले साल के प्रशिक्षण मे शिक्षको की रूची के अनुसार विभिन्न विषयों का चुनाव शिक्षक समूह की पसंदगी के अनुसार किया जाना चाहिए।

गुजरात सरकार ने प्राथमिक स्कूलों की शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार लाने और बच्चों को गुणवत्ता आधारित शिक्षा देने के लिए 'गुणोत्सव कार्यक्रम ' शुरू किया है।

गुणोत्सव के पहले चरण में सभी शिक्षकोंने कक्षा के बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि की जांच की। ईस के माध्यम से शिक्षकको कमजोर छात्रों को वेहतर बनाने के प्रयास करने चाईए।

दूसरे चरण में सभी प्राथमिक स्कूलों का आत्म मूल्यांकन किया और उन स्कूलों मे से कुछ स्कूलों में 3000 आईपीएस, आईएएस, गुजरात के मंत्रियों, प्रथम और द्वितीय कक्षा के अधिकारियों गये और छात्रों के स्तर की जाँच की उन के द्वारा शिक्षकों, स्कूलों, सीआरसी, वीआरसी को ग्रेड दिये । जिला द्वारा पुन: मूल्यांकन किया जएगा ।

स्कूलों के शिक्षकों के स्वयं के प्रयासों से अपनी खुद की स्कूल के लीए ग्रेड के साथ अधिकारियों के सकारात्मक निर्देश प्राप्त कीए जीस के माध्यम से शिक्षकों में एक नई प्रेरणा फैल गई।

गुनोत्सव 2010 के वावजुद सभी शिक्षकों से आत्म मूल्यांकन किताव भराई गई जीस मे शिक्षको ने अपने पसंदगी के विषय और शिक्षक प्रशिक्षण मे वो क्या चाहते हे ईस के वारे मे बताया हे।

निम्न लिखित विषय इस पुस्तक में शामिल हे।

शिक्षा विषय प्रशिक्षण :-

शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया, कक्षा में व्यवहार, शिक्षा में आयु समूह के समन्वय ।

विषय प्रशिक्षण : -

इस क्षेत्र मे सभी विषयों की सामग्री का निर्माण सीखाया गया।

व्यावसायिक प्रशिक्षण : -

इस क्षेत्र मे सकारात्मक सोच, प्रेरणा, समन्वय और प्रवंधन, टीम निर्माण, समय प्रवंधन, पारस्परिक संवंध, तनाव प्रवंधन, रचनात्मक सोच, व्यवहार प्रशिक्षण, कम्प्यूटर कौशल, स्कूल प्रवंधन और उनके खाते का प्रवंधन, जीवन कौशल, रिपोर्ट लेखन, प्रलेखन, वाल मनोविज्ञान शामिल हैं ।

प्रशिक्षण के प्रकार :

इस क्षेत्र में व्याख्याता - व्याख्याता पद्धति, व्याख्याता- समूह की पद्धति, चर्चा पद्धति, व्याख्यान-परियोजना पद्धति, प्रशिक्षण परियोजना का काम, गतिविधि आधारित प्रशिक्षण, ऑडियो विजुअल उपकरणों, माध्यम वार प्रशिक्षण, टेली मीडिया प्रशिक्षण, एक्सपोज़र विजीट, व्यायाम, व्याख्यान प्रशिक्षण मे मदद शामिल हैं।

वर्ष 2011-12 में शिक्षक प्रशिक्षण कैलेंडर वनाया गया जीस मे शिक्षक प्रशिक्षण के वारे मे अच्छी तरह से अग्रिम मे संपूर्ण आयोजन कीया गया। आवश्यकता आधारित, क्षेत्र आधारित और अनुसंधान आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को शामिल किया गया है। गतिविधि आधारित विधियों, कक्षा व्यवहार, सकारात्मक दृष्टिकोण आदि प्रशिक्षण के विषय के रूप में शामिल किया गया ।

निम्नलिखित कैलेंडर में विषयों पर शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है :

वर्ष **2011-12** के लिए प्रशिक्षण अनुसूची

संख्या	प्रशिक्षण के विषय	लक्ष्य समूह	समय	भौतिक लक्ष्य	उपलब्धियां मार्च –2012 तक
	ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण			कक्षा 1 से 8 के कूल 201672 शिक्षको को 4033440 मानव दिनोकी तालीम दी गई (कूल प्रशिक्षण दिन 20)	3993106 मानव दिन
1	प्रभावी कक्षा व्यवहार, शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक रवैया एवं समय प्रबंधन	वर्ग 1-8	4		
2	सामग्री और विषय की पद्धति	वर्ग 1-8	4		
3	स्कूल प्रबंधन और रिकार्ड का रखरखाव	वर्ग 1-4	2		
4	प्रभावी संचार के द्वारा कक्षा मे प्रभावी व्यवहार	वर्ग 1-8	2		
5	सतत एवं सर्वग्राही मूल्यांकन				
6	शिक्षक के लिए क्लस्टर स्तर सीआरसी की बैठक (पिछले महीने काम का उपयोग करने के लिए - अगले महीने के लिए योजना - TLM को विकसित करने के लिए - पाठ का प्रदर्शन)		10		

प्रगति रिपोर्ट :

शिक्षक प्रशिक्षण के 20 दिनों मे से, 10 दिनों की ब्लॉक स्तर और 10 दिनों की क्लस्टर स्तर पर आयोजन कीया गया। जीस मे प्रभावी कक्षा संबंधी प्रक्रियाओं, विषयसामग्री, पद्धति, बाल मनोविज्ञान, एडेप्स (ADEPTS), और सीआरसी मासिक बैठक के विषयों को इस प्रशिक्षण मे आवंटित कीया गया हे।

2,01,672 शिक्षकों के लिए यह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस प्रशिक्षण में सभी शिक्षकों मे अनुदान प्राप्त करनेवाली, निजी प्राथमिक स्कूलों, आश्रम शाला और केजीवीवी के शिक्षको को शामिल किया गया था।

GCERT द्वार मास्टर ट्रेनर्स प्रदान कीए गये।

शिक्षकों के प्रशिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रबंधन की प्रक्रिया के लिए राज्य के तमाम जिलों मे एसपीडी, एएसपीडी और एसपीओ कार्यालय के समन्वयकों, रीडर और जी.सी.ई.आर.टी. के रिसर्च एसोसिएट्स, एस.आर.जी. के सदस्यों, एडीईआई, डाइट व्याख्याताओं को लेकर बनाइ गई दो या तीन सदस्यो की टीमने दौरा किया और सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली।

डाइट की मदद से सभी जिलों ने उनके प्रशिक्षण के लिए मॉड्यूल तैयार कीए । तीन प्रकार के मॉड्यूल विकसित किए गए और सभी जिलों में स्कूल के स्तर तक वितरित किए गए। (रिसोर्स पर्सन / संसाधन व्यक्तियों और शिक्षकों के लिए कक्षा 1 से 8 के विषयवार मॉड्यूल, प्रभावी कक्षा प्रक्रियाओं, सकारात्मक दृष्टिकोण, शिक्षा का अधिकार अधिनियम अनुसार शिक्षक के कर्तव्यों एवं जिम्मेदारी, जीवन कौशल का नाटक के माध्यम से प्रशिक्षण, सीआरसी मासिक बैठक, कक्षा 1 से 4 के विषयों के शिक्षकों के लिए मॉड्यूल, बीआरसी / सीआरसी सह समन्वयक / कोओर्डिनेटर और एसआरजी के सदस्यों की मदद से दोनों चरणों के अलग मॉड्यूल विकसित किए गए।

जिला स्तर पर प्रशिक्षित शिक्षकों:

वर्ष 2011-12 के दौरान, 40,33,440 मानव दिनो के वार्षिक लक्ष्य मे से कुल 39,93,106 मानव दिनो का प्रशिक्षण (2,01,672 शिक्षकों) पूरा किया गया।

इस प्रशिक्षण में सभी शिक्षकों मे अनुदान प्राप्त करनेवाली, निजी प्राथमिक स्कूलों, आश्रम शाला और केजीवीवी के शिक्षको को शामिल किया गया था। इस प्रकार (मार्च–12 तक) 99.01% शिक्षकों के प्रशिक्षण का भौतिक लक्ष्य पहले से ही हासिल किया गया है।

20 दिनों के शिक्षक प्रशिक्षण प्रगति रिपोर्ट -2011-12						
संख्या	ज़िला	लक्ष्य		उपलब्ध मानव दिन		
		शिक्षकों की संख्या	मानव दिन्	ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण	क्लस्टर प्रशिक्षण	कुल
1	अहमदाबाद	8134	162680	80933	80120	161053
2	अमरेली	5778	115560	57491	56913	114404
3	आणद	7524	150480	74864	74111	148975
4	बनासकाँठा	15140	302800	150643	149129	299772
5	भरूच	5152	103040	51262	50747	102009
6	भावनगर	10477	209540	104246	103198	207445
7	दाहोद	10633	212660	105798	104735	210533
8	डांग	1704	34080	16955	16784	33739
9	गांधीनगर	4804	96080	47800	47319	95119
10	जामनगर	6876	137520	68416	67729	136145
11	जूनागढ़	8930	178600	88854	87961	176814
12	खेड़ा	9674	193480	96256	95289	191545
13	कच्छ	8345	166900	83033	82198	165231
14	मेहसाणा	7511	150220	74734	73983	148718
15	नर्मदा	3082	61640	30666	30358	61024
16	नवसारी	4830	96600	48059	47576	95634
17	पंचमहाल	12034	240680	119738	118535	238273
18	पाटण	5815	116300	57859	57278	115137
19	पोरबंदर	1955	39100	19452	19257	38709
20	राजकोट	8030	160600	79899	79096	158994
21	सावरकांठा	11613	232260	115549	114388	229937
22	सूरत	9788	195760	97391	96412	193802
23	सुरेन्द्रनगर	7593	151860	75550	74791	150341
24	वडोदरा	11003	220060	109480	108380	217859
25	वलसाड	5522	110440	54944	54392	109336
26	अहमदाबाद कॉर्प.	4099	81980	40785	40375	81160
27	राजकोट कॉर्प.	1026	20520	10209	10106	20315
28	सुरत कॉर्प.	3511	70220	34934	34583	69518
29	वडोदरा कॉर्प.	1089	21780	10836	10727	21563
कुल		**201672**	**4033440**	**2006637**	**1986469**	**3993106**

अन्य प्रशिक्षण:

निम्न लिखित प्रशिक्षण सर्व शिक्षा अभियान के तहत दिया गया है।

- शैक्षणिक वर्ष के दौरान भर्ती कीए गए अंदाजित 13000 विद्या सहायक के लिए 19 दिनों का प्रेरण प्रशिक्षण आयोजित किया गया था।
- डाइट की मदद से विद्या सहायक प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किया गया था।
- कम्प्यूटर एडेड लर्निंग कार्यक्रम (CALP)
- बीआरसी / सीआरसी सह समन्वयक / कोओर्डिनेटर को ADEPTS कार्यक्रम के संदर्भ में प्रशिक्षण दिया गया।
- बीआरसी / सीआरसी सह समन्वयक / कोओर्डिनेटर के कार्य को सुदृढ़ीकरण करने के लिए एक विशेष प्रशिक्षण का आयोजन दिया गया था।
- प्रमुख रिसोर्स पर्सन / प्रमुख संसाधन व्यक्तियों राज्य स्तर पर तैयार किया गया।
- बीआरसी / सीआरसी सह समन्वयक / कोओर्डिनेटर के लिए 5 दिन का जिला स्तर पर प्रशिक्षण पूरा कर लिया है।

प्रशिक्षण कौशल के कार्यान्वयन को बीआरसी और सीआरसी द्वारा कक्षा व्यवहार के दौरान देखा जाता है। कक्षा व्यवहार को जांच ने के लिएव् राज्य कार्यालय द्वारा विशेष प्रारूप का इस्तेमाल किया जा रहा है। कक्षा व्यवहार की प्राप्त जानकारी का विश्लेषण डाइट के द्वारा जीसीईआरटी की मदद से किया जा रहा है।

वर्ष 2011-12 में नए भर्ती कीए गए ब्लॉक रिसोर्स पर्सन / ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के लिए विशेष प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। बीआरपी प्रज्ञा को गणित विज्ञान, भाषा, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान विषय पर विशेष प्रशिक्षण दिया गया था। राज्य द्वारा बीआरपीएस की भूमिका को परिभाषित किया गया और बीआरपीएस को 'विषय विशेषज्ञों के रूप में माना जाता है; इस लीए बीआरपीएस को मजबूत बनाने के लिए उन्हें विषय विशेष प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है।

सीआरसी सह समन्वयक / कोओर्डिनेटर की भूमिका: क्लस्टर स्तर पर प्रशिक्षण की सुविधा करने के लिए, सर्व शिक्षा अभियान के कार्यक्रम की निगरानी अच्छी तरह से करने के लिए इस क्षेत्र में है। इसलिए विशिष्ट विषय के बजाय सीआरसी सह समन्वयक / कोओर्डिनेटर को सामान्य प्रशिक्षण प्रदान दिया गया था। वर्ष 2011-12 से उच्च प्राथमिक स्कूलों में गुणवत्ता सुधार के लिए विज्ञान और गणित की शिक्षा, विज्ञान - गणित क्लब खुले हैं।

विज्ञान कॉर्नर का विकास

1. विज्ञान ओर गणित मंडल की गतिविधि
2. विज्ञान, गणित कॉर्नर का विकास
3. विभिन्न दिनों का समारोह है जो वैज्ञानिक आविष्कार और वैज्ञानिक के लिए प्रसिद्ध हैं।
4. शिक्षको ओर प्रधानाध्यापक को के सुधारात्मक कार्य के लिए टेली सम्मेलन के माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था।
5. प्राथमिक शिक्षा के निदेशक के साथ शिक्षा विभाग के मार्गदर्शन द्वारा प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता के सुधार के लिए विशेष कार्यक्रम "गुणोत्सव" का शुभारंभ। यह कार्यक्रम स्कूल के वच्चों के विकास के लिए उपयोगी सावीत हुआ हे।

एलईपी गतिविधियों में वर्ष **2011-12** में कि गई प्रगति

क्र. सं.	एलईपी के तहत मंजूर कि गई प्रक्रिया	गतिविधियों के विरुध्ध **2011-12** में हुई प्रगति	कवरेज (अ.जिलों./वि.स्कूलों /सि.समावेश किये गए बच्चों)	वित्तीय लक्ष्य	वित्तीय उपलब्धि	हासिल हुआ परिणाम
I	प्राथमिक स्तर					
1.	2-8 वर्ग के छात्रों के लिए एकीकृत उपचारात्मक शिक्षण कार्य वर्ग 1 और 2 के बच्चों के बीच समझ कौशल के साथ पढ़ने का कौशल बढ़ाने के लिए।	सर्व शिक्षा अभियान द्वारा बच्चों के प्रारंभिक 19 साल कि आयु तक के लिए एक सेट विकसित किया गया हे।	25 जिल्ले + 4 शहेर के निगम के लिये वर्ग 1 से 9 तक =70,828 वर्ग 2 से 8 तक =8,90,207, कुल =1861035	930.51	3045.5 (90%)	
2.	वर्ग 1 से 4 के बच्चों के बीच लेखन कौशल को बढावा देने के लिये विकसित कि गई प्रवृति।	लेखन सर्जनी - पुस्तकें वर्ग 1 से 4 के लिए विकसित किया गया है ।	25 जिल्ले + 4 शहेर के निगम के लिये वर्ग 1 से 4 तक =35,98,402	539.76 (Rs.15)		
3.	जो छात्रों ठिक से एकीकृत कर के पढ़ने लिख्ने मे कमजोर हे वेसे छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण द्वारा जो उनकी उम्र उपयुक्त योग्यता के अनुसार पढ्ने लिख्ने का प्रबन्ध करते हे।	लेखन सर्जनी - पुस्तकें वर्ग 1 से 4 के लिए विकसित किया गया है ।	25 जिल्ले + 4 शहेर के निगम के लिये वर्ग 1 से 4 तक =35,98,402	539.76 (Rs.15)		
4.	प्रज्ञा	इंद्रधनुप सामग्री गतिविधियों और बच्चों के लिए अन्य सामग्री	25 जिला और निगम 4. (2758 स्कूलों में से 3200 वर्ग)	256.00 (0.08000)		
5	वाचन पर्व के लिए समारोह अयोजित किया गया	स्थानीय रूप से उपलब्ध किताबें, पत्रिकाएं और अन्य स्थिर वस्तुओं	25 जिले और 4 निगम (34576 प्राथमिक स्कूलों). 24236 उच्च प्राथमिक स्कूलों	138.30 (0.00400) 242.36 (0.01000)		विभिन्न विज्ञान लेख और प्रदर्शन का संग्रह, विज्ञान प्रदर्शनी, वाद - विवाद और वाग्मिता

क्र. सं.	एलईपी के तहत मंजूर कि गई प्रक्रिया	गतिविधियों के विरुध्ध **2011-12** में हुई प्रगति	कवरेज (अ.जिलों./वि.स्कूलों /सि.समावेश किये गए बच्चों)	वित्तीय लक्ष्य	वित्तीय उपलब्धि	हासिल हुआ परिणाम
II	उच्च प्राथमिक स्तर					
1.	ऊपर के स्तर के स्कूलों के विज्ञान और गणित की शिक्षा में गुणवत्ता सुधार, विज्ञान - गणित मंडल के वार्षिक गतिविधि (i) विज्ञान, गणित कॉर्नर का विकास: (ii)विज्ञान कॉर्नर तहत क्रियाएँ पर्यावरण दिवस 5 जून को (चर्चा, साइंस सिटी, विक्रम साराभाई विज्ञान केंद्र, ई.एस. सी - अहमदाबाद, इन्द्रोड पार्क (पर्यावरण संस्थान) - गांधीनगर विज्ञान सप्ताह के समारोह का अयोजन (23 फ़रवरी से 30 फ़रवरी)	फरवरी - मार्च के महीने के दौरान स्कूलों, जो विज्ञान गणित वर्ग की सबसे इन गतिविधियों को पूरा करेगा.	25 जिलों + 4 निगमों 24236	727.08 (0.03000)	3045.50 (90.00%)	▪ वैज्ञानिक दृष्टिकोण और छात्रों के वीच योग्यता का विकास किया गया हे। ▪ अवलोकन कौशल और उज्ज्वल भविष्य की दृष्टि के लिए प्रेरणा का विकास।
2.	न्यूनतम चार विज्ञान पत्रिकाओं के लिए वार्षिक प्रीमियम (एक विज्ञान के लिए गणित के लिए 1, सामान्य अध्ययन के लिए 1, शिक्षक के लिए 1)	24236	25 जिलों + 4 निगमों (0.00600)	145.42		
3.	ज्ञान शक्ति समाचार पत्र 40450 x 6 मुद्दों x 15 रु.		25 जिला और 4 निगम, 34576 स्कूलों,4507 सीआरसी- विआरसि + 1140 विआरपि + 86 केजीबीवी + 52 डाइट + 5 जीसीईआरटी + 58 डीपीसी + 5 एसटिवि + 5 डिआई- पिआरई + एसपीओ के लिए 16 अतिरिक्त प्रतिलिपि जिस्कि कुल 40450 की प्रतिलिपि बनाएँ	36.40 (0.00090)		
4	न्यूज़लैटर मै 40450 x 6 मुद्दों x 15 रुपये		34576 स्कूलों.4507 सी आर सी. बी आर सी. 1140 + BRP.+ 86 केजीबीवी + 52 डाइट.+1000 ए डी ई आई + डीपीसी 58. कुल 41419 की प्रतिलिपि बनाएँ	(0.00090)		

बीआर सी और सीआरसी की स्थिति तथा समन्वयकों और ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों

बीआरसी / सीआरसी समन्वयक एवं ब्लॉक संसाधन सभी जिलों में नियुक्त व्यक्तियों की स्थिति निम्नानुसार है:

क्र.सं	ज़िला	बीआरसी	सीआरसी	बीआरपी
1	अहमदाबाद	11	155	55
2	अमरेली	11	120	55
3	आणद	8	164	40
4	बनासकाँठा	12	278	60
5	भरूच	8	129	40
6	भावनगर	11	171	55
7	दाहोद	7	174	35
8	डांग	1	42	5
9	गांधीनगर	4	95	20
10	जामनगर	10	194	50
11	जूनागढ	14	184	70
12	खेड़ा	10	211	50
13	कच्छ	10	232	50
14	मेहसाणा	9	146	45
15	नर्मदा	4	84	20
16	नवसारी	5	103	25
17	पंचमहाल	11	266	55
18	पाटण	7	109	35
19	पोरबंदर	3	48	15
20	राजकोट	14	185	70
21	साबरकांठा	13	328	65
22	सूरत	9	137	45
23	तापी	5	81	25
24	सुरेन्द्रनगर	10	139	50
25	वडोदरा	12	238	60
26	वलसाड	5	133	25
27	ए.एम.सी.	5	43	5
28	आर.एम.सी.	3	16	5
29	वी.एम.सी.	3	22	5
30	एस एम. सी.	4	33	5
	कुल	**239**	**4260**	**1140**

नि: शुल्क पाठ्य पुस्तके

राज्य सरकार के तहत ज़िला शिक्षा समितियों और नगरपालिका पाठशाला बॉर्ड द्वारा संचालित पाठशालाओं में कक्षा 1 से 7 में पढ़नेवाले बच्चों को नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें मुहैया कराती है । सर्व शिक्षा अभियान के तहत राज्य की सरकारी एवं अनुदान सहाय प्राप्त पाठशालाओं में कक्षा आठवीं में पढ़ने वाले सभी बच्चों को नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें प्रदान की जाती हैं। यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि गुजरात सरकार शिक्षा के सात माध्यमों में पाठ्यपुस्तको को प्रकाशित एवं प्रदान कराती है, जैसे कि गुजराती, हिन्दी, अंग्रेजी, मराठी, उर्दू, सिन्धी और तमिल। बालसृष्टि नामक एक मासिक सामयिक भी प्रकाशित की जाती है जिनकि 34000 कोपि हर प्राथमिक स्कूलों मे मुक्त वितरीत की जाती है।

एडेप्ट्स (ADEPTS)

एडेप्ट्स क्या है?

गुजरात मे वर्ष 2007-08 में सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) और यूनिसेफ द्वारा ADEPTS – एडवान्समेंट इन एज्युकेशनल पर्फोर्मेंस थ्रु टीचर्स सपोर्ट / शैक्षिक प्रदर्शन के शिक्षक सहायता के माध्यम से प्रगति संयुक्त रूप से शुरू किया गया था। एडेप्ट्स का मुख्य उदेश्य शिक्षकों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार के उस को बढ़ाने के लिए है। राज्य मे एडेप्ट्स की शुरूआत 456 स्कूलों में 2853 शिक्षकों के साथ हुइ थी और वर्ष 2010-11 मे राज्य के 224 ब्लॉकों की 27,152 स्कूलों में 1,41,961 शिक्षकों तक बढ़ाया गया हे।

एडेप्ट्स कार्यों ओर उसके माध्यम.

- राज्य कोर दल -सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण की राज्य परिषद (एससीईआरटी).
- राज्य क्षेत्र कि टीमों को सहकर्मी मूल्यांकन करने के लिए नियुक्त किया हे।
- राष्ट्रीय कोर टीम- राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) और मंत्रालय के मानव संसाधन विकास (एमएचआरडी).
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पर्यवेक्षण और तकनीकी सहायता समूह सहायता.
- राष्ट्रीय समन्वयक, और विभिन्न स्तरों पर यूनिसेफ द्वारा समर्थन
- संसाधन एनसीईआरटी के रूप में विभिन्न चरणों में शामिल व्यक्तियों, तकनीकी सहायता समूह शिक्षा सलाहकार इंडिया लिमिटेड.
- राज्य परियोजना निदेशक और अन्य सर्व शिक्षा अभियान के कर्मियों, यूनिसेफ तकनीकी कर्मियों, गैर सरकारी संगठन, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन (आई.अन.जि.ओ) के सदस्यों, स्वतंत्र पेशेवरों / सलाहकार और एडेप्ट्स की टीम के सदस्यों को नियुक्त किया गया हे।

आदेश अनुसार शिक्षकों के प्रदर्शन में सुधार सुनिश्चित करने के लिए करें शिक्षक समर्थन प्रणाली जेसे की क्लस्टर संसाधन केंद्र (सीआरसी), ब्लॉक संसाधन केंद्र (वी आर सी), और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) का भी गुणवत्ता संवर्धन कीया जा सकता है।

गुणवत्ता संवर्धन सेल का उदभव

साल 2009 में एडेप्ट्स द्वार चार कर्मियों की एक टीम शामिल करके एक गुणवत्ता संवर्धन सेल बनाया गया था। सर्व शिक्षा अभियान की एक महत्वपूर्ण शाखा के रूप में ये सेल काम करता हे । जो केवल गुणवत्ता की शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा के शैक्षणिक मामलों के लिए जिम्मेदार है। अपने प्रमुख कार्यों में से एक हस्तक्षेप की समीक्षा और संभव मॉडल विकसित जो राज्यव्यापी लागू किया जा सकता है। यह सेल प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अन्य सरकारी विभागों, गैर-सरकारी संगठनों के साथ अच्छी तरह से समन्वय और समीक्षा करने के लिए बनाया गया हे। यह सेल का नेतृत्व गुणवत्ता संवर्धन के सह समन्वयक द्वारा कीया जाएगा, जीसे तीन कार्यात्मक सह समन्वयकों - शिक्षाशास्त्र समन्वयक, संसाधन जुटाने समन्वयक और डेटा प्रबंधन समन्वयक द्वारा सहायता प्रदान कि जाएगी।

कैसे शिक्षकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन कर रहे हे?

शिक्षकों के प्रदर्शन चार आयामों में 2007-12 के दौरान मूल्यांकन किया गया ।

संज्ञानात्मक आयाम यानी कि शिक्षक

- वच्चों को समज़िये
- वच्चों के साथ संवंधित / का प्रवंधन / कक्षा का आयोजन करने के लिए सीखने का अनुकूलन माहौल वनाता है ।
- पाठ्यक्रम और उसकि सामग्री को समजिये.
- प्रभावी शिक्षण अधिगम अनुभव उत्पन्न करे.
- सामग्री का प्रभावी ढंग से उपयोग.
- सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करता है और सभी के लिए एक कक्षा वनाता है ।
- प्रभावी ढंग से संचार
- वच्चों के साथ सहयोग
- सीखने को सक्षम करने के लिए योजनाएं
- आकलन और मूल्यांकन और परिणामों का उपयोग करने के लिए सीखने में सुधार ।

संस्थागत या संगठन आयाम यानी कि शिक्षक

- पेशेवर प्रतिवद्धता और जवावदेही दर्शाता उदाहरन दिजीए ।
- वच्चो को प्रतिवध्धता सिखाईए ।
- सहयोगियों के साथ एक टीम के रूप में काम किजिए, संसाधनों का अनुकूलन प्राप्त किजिए ।
- प्रतिक्रियात्मक अभ्यास ।
- प्रवंधन और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में भाग लिजिए ।

शारीरिक आयाम उदाहरण के रुप मे शिक्षक सीखने के लिए एक स्वच्छ और अनुकूल माहौल को प्रदान करता हे ।

सामाजिक आयाम अर्थात कि क्या शिक्षक:

- वच्चों को अपनी सांस्कृतिक संदर्भ, मूल्यों और गैर भेदभावपूर्ण तरीके से उन लोगों के साथ जोडकर रहेना सीखाता है ।
- सह पाठयक्रम गतिविधियों से मूल्यों का विकास और वच्चों के समग्र विकास को सक्षम वनाता है ।
- समुदाय संवंधित और सहयोगियों के साथ काम करता है ।

शिक्षकों को स्वयं हि अपना मूल्यांकन मानक के अनुसार करना चाहिए कि वे वच्चो को सभी विदु पर सिखाने हेतु योग्य हे कि नहीं । एक वार मूल्यांकन पूरा हो ने के वाद सीआरसी सह समन्वयक / कोओर्डिनेटर को स्कूल मे जाके शिक्षक का मूल्यांकन करना होगा । और उन सभी शिक्षकों को आवश्यक मार्गदर्शन देना होगा । वर्ष 2011-12 औसतन, राज्य के 67% शिक्षकों इन आयामों में अच्छी तरह से प्रदर्शन करने में कामयाव हुए है । राज्य के जिलों में

अधिकांश - 71% शिक्षकोंने अच्छी तरह से को में शारीरिक आयाम का प्रदर्शन किया हे। ये शायद ईस लिये था क्योंकि कुछ मानांक की दिशा मे काम करना बाकि हे। राज्य भर में शिक्षकों को के संज्ञानात्मक आयाम में अपने प्रदर्शन में सुधार के लिए गुंजाइश है। यह भी कहा गया था कि शिक्षकों के प्रदर्शन मे वित्तीय वर्ष की शुरूआत मे डूबा हुआ था, जबकि साल भर में उस मे सुधार हुआ है।

जिलों में शिक्षकों के प्रदर्शन को वढ़ाने के लिए।

राज्य भर में सभि जिले मे शिक्षकों के प्रदर्शन में वृद्धि को वढावा देने के लिए कदम उठाए हैं।

- प्रशिक्षण का आयोजन विभिन्न हिस्सो के प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करता है। शिक्षकों के अधिक व्यक्तिगत प्रदर्शन के मानकों से संवंधित गतिविधियों से अवगत कराया गया हे।
- जिले के विशिष्ट मॉड्यूल जो DITE और सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। ये मॉड्यूल संदर्भ सामग्री के रूप में शिक्षकों को दिया जाता है।
- जिला शिक्षाशास्त्र सह समन्वयक के प्रयासों के माध्यम से एडेप्ट्स सुदृढ़ीकरण किया गया हे।

डाइट द्वारा की गइ प्रवृतिया

एडेप्ट्स कि गुणवत्ता वढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के रूप में उसकि अवधारणा कि गई थि, स्कूलों, डाइट, वी आर सी समन्वयकों और सी आर सी समन्वयकों द्वारा सभी अच्छे प्रथाओं एडेप्ट्स क लिए रूपांतरित ओर अनुकुलित किया गया हे। एडेप्ट्स के लिए डाइट मॉडल स्कूल कार्यक्रम और गुणवत्ता पैकेज के तहत गतिविधियों के अनुसार प्रदर्शन मानकों को शिक्षकों को प्राप्त करने के लिए उम्मीद की गई थी। जिसको एडेप्ट्स के लिए अनुकूलित किया गया था।

डाइट द्वारा अनुकूलित क्रियाएँ

वच्चों को मूल्य शिक्षा प्रदान करने के उदेश्य के साथ, निम्नलिखित गतिविधियों डाइट पाटन द्वारा पाटन और मेहसाणा जिले में अनुपम स्कूल परियोजना के तहत शुरू किए गए हे |अक्षय पात्र

अक्षय पात्र, का अनुवाद "प्रचुर मात्रा" है। अक्षय पात्र एक एसी पहल जिस मे एक कटोरा के भोजन की मात्रा को प्रचुर मात्रा में तव्दील हो सके है। जो वच्चों को देने के महत्व को सिखाता है । अक्षय पात्र नाम से एक वर्तन हर एक स्कूल में रखा गया है। वच्चे अपनी स्वेच्छा से घर से प्राप्त अनाज / खाद्यान्न के वर्तन भरने हेतु लाते हे। ईस अनाज को पक्षियों को खिलाया जाता है। कई वच्चे पक्षियों के लिए भोजन लाने से उन है धीरे - धीरे प्यार करने लगते हे ओर जीवनभर शाकाहारी वन सकते है।

आज का गुलाब, एक एसी गतिविधि है जो बच्चों के वीच स्वास्थ्य और व्यक्तिगत स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए देता सुवह के दौरान (कक्षा 1 से 7 तक) के प्रत्येक वर्ग के छात्रो के कक्षा स्तंभों मे से शिक्षकों द्वारा एक लड़की और लड़के की पहचान करनी होती है। यह प्रवृति बच्चों को उनके साथियों द्वारा स्वीकार करने तथा बच्चों को खुद को साफ और स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित करता है।

आज का दीपक एसी गतिविधि है जो बच्चों को स्कूल में मान्यता हासिल करने में मदद करता है। बच्चों का जन्मदिन सुवह के समय के दौरान मनाया जाता है। जिस लड़के / लड़की का जन्मदिन है उसे स्कूल वर्दी के बजाय रंगीन कपड़े पहनने की अनुमति दी जाती है। लड़का / लड़की के माता - पिता को भी औपचारिक रूप से बच्चो की विधानसभा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। कभी कभी, माता पिता भी चॉकलेट वितरित करते है या स्कूल के लिए एक दान करते है। ग्रामीण क्षेत्रों में जन्मदिन मनाना आम वात नहीं है। आज् का दीपक एक एसी गतिविधि है जो स्कूल और समुदाय को करीव लाता है।

खोया पाया दुकान गतिविधि मे एक खुला वॉक्स स्कूल के वरामदे में रखा जाता है। जिसे प्राचार्य के कार्यालय, शिक्षकों के कमरे मे भी रख सकते हे। इस गतिविधि का हेतु "यदि कोई वस्तु बच्चो से एक घड़ी, कलम, पैसा, पर्स, आदि स्कूल में खो देते है ओर कीसी लड़के / लड़की को मीलता है ओर वो चीज मेरी नहीं है, फीर भी यदी मुजे मिली है, तो मैं खुद ईसे नहीं रख सकता या इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं" ओर उसे खोया - पाया विभाग की दुकान में डालते है, जहां ईन वस्तुओ का स्वामी ईसे पा सकता है, इस गतिविधि से वच्चों में सच वोल ने कि आदत को विकसित करने में मदद करता है ।

इन गतिविधियों के अलावा, छात्रों को भी अखबार पढ़ने, प्रश्नोत्तरी, और प्रश्न - उत्तर और कहानी कहने के लिए स्कूलों में सुबह समय के दौरान विशेष रूप से उन्हे सीखने -सीखाने ओर सत्र में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

राम हाट

बागवानी

सर्व शिक्षा अभियान द्वारा रूपांतरित क्रियाएँ

गुणवत्ता पैकेज जो एडेप्ट्स के लिए अनुकूलित किया गया हे उसके तहत कि गई गतिविधियां।

डिक्टेशन और रचनात्मक लेखन के लिए बच्चों की मदद के लिए उनकी भाषा और लेखन कौशल में सुधार।

बच्चों के लिए कक्षाओं में पढ़ने के लिए एक क्षेत्र बनाया गया हे जिसमे खाली समय के दौरान कहानी पुस्तकों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करे।

जोर से आवाज़ करते हुए पढ़ने के लिए बच्चों को उनके संचार कौशल में सुधार के लिए और अपने आत्मविश्वास को बढ़ावा देने में मदद मिलती है।

छात्र पोर्टफोलियो, बच्चे की गतिविधियों का एक संग्रह है। शिक्षक प्रत्येक बच्चे के लिए एक अलग पोर्टफोलियो रखता है; विभागों के अनुसार शिक्षकों के दृष्टिकोण के साथ तैयार करते हैं, पोर्टफोलियो की डिजाइन हर एक स्कूल की अलग हो सकती है।

छात्र प्रोफ़ाइल, जिसमें एक बच्चे की जनसांख्यिकीय जानकारी, तस्वीर, उपस्थिति, शौक, ताकत और कमजोरियों और छात्र का प्रगति रिपोर्ट है।

प्रदर्शन बोर्ड, जो हर वर्ग के लिए प्रदान कीया गया है ताकि उसके उपर बच्चों की गतिविधियों को प्रदर्शित किया जा सकता है ओर इस प्रकार उन्हे अधिक जानने के लिए प्रेरित किया जाता है।

सीआरसी सह समन्वयकों के प्रवेश के रिपोर्टों का सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है । जिस के डेटा विभिन्न स्तरों पर उत्पन्न किये जा सकते है। इस का उपयोग एडेप्ट्स के कार्यान्वयन की प्रक्रिया आसान बना देगा। यह चीज सीआरसी और बीआरसी सह समन्वयकों, जो शिक्षकों का समर्थन करते हैं और उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन करने मे, प्रदर्शन के मानकों को लागू करने मे ओर अंतिम रूप देने मे मदद करेगा।

प्रज्ञा

सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित और नामांकन प्रतिधारण, और 6 से 14 साल के आयु समूह में बच्चों के समग्र विकास के संबोधित मुद्दों को पुरा करके अपने लक्ष्यों को हासिल किया है। सर्व शिक्षा अभियान को समर्थन करने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में हो चुके उद्धार में सुधार स्कूलों, शिक्षकों के क्षमता मे वृद्धि, नवीकरण / पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक और समग्र शैक्षणिक मे सुधार किया हे। हालांकि, प्राथमिक स्कूलों की कक्षाओं को अक्सर जहां शिक्षक केंद्रित हुआ पाया गया है।

- शिक्षक शायद ही बच्चों को जानने के लिए या अपने दम पर विकसित करने की स्वतंत्रता और कक्षा का चयन करने की अनुमति देता है।
- यह माना जाता है कि सभी बच्चों को एक ही समय में एक ही तरीके से एक ही बात सीखाई जाती हे।
- कक्षाओं मे वहु – उपरिस्तरिय और सामान्य स्तरीय प्रकृति की समस्याओं को संबोधित नहीं कि जाती है।
- शिक्षण अधिगम सामग्री (TLMs) शायद ही बच्चों के द्वारा कभी उपयोग मे लि जाति है।
- अधिकांश सामग्री स्वयं सीखने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती।
- एक लड़का / लड़की यदि वह कक्षा से अनुपस्थित कर दिया गया है तो वहाँ थोड़ा या ना के बराबर मौका हे उंनको पकड ने के लिये।
- परीक्षण का मूल्यांकन बच्चों की क्षमता को रटना जानने के लिए होता है।

गुजरात में जनवरी 2010 में इन मुद्दों के हल के लिए , प्रज्ञा, एक गतिविधि आधारित शिक्षण दृष्टिकोण (ABL), शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए और बच्चों के साथ काम करने का एक और अधिक समग्र और शिक्षार्थी आधारित तरीके से कक्षा खोलने का प्रयास किया गया है।

जिस से यह होगा कि:

- प्रत्येक बच्चे को सीखने योग्य के लिये सुनिश्चित करें।
- ये सुनिश्चित करें कि प्रत्येक बच्चे को एक अद्वितीय व्यक्ति के रूप में देखा गया है।
- बच्चों के समग्र विकास पर ध्यान दें ।

गुजरात के लिए प्रज्ञा परियोजना लाने हेतु.

प्राथमिक शिक्षा, राज्य परियोजना निदेशक के सचिव दल गुणवत्ता संवर्धन सेल (क्यू.ई.सी), सर्व शिक्षा अभियान और जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी (डीपीईओ) के सर्व शिक्षा अभियान के संयोजक, एवीएल मॉडल को समझने के लिए चेन्नई का दौरा किया गया था। जिसमे तमिलनाडु के सभी राज्य में 39000 सरकारी स्कूलों में सरकार द्वारा लागू किया गया है। कोर टीम के सदस्यों को छत्तीसगढ़ में भी स्कूलों कि कक्षा प्रक्रियाओं को समझने, सामग्री, प्रशिक्षण और निगरानी रणनीतियों का समज ने के लिए दौरा करने भेजा गया था। ईन योजना को लागु करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट द्वारा सीखने हेतु 2004-05 में यूनिसेफ द्वारा वलसाड और कच्छ में वहु स्तरीय, वहु - वर्गी कृत सीखने के लिये गुजरात में प्रज्ञा को शामिल करने के लिए आयोजित किया गया था।

'प्रज्ञा' शब्द का अर्थ

विभिन्न यात्राओं और बैठकों के माध्यम से विकसित समझ के आधार पर, राज्य के बच्चों के लिए गतिविधि आधारित दृष्टिकोण सार्थक निव एवम बुद्धिशीलता के दृष्टिकोण के लिए एक दिलचस्प नाम पाने के लिए किया गया था। जिसे उद्भव प्रज्ञा के रूप में गुजरात में शुरू किया गया हे जिसका मुल अर्थ प्रवृति द्वारा ज्ञान प्राप्त करना तथा प्रज्ञा कि कोर टीम के सदस्य भावेश पंड्या, सी आरसीसी, रंनपुर क्लस्टर, बनासकांठा के प्रकाश परमार (सीआरसीसी) किम क्लस्टर, सूरत द्वारा प्रज्ञा गित लिखा गया है। बच्चे प्रज्ञा स्कूलों में सुवह समय के दौरान इस गीत को गाते हैं। हालांकि शुरू में, कोर टीम 2012 में 18 सदस्यों शामिल थे, जिसकि संख्या वढ्कर 38 सदस्यों कि हो गई हे।

प्रज्ञा का उद्देश्य

- प्रत्येक लड़के / लड़की को पढ्ने के लिये उचित वातवरण प्रदान करना।
- बच्चों को अनुभव के माध्यम से जानने के लिए अवसर प्रदान करे।
- बच्चों को गतिविधि आधारित, तनाव मुक्त, मज़ा भरा शिक्षा प्रदान करें।
- बच्चों को एक साथ काम करने के लिए शिक्षकों और साथियों द्वारा प्रोतसाहित करे।
- विभिन्न प्रकार के क्षेत्र मे परियोजना का काम करने के लिए बच्चों को बढावा दे।
- हर बच्चे में दक्षता विकसित करे।
- बच्चे तनाव मुक्त हो जिसका सतत और व्यापक मूल्यांकन करे।
- शिक्षण अधिगम सामग्री (टीएलएम) से, शिक्षण रणनीतियों और पारंपरिक कक्षा प्रथाओं के आत्म मूल्यांकन के द्वारा शिक्षकों के दक्षताओं को एक काम करने के लिए बढावा दे।
- शिक्षकों की क्षमता ओर उसके निर्माण का आरंभ करे।
- विशेष जरूरतों वाले बच्चों को सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु ध्यान दे।
- सीखने के लिए वराबर और पर्याप्त अवसर प्रदान करे।
- साल के आखिर मे उसकी / उसके माता पिता के साथ हर एक बच्चे की प्रगति साझा कि चर्चा करे।

गुणवत्ता मानक

प्रज्ञा गुणवत्ता मे पैमाने पर हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से निम्न गुणवत्ता मानकों को यूनिसेफ के विशेषज्ञों द्वारा विकसित किए गया है।

मानक 1: बच्चो के विकास और शिक्षा सीखने के ज्ञान के आधार पर किया गया है। प्रज्ञा के पाठ्यक्रम कि समावेशी तथा उसका उत्तरदायी वातावरण स्वस्थ, सुरक्षित और एकीकृत होकर बनाया गया है।

मानक 2: बच्चों के खाते में और उनके साथ निर्मित पारस्परिक संबंधों के परिवारों और समुदायों की विशेषताओं को प्रासंगिक रुप से लिया गया है।

मानक 3 : बच्चों के लिए समावेशी और समान रुप से , चाहे उनकी सामाजिक, आर्थिक स्थिति, लिग , जाति, / क्षमताओं विकलांग, धर्म, भौगोलिक क्षेत्र, भाषा बोली जेसे मानकों में शिक्षकों को प्रत्येक प्रज्ञा कार्ड / गतिविधियों का मूल्यांकन करने मे मदद मिलेगी। वहाँ दोनों सामग्री और शिक्षण / रणनीति गतिविधि को सीखने के लिए विभिन्न मार्कर रखे गये हे। प्रत्येक कार्ड की रेटिग भी पूरे पैकेज के मूल्यांकन के बारे में दर्शाति है।

प्रज्ञा का दृष्टिकोण

कक्षा 1 और 2 के लिए प्रत्येक विषय के पाठ्यक्रम में फेरबदल कि गई हे। जटिल से सरल को लेकर विभिन्न गतिविधियों को लेकर कार्ड पर प्रतिनिधित्व कर रहे है। जिस्का एक दृश्य शामिल है ओर सभी कार्ड मे कहा जाता है एक सीढ़ी अनुक्रम में आयोजित किए गए हे। बच्चों को उनके सीखने की गति के अनुसार का चयन करने के लिए मदद मिलेगी। किसी भी अवधारणा को सीखने के लिए एक विशिष्ट अनुक्रम मे सीखने कि पध्धति होती हे।

- बच्चों को कार्ड से सीखाया जाता है।
- बच्चों के समूहों में खुद को उनके कार्ड पर प्रतीकों के अनुसार वितरित करना होता हे।
- हर कार्ड के नीचे बच्चे की स्थिति प्रगति चार्ट शिक्षक द्वारा दर्ज की गई थी। प्रगति चार्ट कक्षा में प्रदर्शित किया गया था।

सीढ़ी का निरीक्षण करें

एक गतिविधि के लिए एक ट्रे मे से एक कार्ड उठाओ

एक समूह का चयन करें

गतिविधि करने के लिए एक समूह में फर्श पर बैठे.

लगातार एक बच्चे की प्रगति का मूल्यांकन करे

प्रज्ञा कक्षा: कक्षा और कक्षा प्रक्रियाओं को प्रज्ञा दृष्टिकोण के आधार पर तैयार किया गया हे। वहाँ दो अलग - अलग वर्गों गुजराती और पर्यावरण अध्ययन के लिए एक (ईवीएस), और गणित और इंद्रधनुष गतिविधियों के लिए एक। प्रज्ञा स्कूलों में प्रत्येक वर्ग के लिए नियमित रूप से दो सरकारी शिक्षक थे। जबकि विषय शिक्षकों को एक ही बने रहे हे, बच्चों को वैकल्पिक दिनों पर उनकी कक्षाओं बदल दिया जाता है।

वैठने की व्यवस्था: बच्चों के साथ साथ, शिक्षकों को भी टेबल, कुर्सियों, बेंच या निश्चित फर्नीचर के उपयोग बजाय फर्श पर कालीन या आसनों पर बैठाया गया है।

बच्चों के समूह: बच्चों उनकी सीखने की गति को कक्षा के अनुसार छह समूहों में विभाजित किया गया और प्रत्येक में बैठाया गया है।पहले दो समूहों में, शिक्षक को बच्चों की गतिविधियों की अवधारणा को शुरू करना होगा। तीसरे और चौथे समूहों में, बच्चों को अपने साथियों की मदद से गतिविधियों को करना होगा। फिर 5 वे समूह में, बच्चों के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य प्रदर्शन, उसकी / उसके साथियों के समर्थन के बिना, स्वयं सीखने की आदत डालने के लिए कहा गया है। ईसके बाद बच्चे के प्रत्येक समूह को माध्यम से जानना होगा, वह / वे अवधारणा के साथ पूरी तरह से माना गया हे कि नहि इस तरह से शिक्षक द्वारा मूल्यांकन किया गया है।

प्रज्ञा किट

अग्रणी सामग्री के विकास के अंतर्निहित रणनीति थी कि बच्चों को शिक्षण सामग्री पाठ्यपुस्तकों का उपयोग करने के बजाय शिक्षण के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। प्रज्ञा के लिए सामग्री कोर टीम के सदस्यों द्वारा तैयार कि गई हे। ईस सामग्री के लिए पुन: प्रयोज्य कई उद्देश्यों के लिए उपयोगी हो सकती है। बच्चों, (जो सब के द्वारा उसका उपयोग किया जाए) लागत प्रभावी, अभिनव लेकिन सरल, बच्चे को पढाने के लिए लगता है जिसका उपयोग शिक्षक को प्रोत्साहित ओर सक्षम करने के लिए अनुकूलअधिक सामग्री को डिजाइन किया गया है।

विकास सीढ़ी और वर्गीकृत गतिविधि कार्ड कक्षा 1 और 2 में बच्चों के लिए विकसित किए गए है। वहाँ गुजराती, पर्यावरण अध्ययन, गणित और इंद्रधनुष गतिविधियों के लिए कार्ड के अलग अलग सेट बनाए गये है। कार्ड मे बड़े समूह, छोटे समूह और व्यक्तिगत गतिविधियों को शामिल किया गया हैं। उन्होंने यह शिक्षक, बच्चे और बच्चो कि सामग्री को वातचीत करने के हेतु को बढ़ावा देन के लिये दिया गया है। जिसका मूल्यांकन करने के लिए गुणवत्ता मानकों को यूनिसेफ द्वारा सामग्री बनाई गई है।

फ्लैश कार्ड वर्णमाला के अक्षरों को दर्शाती हुई.

स्व - अध्ययन के लिए एक प्रज्ञा पुस्तक

गुजराती के लिए सीढ़ी

दीवार पर समूह चार्ट को दर्शाती है जहां प्रत्येक समूह बैठते हैं

जो गतिविधियों के लिए कार्ड वाले लोगो के साथ विषय विशेष रैक बनाये गये है।

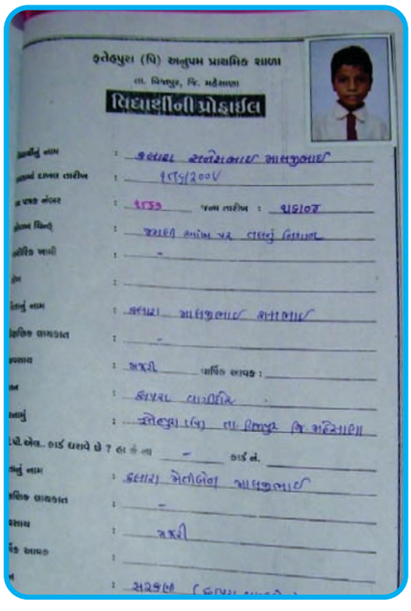

छात्र का प्रोफाइल

26 आइटम कि किट प्रज्ञा के भाग के रूप में आति हे।

1. विषय विशेष रैक और ट्रे
2. सीढ़ी
3. सीखना / गतिविधि कार्ड
4. दीवारों पर सभी तीन विषयों के लिए समूह चार्ट
5. पेंटिंग, ड्राइंग, मिट्टी मोल्डिग, आदि के रूप में इंद्रधनुष गतिविधियों.
6. 19 साल कि आयु से पेहले के लिये पाठकों कहानी की कितावें
7. सचित्र शब्दकोश
8. वर्णमाला फ्लैश कार्ड
9. छात्र काम की पुस्तक
10. शिक्षक हैंडवुक
11. छात्र प्रगति चार्ट
12. छात्र पोर्टफोलियो
13. विद्यार्थी का प्रोफ़ाइल
14. शिक्षण सामग्री बॉक्स (टीएलएम)
15. सीखने के फ्लेग
16. कार्ड
17. छात्रों के लिए स्लेट
18. शिक्षकों के लिए स्लेट
19. वोर्डों प्रदर्शित करने हेतु
20. खेल वोर्डों
21. ईवीएस परियोजना शीट्स
22. गणित अभ्यास वही
23. घर पर अतिरिक्त पढ़ने के लिए गुजराती वांचनमाला
24. ईवीएस मनन किताब
25. शिक्षकों और प्रशिक्षण सीडी के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल
26. वकालत सीडी, विज्ञापन सीडी और गीत

गुण्वत्ता मे सुधार का प्रयास जिसमेंशिक्षक साथी का प्रशिक्षण

13 अप्रैल, 2010 मे प्रथम गुजरात शिक्षा द्वारा पहल और सर्व शिक्षा अभियान के वीच एक समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। जो प्रज्ञा स्कूलों के लिये किया गया था, जहां यह पारस्परिक रूप से निर्णय लिया गया है कि सर्व शिक्षा अभियान की ओर से प्रथम शीशक (सह व्यक्तियों) में शिक्षकों और छात्रों का समर्थन करने के लिए साथी और जोनल समन्वयकों की भर्ती करेगा। 2500 आवेदन शिक्षक साथी और 130 पदों की भर्ती की के लिए प्राप्त हुए थे। साथी जोनल समन्वयकों द्वारा निगरानी के लिए। प्रत्येक समन्वयक के आसपास 10-15 साथी निगरानी के लिये रखे गये हे। समन्वयक द्वारा प्रत्येक व्लॉक में स्कूलों का दौरा किया जाएगा। एक जोनल समन्वयक कम से कम दो वार एक महीने के हर व्लॉक पर नजर रखने जाएगा। जोनल समन्वयकों, गांधीनगर में केंद्रीय कार्यालय में एक तीन सदस्यीय टीम की देखरेख के द्वारा होगी ओर् वरिष्ठ सदस्यों को भी प्रज्ञा के स्कूलों का दौरा करना होगा।

वढावा देने के लिये

वर्ष 2011 में प्रज्ञा ने एक वड़ा कदम आगे ले लिया हे, वर्ष के अंत तक, 2500 स्कूलों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को शुरू किया गया था। 2012 में, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 14621 प्रतिभागियों के आसपास और टेलीविजन आधारित सम्मेलनों,शिक्षकों, साथी, व्लॉक संसाधन व्यक्तियों और क्लस्टर संसाधन केंद्र समन्वयक सहित आसपास के लोगों को टेलीविजन सम्मेलनों के माध्यम से प्रज्ञा को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक शुरुआत की है। गुजरात में एक 30 मिनट के लिए ए.वि.एल पर वृत्तचित्र दूरदर्शन द्वारा फिल्माया गया था जिसे डीडी गिरनार चैनल पर 12 फरवरी और 15 पर जारी किया गया था।

आगे के लिए

- एवीएल स्कूलों पर अनुसंधान विज़ावी गैर वीएल स्कूलों मे वर्गे 1 से 5 तक को 2012-13 में आयोजित किया जाएगा।
- प्रज्ञा कक्षाओं मे वच्चों के लिए लिखने,पढ़ने को आसान वनाने के रूप में और वच्चे के अनुकूल सामग्री को जेसे कि फर्नीचर, चार्ट्स, पोर्टफोलियो शेल्फ का प्रावधान किया जा सकता है।

अध्याय - III

समुदाय का अभिप्रेरण

अध्याय -III

समुदाय का अभिप्रेरण

हमारे समुदाय में सबसे मूल्यवान संसाधन हमारे अपने लोग है। वे गांव और स्कूल के विकास के बारे में निर्णय कर सकते हैं। समुदाय की पहचान करने और स्कूल के विकास में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने के लिए उंनकि एक महत्वपूर्ण भूमिका है। हम इस समुदाय को एक साथ जुटना चाहते हैं, जहां लोग उनकि योजना के बारे मे बातें कर सकते हैं। वे पहल लेते हैं, उनके समुदाय और उनके जीवन को बदलने कि। आरटीई अधिनियम 2009 धारा 21 के संविधान और स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) के कार्य के लिए विस्तार से जानकारी प्रदान कि गई है। एसएमसी की स्थापना देश के लगभग सभी शिक्षा आयोग और नीति निर्माताओं की सिफारिश के द्वारा की गई है। तैयार एसएमसी का उद्देश्य यह है कि अगर समुदाय को देश के विशाल स्कूल प्रणाली में शामिल कर दिया, और अगर माता पिता को अपने बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक हितधारकों के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु एक सार्थक ढंग से शामिल किया जाना चाहिए और वे हि स्कूल की निगरानी और प्रबंधन रखने हेतु काम कर सकते है। आरटीई अधिनियम मे इसलिए उनकि परिकल्पना की गई है कि माता - पिता को स्कूल प्रबंधन समिति में बहुमत के रूप में शामिल किया जाएगा। जो भी स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचित सदस्यों और स्थानीय शिक्षाशास्त्री या स्कूल में बच्चों को भी शामिल करना होगा। वहाँ हर एक व्यक्ति को विश्वास है ईस तरह से अच्छी तरह से देश के कुछ भागों में कार्य हुए हे ओर उनमे सफलता प्राप्त हुई हे, हमारे समुदाय मे एसएमसी के गठन द्वारा स्कूली शिक्षा प्रणाली मे सुधार के लिए सहि तरह से नेतृत्व कर सकते है।

स्कूल प्रबंधन समिति की संरचना

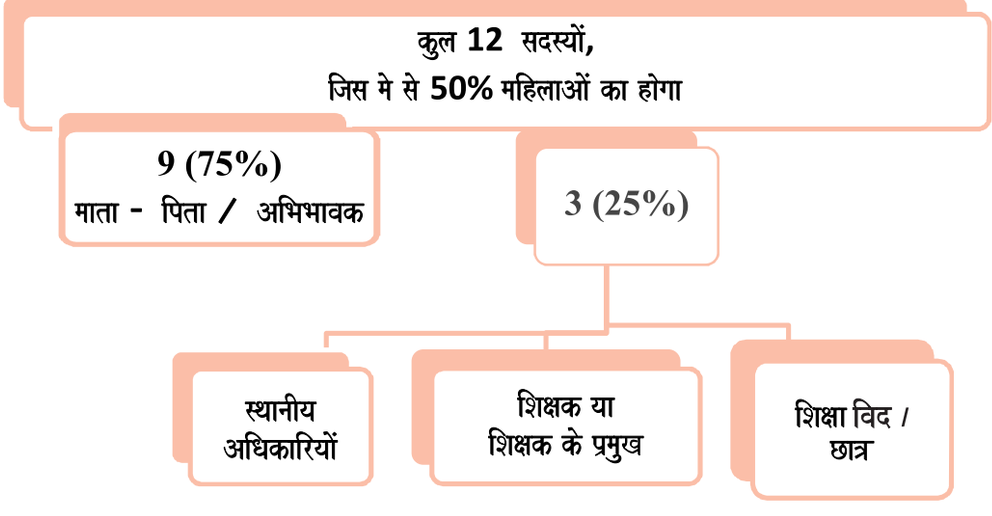

स्कूल प्रबंधन समिति निम्नलिखित कार्यों को करेगा: स्कूल के काम की निगरानी के लिए, उपयुक्त सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त अनुदान के उपयोग की निगरानी के लिए और इस तरह के अन्य कार्य के रूप में निर्धारित किया जा सकता है। हर एसएमसी स्कूल विकास योजना तैयार करेगा; स्कूल विकास योजना मूल रूप से स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा की गुणवत्ता, इक्विटी, बाहर के स्कूल के बच्चों, स्कूल प्रबंधन, मध्याह्न भोजन आदि की शिक्षा के लिए आवश्यक मानव संसाधन की सूचना पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

एसएमसी का गठन

क्रमांक	जिला	स्कूलों की संख्या	मौजूदा एसएमसी की कुल संख्या
1	अहमदाबाद	952	952
2	अमरेली	809	809
3	आणद	1154	1154
4	बनासकाँठा	2362	2362
5	भरूच	968	968
6	भावनगर	1203	1203
7	दाहोद	1753	1753
8	डांग	683	683
9	गांधीनगर	1442	1442
10	जामनगर	1356	1356
11	जूनागढ	1716	1716
12	खेड़ा	1762	1762
13	कच्छ	1065	1065
14	मेहसाणा	741	741
15	नर्मदा	772	772
16	नवसारी	2458	2458
17	पंचमहाल	842	842
18	पाटण	330	330
19	पोरबंदर	1358	1358
20	राजकोट	2601	2601
21	साबरकांठा	1087	1087
22	सूरत	1012	1012
23	तापी	865	865
24	सुरेन्द्रनगर	401	401
25	वडोदरा	2402	2402
26	वलसाड	1059	1059
27	ए.एम.सी.	478	478
28	आर.एम.सी.	88	88
29	वी.एम.सी.	283	283
30	एस एम. सी.	114	114
	कुल	34116	34116

समुदाय का प्रशिक्षण:

स्कूल प्रबंधन समिति और पंचायती राज संस्थान के सदस्यों को दो चरणों में प्रशिक्षण आयोजित करना होगा, चरण 1 जून 2011 में और चरण – 2 नवंबर 2011 में। 29 गैर - सरकारी संगठनों कि जिला / निगम के द्वारा पसन्द की गई है। उनमें से कुछ संगठन यूनिसेफ, एआईएफ और उनके साथी गैर सरकारी संगठनों कि है।

चरण 1 और 2 मे एसएमसी और पी.आर.आई का वर्ष 2011-12 गुजरात राज्य में प्रशिक्षण

क्र.सं.	जिले का नाम	स्कूल	एसएमसी	एसएमसी सदस्यों की कुल संख्या	प्रशिक्षित सदस्यों की कुल संख्या		महिलाओं को प्रशिक्षित सदस्यों की संख्या		पंचायती राज प्रशिक्षित सदस्यों की संख्या		प्रशिक्षण की अवधि
					चरण -1	चरण-2	चरण -1	चरण-2	चरण-1	चरण-2	
1	अहमदाबाद	**952**	**952**	**11424**	**17016**	**10384**	**8224**	**4725**	**516**	**850**	**2day**
2	अमरेली	**809**	**809**	**9708**	**9797**	**8128**	**4464**	**3332**	**721**	**800**	**2day**
3	आणद	**1154**	**1154**	**13848**	**27315**	**11937**	**13375**	**6175**	**1100**	**150**	**2day**
4	बनासकाँठा	**2362**	**2362**	**28344**	**24933**	**19204**	**17854**	**7804**	**2000**	**2350**	**2day**
5	भरूच	**968**	**968**	**11616**	**11517**	**8684**	**4289**	**3610**	**875**	**900**	**2day**
6	भावनगर	**1203**	**1203**	**14436**	**13648**	**11892**	**5650**	**6167**	**852**	**1000**	**2day**
7	दाहोद	**1753**	**1753**	**21036**	**18900**	**17091**	**7763**	**7155**	**1619**	**1690**	**2day**
8	डांग	**401**	**401**	**4812**	**4411**	**3695**	**1805**	**1754**	**314**	**350**	**2day**
9	गांधीनगर	**683**	**683**	**8196**	**7389**	**7411**	**2856**	**5193**	**589**	**600**	**2day**
10	जामनगर	**1442**	**1442**	**17304**	**13288**	**13748**	**5633**	**6973**	**1100**	**1230**	**2day**
11	जूनागढ़	**1356**	**1356**	**16272**	**16079**	**15616**	**7774**	**6694**	**987**	**1180**	**2day**
12	खेड़ा	**1762**	**1762**	**21144**	**21632**	**18211**	**10686**	**8928**	**1598**	**1630**	**2day**
13	कच्छ	**1716**	**1716**	**20592**	**15782**	**12990**	**9561**	**6210**	**1029**	**1060**	**2day**
14	मेहसाणा	**1065**	**1065**	**12780**	**20579**	**3229**	**10337**	**1592**	**1003**	**405**	**2day**
15	नर्मदा	**741**	**741**	**8892**	**8256**	**8928**	**4124**	**4457**	**537**	**119**	**2day**
16	नवसारी	**772**	**772**	**9264**	**8412**	**6633**	**4309**	**4126**	**700**	**730**	**2day**
17	पंचमहाल	**2458**	**2458**	**29496**	**33362**	**27726**	**15355**	**13114**	**2475**	**2000**	**2day**
18	पाटण	**842**	**842**	**10104**	**9684**	**8826**	**3228**	**3335**	**789**	**800**	**2day**
19	पोरबंदर	**330**	**330**	**3960**	**4205**	**3761**	**1024**	**1910**	**305**	**300**	**2day**
20	राजकोट	**1358**	**1358**	**16296**	**17298**	**16729**	**8109**	**8021**	**1193**	**1000**	**2day**
21	सावरकांठा	**2601**	**2601**	**31212**	**28517**	**24147**	**16515**	**11577**	**1657**	**1346**	**2day**
22	सूरत + तापी	**1952**	**1952**	**23424**	**16872**	**16274**	**7929**	**8098**	**1025**	**699**	**2day**
23	सुरेन्द्रनगर	**1012**	**1012**	**12144**	**10060**	**7729**	**4944**	**3345**	**800**	**1000**	**2day**
24	वडोदरा	**2402**	**2402**	**28824**	**15782**	**22581**	**9561**	**11612**	**2029**	**2000**	**2day**
25	वलसाड	**1059**	**1059**	**12708**	**12081**	**11394**	**5812**	**5698**	**786**	**4989**	**2day**
26	एएमसी	**478**	**478**	**5736**	**5588**	**5318**	**4196**	**3116**	**120**	**100**	**2day**
27	आरएमसी	**88**	**88**	**1056**	**1662**	**647**	**949**	**375**	**50**	**60**	**2day**
28	वीएमसी	**114**	**114**	**1368**	**921**	**877**	**540**	**581**	**70**	**70**	**2day**
29	एसएमसी	**283**	**283**	**3396**	**3102**	**3372**	**1708**	**1579**	**100**	**110**	**2day**
	कुल	**34116**	**34116**	**409392**	**398088**	**327162**	**198574**	**157256**	**26939**	**29518**	

एसएमसी 2011-12 के दौरान प्रशिक्षण

छात्रों द्वारा ग्रामीण समुदाय के लिए जागरूकता कार्यक्रम

एसएमसी - पंचायती राज मॉड्यूल

चरण - I

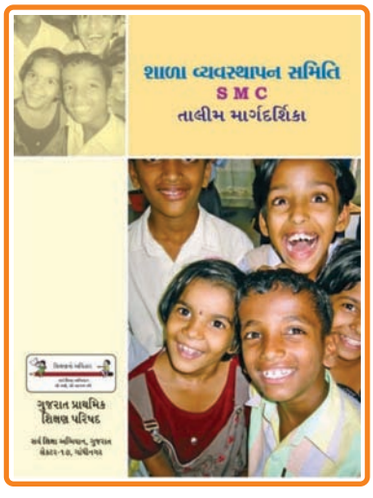

અનુક્રમણિકા

આભાર		
અનુક્રમણિકા		
૧.	આર ટી ઈ ૨૦૦૯ અને એસ. એમ. સી.	૧
	એસ. એમ. સીનું માળખું	
	એસ. એમ. સીનાં કાર્યો અને ફરજો	
૨.	પ્રવેશ (નામાંકન) હાજરી, સ્થાયીકરણ	૧૧
૩.	કન્યા શિક્ષણ - KGBV, NPEGEL	૧૩
૪.	શાળા પર્યાવરણ	૧૬
૫.	ગ્રિસાબી અને નાણાંકીય કામગીરી	૧૮
૬.	ગુણવત્તાલક્ષી શિક્ષણ	૨૧
	પ્રજ્ઞા અભિગમ	
	એડેપ્ટ્સ	
૭.	વિકલાંગ બાળકો માટે સંકલિત શિક્ષણ	૨૫
૮.	સંશોધન, મૂલ્યાંકન અને મોનિટરીંગ-સુપરવિઝન	૨૮
૯.	શાળા બાંધકામ અને રિપેરીંગ	૩૦
૧૦.	વૈકલ્પિક શિક્ષણ - સ્પેશિઅલ ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ	૩૨
૧૧.	મધ્યાહ્ન ભોજન યોજના	૩૫
૧૨.	શાળાકીય માહિતી અને તેનો ઉપયોગ	૩૮
૧૩.	વંચિત જૂથનાં બાળકોનું શિક્ષણ	૪૧

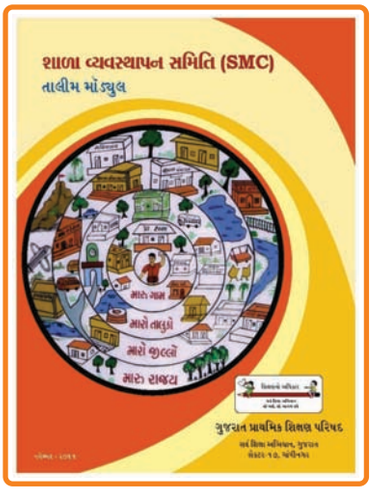

चरण - II

અનુક્રમણિકા

ક્રમ	વિષયાંગ	પાના નં.
	પ્રસ્તાવના	
	મારું પૂરું નામ શું છે?	
૧	સમાનતા (Equality)	૦૧
૨	ભેદભાવ (Discrimination)	૦૪
૩	સ્થાનિક મુશ્કેલીઓ અને ક્ષમતાઓ (Local Problems and Capabilities)	૦૭
૪	બાગબાની (અમારી શાળાનો બગીચો) (School Gardening)	૧૪
૫	તંદુરસ્તી, સ્વાસ્થ્ય અને સ્વચ્છતા (Health and Hygiene)	૧૮
૬	સ્થાનિક સંસાધન (માનવીય પર્યાવરણ સાંસ્કૃતિક અને ભૌતિક) નો શાળામાં ફાળો (Contribution of Local school resources - Human, Environmental, Cultural and Physical)	૨૩
૭	પ્રસંગોના આયોજન અને ઉજવણીમાં સમુદાયની સામેલગીરી (Involvement of Community in Event Planning and its celebrations)	૨૭

ક્રમ	વિષયાંગ	પાના નં.
૮	પ્રેરણા (વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષકો, અન્ય) Motivation (Student, Teachers and Others)	૩૧
૯	દસ્તાવેજીકરણ (Documentation)	૩૪
૧૦	ગુણવત્તા અભિવૃદ્ધિ (Quality Enhancement)	૩૮
૧૧	શાળા વ્યવસ્થાપનમાં સામેલગીરી (Involvement in School Management)	૪૧
૧૨	કોમ્પ્યુટર દ્વારા શિક્ષણ (Computer Aided Learning)	૪૪
૧૩	વિકલાંગ બાળકો માટેનું સંકલિત શિક્ષણ (Integrated Education for Disabled Children - IED)	૪૫
૧૪	વૈકલ્પિક શિક્ષણ વ્યવસ્થા (Alternative Schooling)	૪૭
૧૫	મધ્યાહ્ન ભોજન યોજના (Mid Day Meal)	૪૮
૧૬	શાળા (SMC)ને આપવામાં આવતી ગ્રાન્ટ (Grants given to the school - SMC)	૫૫
૧૭	સર્વાંગી શાળા વિકાસ યોજના (Whole School Development Plan - WSDP)	[illegible]

અનુક્રમણિકા

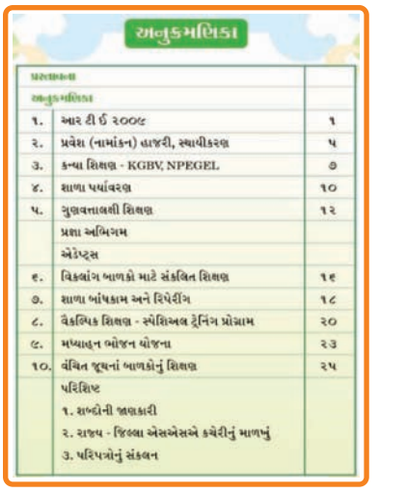

પ્રસ્તાવના		
અનુક્રમણિકા		
૧.	આર ટી ઈ ૨૦૦૯	૧
૨.	પ્રવેશ (નામાંકન) હાજરી, સ્થાયીકરણ	૫
૩.	કન્યા શિક્ષણ - KGBV, NPEGEL	૭
૪.	શાળા પર્યાવરણ	૧૦
૫.	ગુણવત્તાલક્ષી શિક્ષણ	૧૨
	પ્રજ્ઞા અભિગમ	
	એડેપ્ટ્સ	
૬.	વિકલાંગ બાળકો માટે સંકલિત શિક્ષણ	૧૬
૭.	શાળા બાંધકામ અને રિપેરીંગ	૧૮
૮.	વૈકલ્પિક શિક્ષણ - સ્પેશિઅલ ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ	૨૦
૯.	મધ્યાહ્ન ભોજન યોજના	૨૩
૧૦.	વંચિત જૂથનાં બાળકોનું શિક્ષણ	૨૫
	પરિશિષ્ટ	
	૧. શબ્દોની જાણકારી	
	૨. રાજ્ય - જિલ્લા એસએસએ કચેરીનું માળખું	
	૩. પરિપત્રોનું સંકલન	

अध्याय - IV

बालिका शिक्षा, एनपीईजीईएल और केजीबीवी

अध्याय -IV

बालिका शिक्षा, एनपीईजीईएल और केजीबीवी

वालिकाओं की शिक्षा:

सर्व शिक्षा अभियान, एनपीईजीईएल और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के लक्ष्यों को शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक लिंग असमानता की कमी के रूप में विशेष ध्यान दे रहा हैं। कम नामांकन, और लड़कियों जो विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित हे ओर परिलक्षित समूहों की अवधारण मे शामिल हे। गुजरात मे विशिष्ट रणनीतियों को अपनाया गया है, जिनमे लड़की के पहोंच, नामांकन और स्कूलों अवधारण को बढ़ावा में वृद्धि हो। लैंगिक मामलों के प्रति संवेसनशील पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को विकसित किया गया। सभी नए स्कूल भवनों मे लड़कियों के लिए अलग शौचालय विकसित किय ग़् है। लडकियों को अपने छोटे भाई-बहन की देखभाल के प्रश्न को हल करने में सहायता प्रदान करते हुए अर्ली चाइल्डहुड केर सेन्टर्स (ईसीसीई) की स्थापना की गई, जिससे वें नियमित रूप से पाठशाला जा सके। केजीबीवी अपनी सीटों के लिए उन्नत कर रहे हैं।

स्थानिय विशिष्ट ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए लैंगिक शिक्षा कार्यनीति रचना की जिम्मेदारी राज्य संसाधन समूह एवं जिला संसाधन समूहों को सौंपी गई। पोस्टर, हैंडबुक, और ब्रोशर के रूप में लैंगिक जागरूकता सामग्री को विकसित किया गया है । शिक्षकों, मास्टर ट्रेनर्स और बीआरसी और सीआरसी पदाधिकारियों के लिए लैंगिक प्रशिक्षण मॉड्यूल भी विकसित किया गया है। केजीबीवी के शिक्षकों के लिए उसी तरह के प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किये गए है।

कार्यक्रम मे समुदायों, विशेष रूप से महिलाओं को सक्षम करने के लिए कार्यक्रम के हर पहलू में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा ने के निर्णायक महत्व दिया गया है। इस दिशा में एनपीईजीईएल में एसएमसी और एमसीएस समितियों के रूप में गांव स्तर पर स्थानीय निकायों के लिए अपने क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी लेने का अधिकार दिया गया है। समुदाय की गहन क्षमता निर्माण, अर्थात् समूहों महिलाओं, महिला सरपंचों और पंचायत सदस्यों को लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान देने के साथ किया गया है। इसके अलावा, समुदायों और महिला संगठनों जुटाना और स्कूल प्रवंधन में लड़कियों पर विशेश ध्यान देने का काम भि किया गया हे जिससे उनको आगे पढ्ने मे बढावा मिले।

प्राथमिक शिक्षा में लिंग असमानताओं को कम करने हेतुगुजरात ने, यह महसूस किया गया है कि महिलाओं की वास्तविक सशक्तिकरण शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। माताओं को पहले शिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वे अपनी बेटियों को शिक्षित करने के महत्व के वारे में समज पाए। मौजूदा और शैक्षिक उपयोग में लिंग और सामाजिक असमानताओं की कमी पर बुनियादी जोर देने के लिए, जीसीईपी विभिन्न उपायों की कोशिश कर रहा है सर्व शिक्षा अभियान के तहत लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। लगातार प्रयासों के लिए लोगों को सामान्य रूप में, और विशेष रूप से महिलाओं को प्रेरित करने के लिए अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए किया गया है। यह प्राथमिक शिक्षा के लिए पीढ़ी की मांग को बढवा देने कि कोशिश हे।

जिस ब्लोक एव कलस्तर मे जिन लडकियों का पढ्ने का प्रमाण कम हे उन्हमे जागृकता फेलाने का प्रयास किया गया हे। माँ - बेटी संमेलन को सभी जिलों में आयोजित किया गया हे। रैलियों, कठपुतली फिल्मों, महिलाओं के मुद्दों पर अन्य शैक्षिक फिल्में, महिलाओं के शिविर के रूप में अच्छी तरह से जुटाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। स्कूल की गतिविधियों को मिना अभियान कार्यक्रम के तहत मासिक गतिविधि से लड़कियों मे शिक्षा छोड़ने वालों की दर में कमी आई हैं।

मीना अभियान

मीना अभियान गतिविधियों से 18920 स्कूलों में लड़कियों की शिक्षा मे ड्रोप आउट दर में कमी करने के लिए आयोजित किए गए हे। इस गतिविधि में मीना (वर्ग 1 से 4) मंत्रिमंडलों और मीना मंच (वर्ग.5 से 8 छात्र के लिए) का आयोजन किया गया हे। मीना एक शिक्षा बढ़ाने कि भूमिका का मॉडल है जो सशक्त और प्रबुद्ध है। वह जागरूकता कि एक प्रतीक है और बच्चों के अधिकारों पर सामाजिक जागरूकता पैदा करने का काम करती है। वह "बुद्धिमान" और एक प्रत्यक्षवादी है। उसकी बुद्धि और सकारात्मक दृष्टिकोण उसे वास्तविक जीवन की समस्याओं के लिए समाधान खोजने के लिए सहाय करता है। मिना उसके माता-पिता, दादा-दादी, भाई राजू और बहन रानी के साथ रहती है। उसका तोता मिठठु उसका सबसे अच्छा दोस्त है। मिना हर दिन स्कूल के लिए चलि जाती है और उसे कई सपने और मन में सवाल आते है। वह एक नौसिखिया है।

मीना, एक एनिमेटेड कार्टून श्रृंखला के युवा नायिका हे। जिनमे लड़कियों कि कई समस्या को दिखाया गया हे। जेसे वेटे कि चाहत, जल्दी विवाह, शिक्षा के अवसर के अभाव, भाई कि देखभाल जेसे चेहरे का सामना करती हे।

राज्य में सक्रिय रूप से कार्य कर ने के लिए मीना क्लव का गठन किया है। मीना क्लव मे स्कूल की लड़कियों को शामिल किया गया हैं जिनमे स्कूल के लिए उनकी प्रारंभिक शिक्षा का चक्र पूरा करने के लिए अपनी वेटियों को फिर से स्कुल मे दाखिला देने के लिए वे उनके माता पिता से आग्रह करते हे।

मीना क्लव स्कूल की लड़कियों के उच्च प्राथमिक स्कूलों में दाखिला लेने के लिए पहल ओर अपने गावों में वालिका शिक्षा को वढ़ावा देने के लिए एक मंच है। जिनमे वे खुद को अभिव्यक्त करने के लिए, जीवन कौशल सीखने और नेतृत्व के गुणों का विकास के लिए बनाया गया है।

जहाँ तक मीना अभियान के प्रभाव कि वात है, उसमे ये यह देखा गया है कि सभी क्षेत्रों और वर्गों से लड़कियों की वहुत जीवंत भागीदारी आयी है। जिनमे इन लड़कियों को भी सामाजिक महत्व के मुद्दों को उठा ने को केह रहे हे। मीना अभियान मंच लड़कियों को शक्ति प्रदान कर रहा है।

मीना प्रोग्राम का उद्देश्य:

- लड़कियों के लिए जीवन कौशल को विकसित करने के लिए।
- लड़कियों को विशिष्ट दिनों के उत्सव में शामिल किया है, जिसमे उत्सव के अलग अलग दिनों व्यक्तियों के तार्किक के वारे में समझ आति हे।
- दृष्टिकोण के प्रति उनके नजरिए को विकसित करना।
- व्यावसायिक प्रशिक्षण के महत्व को समझने में लड़कियों को सक्षम किया जाता हे।
- लड़कियों का प्रतिधारण दर में सुधार करने के लिए।
- स्कुल छोड़ ने से लड़कियों को रोकना।
- नियमित रूप से स्कूल मे जाने के लिए लड़कियों के दृष्टिकोण को वदल ने के लिए।
- लिंग परिप्रेक्ष्य दृश्य और वर्ग कमरे लेनदेन पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए।
- मीना के लिए नियमित रूप से छात्रों और उनके संरक्षक को लिए प्रेरित करने के लिए एक अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियों को व्यवस्थित करने के लिए और मीना संघ का गठन करने के लिए समुदाय की भागीदारी को वढ़ाने के लिए कहा गया हे। ।

- मासिक गतिविधि कैलेंडर को तैयार करने के लिए और विकसित कैलेंडर पर आधारित गतिविधि संचालित करने के लिए कहा गया हे।

अखिल भारतीय हस्त कला प्रदर्शन

प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीईजीईएल)

प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम / सर्व शिक्षा अभियान के एक अलग और विशिष्ट लैंगिक घटक योजना के रूप में विशेषाधिकार प्राप्त वंचित वर्ग से आठवीं तक मैं लड़कियों के तहत शिक्षा के लिए बनाई गई है। लिंग घटक शैक्षिक रूप से पिछड़े इलाकों में लड़कियों के लिए प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। ये योजना निम्नलिखित क्षेत्रों में लागू होती है;

- शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लाकों (ईबीबी), एक ब्लॉक है जहां ग्रामीण महिला साक्षरता का स्तर राष्ट्रीय औसत से भी कम है और लैंगिक अंतर राष्ट्रीय औसत से ऊपर है।
- ब्लाकों के जिलों में कम से कम 5% अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति महिला साक्षरता दर 10% से नीचे है।
- चुनि गई शहरी विस्तार की झुपडपट्टीयां।

गुजरात में एनपीईजीईएल को 78 ग्रामीणमे, 11 ईबीबी मे, और 32 शहरी समूहों मे जो कुल 1584 समूहों में कार्यांन्वत किया गया है, जिसमें से 1146 मॉडल क्लस्टर स्कूल (एम सी एस) की स्थापना कि हैं। साल 2010-11 के तहत 12,79,349 लड़कियों लाभ हो रहे हैं आर टी.ई अधिनियम, 2009 के संदर्भ में, समूहों की संख्या 1146 से 1584 क्लस्टर तक वढ़ गई हे। एनपीईजीईएल गतिविधियों को और वजट क्लस्टर को राज्य सरकार द्वारा बनाए गए है। प्रत्येक क्लस्टर पर लड़की के अनुकूल गतिविधियों के लिए 1 मोड्ल कलस्टर स्कुल है। मोड्ल कलस्टर स्कुल मे एक अतिरिक्त कक्षा, विद्युतीकरण, पानी और शौचालय की सुविधा है।

राज्य और जिला स्तर पर 1 मोड्ल कलस्टर स्कुलको सर्व शिक्षा अभियान के लिंग इकाई करने के लिए एनपीईजीईएल मे कार्यान्वयन किया गया है। एनपीईजीईएल ब्लॉकों की निगरानी बीआरसी और सीआरसी के द्वारा कि जाति है।

एनपीईजीईएल ब्लाक- गुजरात राज्य (2011-12)

1.ब्लॉकों की संख्या: 78 ग्रामीण ब्लाकों

2. क्लस्टर की संख्या को कवर: 1552 ग्रामीण समूहों

3. मॉडल क्लस्टर स्कूल की संख्या: 1584

4. मॉडल क्लस्टर स्कूल में लड़कियों की संख्या को कवर: 12,79,349

5. शहरी मलिन वस्तियों की संख्या: 11 शहरी मलिन वस्तियों

6. शहरी मलिन वस्तियों में समूहों की संख्या: 32 शहरी समूहों

1584 क्लस्टर स्कूल के प्रत्येक में आयोजित मुख्य गतिविधियों कि विगत नीचे दि गई हैं:

क्र.सं.	मेजर गतिविधि के प्रमुख	राज्य द्वारा आयोजित गतिविधियों
1	MCS गतिविधियों:	▪मीना अभियान: नियमित उपस्थिति, प्रतिधारण और प्राथमिक शिक्षा मीना मामले में शिक्षा को लड़कियों में बढ़ावा देने के लिए 7650 स्कूलों में मासिक गतिविधियों को नियमित रुप से अयोजित किया जाता है। ▪प्रत्येक क्लस्टर के 3 स्कूलों में आत्मरक्षा प्रशिक्षक जूडो - कराटे, आदि जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रम का अयोजन करता है । ▪मोमबत्ती बनाने की, अगरबत्ती, ग्लास पेंटिग, कढ़ाई और हस्तशिल्प.प्रशिक्षण दिया जात है। ▪लड़कियों की सराहना के लिए प्रदर्शन आयोजित किए गए है। जिनमे उनके नामांकन, प्रतिधारण, और उनके सीखने के परिणामों के लिए गए उन्हे बढावा दिया जात है। क्लस्टर स्तर मे से औसत 50 लड़कियों को प्रदर्शन मे भाग लेने का अवसर मिलता है।
2	बचपन की देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई):	▪ 760 ईसीसीई केन्द्रों को स्कूल तत्परता के लिए बच्चों को तैयार करने के लिए और भाई की देखभाल के मुद्दे को सुलझाने के लिए ईसीसीई केन्द्रों को एनपीईजीईएल ब्लॉक में खोला जा रहा हैं। ईस योजना से लडकियो के नामांकन में वृद्धि हुई है।
3	स्कूल की लड़कियों को स्कुल के वाहर दिया गया काम	▪ सशक्तिकरण शिविर से स्कूल की लड़कियों को स्कूल में दाखिला लेने के ओर से आकर्षित करने के लिए आयोजित की गई है। ▪ एसटीपी में लड़कियों के लिए जो उचित उम्र वर्ग में सीधे या केजीवीवी में स्कूल में दाखिला लिया जा सकता है।
4	समुदाय जुटाना	लड़कियों की शिक्षा के मुद्दों पर मां - वेटी सम्मेलन, महिला दिवस समारोह के माध्यम से जागरूकता गतिविधियों वढावा दिया गया है।

प्रारंभिक वाल देखभाल शिक्षा केंद्र (ईसीसीई)

लड़कियों के भाई की देखभाल की समस्या पर कावू पाने के लिए और प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक शिक्षा को ईसीसीई केंद्रों के वीच संवंधों को प्रदान करने के लिए जहां एक किलोमीटर क्षेत्र या वस्तियों को आईसीडीएस द्वारा कवर नहीं किया गया या जहा पे आंगनवाडी मौजूद नहीं हैं वहा पे ईसीसीई के केन्द्रो को खोला जाएगा। वर्ष के दौरान, 2450 ईसीसीई केन्द्रों के एलिमेंट्री एज्युकेशन गुजरात परिषद,मे 53,195 वच्चों की संख्या का दाखिला चालू हे। 3-6 वर्ष की आयु समूह के सभी वच्चों को वचपन की देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) मुख्यधारा द्वारा किया जा रहा है।

वर्ष वार ईसीसीई कि प्रगति का चार्ट

वर्ष	ईसीसीई केन्द्रों की संख्या
2005-06	5185
2006-07	5268
2007-08	5508
2008-09	4352
2009-10	3256
2010-11	2984
2011-12	2450

ईस डेटा के ऊपर से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि ईसीसीई केन्द्रों की संख्या आने वाले वर्ष में कम कर रहे हैं। ईसका मुख्य कारण यह है कि जहां आंगन वाड़ी केन्द्रों को खोला या वंद किया जा रहा है वहा ईसीसीई के वच्चों को सीधे आंगन वाड़ी में नामांकित किया जाएगा।

परिचालन केंद्र

रेगिस्तान, पहाड़ी क्षेत्रों, बिखरे हुए दूरस्थ बस्तियों को वन क्षेत्रों जैसे कठिन भौगोलिक क्षेत्रों के आदिवासी बेल्ट, बहुत से वंचित अल्पसंख्यक समुदाय, खानाबदोश समुदायों के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के रूप में इस तरह के आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में चल रहे हैं। (छोटे भाई - बहनों की देखभाल)

क्रियाएँ:

समुदाय को जुटाने के लिए।

गतिविधि आधारित सीखने की प्रक्रिया के लिए।

प्रभावी मूल्यांकन के लिए।

अवधारणा सामग्री और शैक्षिक खिलौने विकसित कर रहे हैं।

ईसीसीई श्रमिक संज्ञानात्मक मे यूनिसेफ के समर्थन के साथ शारीरिक और मानसिक विकास के आधार पर मॉड्यूल कि तैयारी के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है।

क्र.सं.	जिले का नाम	ईसीसीई केंद्र की सं.			वच्चों की संख्या		
		एसएसए	एनपीईजीईएल	कुल संख्या	लड़कों	लड़कियों	कुल संख्या
1	अहमदाबाद	95	34	129	1345	1374	2719
2	अमरेली	82	28	110	1217	1194	2411
3	आणद	128	0	128	1500	1438	2938
4	बनासकाँठा	36	56	92	1016	891	1907
5	भरूच	86	0	86	957	906	1863
6	भावनगर	62	83	145	1426	1444	2870
7	दाहोद	0	0	0	0	0	0
8	डांग	47	0	47	610	589	1199
9	गांधीनगर	81	2	83	945	868	1813
10	जामनगर	51	8	59	657	702	1359
11	जूनागढ़	106	56	162	1764	1628	3392
12	खेड़ा	106	11	117	1423	1305	2728
13	कच्छ	38	35	73	902	837	1739
14	मेहसाणा	70	29	99	1178	1226	2404
15	नर्मदा	4	0	4	37	33	70
16	नवसारी	83	2	85	880	914	1794
17	पंचमहाल	145	131	276	2923	2888	5811
18	पाटण	22	23	45	432	373	805
19	पोरबंदर	117	0	117	1159	1251	2410
20	राजकोट	67	32	99	1038	954	1992
21	साबरकांठा	121	16	137	1610	1555	3165
22	सूरत	11	5	16	115	146	261
23	सुरेन्द्रनगर	30	63	93	1022	936	1958
24	वडोदरा	180	51	231	2544	2650	5194
25	वलसाड	17	0	17	202	191	393
	कुल संख्या	**1785**	**665**	**2450**	**26902**	**26293**	**53195**

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी)

सर्व शिक्षा अभियान के उपयोग को बढ़ावा देने और लड़कियों की अवधारण को सुविधाजनक बनाने के लिए महिलाओं और बालिकाओं की शिक्षा के क्षेत्र में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना है। यह भी लड़कियों के लिए विभिन्न उपायों, जो उनके सशक्तिकरण के लिए प्रासंगिक माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देता है। इस प्रकार, सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात का काम स्कूली शिक्षा में अधिक से अधिक असमानताओं के उन्मूलन पर अंतत: करना है।

भारत सरकार ने अगस्त 2004 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दुर्गम क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों के लिए मुख्य रूप से बालिकाओं के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) योजना का शुभारंभ किया हे। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की योजना एक अलग योजना के रूप में भाग देता हे।

लेकिन सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीईजीईएल) और पहले दो साल के लिए महिला समाख्या (एमएस) के साथ सदभाव में है, लेकिन 1 अप्रैल, 2007 के बाद से के उस कार्यक्रम के एक अलग घटक के रूप में सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के साथ विलय कर दिया गया है।

गुजरात में इस योजना के विकास के लिए कदम कि पहल

गुजरात ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय वर्ष 2004-05 से हि शुरू कर दिया है। कुल 30 शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लोकों की पहचान कि है। 17 जिलों को कवर करने और परियोजना मंजूरी बोर्ड (PAB) की बैठक में पेश की गई है और यह ऋण स्वीकृत किया जाता है। 2004-05 में कुल दाखिला संख्या में 1533 लड़कियों ने स्कुल मे दाखिला लिया था। आरटीई अधिनियम 2009 के संदर्भ में अतिरिक्त 23 केजीबीवी परियोजना मंजूरी बोर्ड मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लिए प्रस्तावित किया गया है और इसे मंजूर किया गया हे जिसका परिचालन 1 जनवरी, 2011 से लागु है। राज्य में कुल 86 परिचालन केजीबीवी की संख्या थी। 86 केजीबीवी मे से 43 केजीबीवी मॉडल-1 प्रकार के हैं, 21 मॉडल द्वितीय प्रकार के हैं और 22 केजीबीवी मॉडल-III प्रकार मे कवर लड़कियों की कुल संख्या 6361 है और भौतिक उपलब्धि 98.62% है।

मॉडल	स्वीकृत केजीबीवी की सं.	केजीबीवी परिचालन की संख्या	लड़कियों के जनजाति के नामांकित प्रकार						
			एस.सी	एस.टी	अन्य पिछड़ा वर्ग	अल्पसंख्यक	मुस्लिम अल्पसंख्यकों	अन्य	कुल
I	43	43	340	1897	1870	191	38	35	4371
II	21	21	111	296	411	0	84	5	907
III	22	22	164	150	709	3	34	23	1083
कुल.	**86**	**86**	**615**	**2343**	**2990**	**194**	**156**	**63**	**6361**
नामांकन %			**9.67**	**36.83**	**47.01**	**3.05**	**2.45**	**0.99**	**100.00**

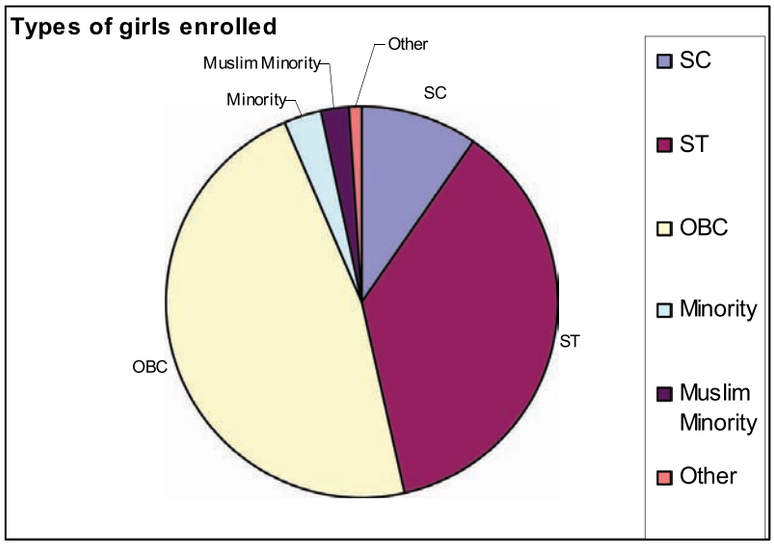

जिलेवार संकलित केजीवीवी की स्थिति रिपोर्ट, जो परिचालन में हैं कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ प्रदान की जाती है।

सं..	जिले का नाम	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्वीकृत संख्या	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय परिचालन की संख्या	सर्व शिक्षा अभियान सोसायटी	महिला समाख्या	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की कुल संख्या
1	अहमदावाद	4	4	4	0	4
2	अमरेली	2	2	2	0	2
3	बनासकाँठा	10	10	8	2	10
4	भावनगर	6	6	6	0	6
5	दाहोद	7	7	7	0	7
6	जामनगर	3	3	3	0	3
7	जूनागढ़	6	6	6	0	6
8	खेड़ा	1	1	1	0	1
9	कच्छ	8	8	8	0	8
10	मेहसाणा	1	1	1	0	1
11	नर्मदा	2	2	2	0	2
12	पंचमहाल	6	6	2	4	6
13	पाटन	5	5	5	0	5
14	राजकोट	3	3	1	2	3
15	सावरकांठा	3	3	1	2	3
16	सूरत	4	4	4	0	4
17	सुरेन्द्रनगर	9	9	4	5	9
18	वडोदरा	4	4	4	0	4
19	वलसाड	2	2	2	0	2
कुल.	गुजरात	**86**	**86**	**71**	**15**	**86**

वर्ष के दौरान, निम्नलिखित गतिविधियों केजीबीवी के तहत आयोजित किया गया:

शिक्षक प्रशिक्षण:

सर्व शिक्षा अभियान, महिला सामख्य द्वारा या गैर सरकारी संगठन के समर्थन से शिक्षक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।

प्रशिक्षण के प्रमुख विषयों है।

- योजना के बारे में उन्मुखीकरण
- उनकि कार्य पणालि कि चार्ट
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के प्रशासनिक और संगठनात्मक मुद्दे
- माहवारी स्वच्छता
- शिक्षाविदों

प्रत्येक केजीबीवी में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय प्रबंधन समिति (केएमसी) का संविधान:

केएमसी के गठन के साथ ही स्कूलों में स्कूल प्रबंधन समितियों (एसएमसी) के गठन के साथ किया जाता है। माता पिता को सक्रिय रूप से केजीबीवी के प्रबंधन में शामिल किये जा रहे हैं। केएमसी, केजीबीवी और कई गतिविधियों से संबंधित निर्णय में आयोजित किया जा रहा है ओर सदस्यों की नियमित मासिक बैठकें ले रहे है। तिमाही माता पिता कि बैठक मे लड़कियों कि प्रगति और उनकी उपलब्धियों के विवरण के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में आयोजित किया जाता है।

- वर्गे-7 के लिये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय लड़कियों को एनएमएमएस की छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए दिखाई (राष्ट्रीय सह मेरिट छात्रवृत्ति का मतलब है) गई है।
- लड़किया छात्रों जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मे वर्ग-8 से दाखिल होना चाहते है। वे स्कुल सामाजिक कल्याण और जनजातीय विभागों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में दाखिला प्राप्त कर सक्ते है।
- केजीबीवी से लड़कियों छात्रों को सक्रिय रूप से खेल महाकुंभ में विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं जो ब्लॉक, जिलों और राज्य स्तर पर सभी प्राथमिक स्कूलों के लिए जीसीईआरटी द्वारा आयोजित कि जाति हे उन्में भाग लिया जा सकता है जिन्मे वे अपनी क्षमताओं को दिखा कर पुरस्कार, मेडल और प्रमाण पत्र जीत सकते है।
- व्यावसायिक प्रशिक्षण के तहत लड़कियों को अखिल भारतीय हस्त काला प्रदर्शन "सूचकांक टीसी द्वारा आयोजित में भाग लिया जाना है। वे आइटम प्रदर्शित और बेचने और हस्तशिल्प व्यापार में भविष्य के प्रदर्शन के लिए एक स्वतंत्र उद्यमी की दिशा में एक कदम आरंभ किया गया है।
- सैनिटरी नैपकिन प्रत्येक केजीबीवी में प्रदान की जाती हैं।
- 25 मिनट के वृत्तचित्र फिल्म. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना पर प्रसार भारती दूरदर्शन द्वारा तैयार है और जो जनवरी, 2012 के अंत में प्रसारित किया गया था।

अध्याय -V

विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम

अध्याय - V

विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम

शिक्षा के अधिकार अधिनियम - 2009 के अनुसार, राज्य में विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।

आर.टी.ई. अधिनियम की धारा 4, उपयुक्त आयु के हिसाब से स्कूल से बाहर रहनेवाले बच्चों के प्रवेश के लिए विशेष प्रशिक्षण, विशेष प्रावधान करता है। छह साल से अधिक उम्र के बच्चों को, जिनमे या तो किसी भी स्कूल में भर्ती नहीं किया गया है, या भर्ती कराया गया है पर प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की और अपनी प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने के लिए उसके या उसकी उम्र के लिए या उपयुक्त स्कूल के वर्ग में भर्ती करवानि होगी।

स्कूल से बाहर रहेने वाले बच्चों मे अधिकांश वंचित समुदायों से संबंधित हैं: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुस्लिम अल्पसंख्यकों, विशेष आवश्यकता वाले प्रवासी बच्चे, शहरी वंचित बच्चे, काम करने वाले बच्चे आदि। आरटीई अधिनियम के प्रावधान मे स्कूल से बाहर रहेने वाले बच्चे कि प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने के लिए लड़के या लडकि कि उम्र के हिसाब से स्कुल मे उपयुक्त वर्ग में भर्ती होनि चाहिये। ऐसे बच्चों की उम्र उपयुक्त प्रवेश का समग्र उद्देश्य छोटे बच्चों के साथ बैठने से अपमान और शर्मिदगी दूर करने के लिए है। अधिनियम में सुविधा है की उचित उम्र वर्ग मे भर्ती करने के लिए उसे या उसके बरावर अन्य बच्चों के साथ उसे सक्षम करने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाए। राज्य भर में स्कूल से बाहर रहेने वाले बच्चों की पहचान के लिए एसएसए द्वारा जबरदस्त प्रयासों की गये है। अगस्त, 2011 में किए गए स्कूल से बाहर रहेने वाले वंचित समूहों के बच्चो की विशेष रूप पहचान के लिए हाउस होल्ड सर्वे 6 (HHS) अगस्त, 2011 में गैर - सरकारी संगठनों को शामिल करके किया गया) यानी अनाथों, रेग पीकरस (Rag Pickers), वयस्क संरक्षण के बिना बच्चों, भिखारि आदि, गैर सरकारी संगठन ने 20 जिलों और 3 नगर निगमों के क्षेत्रों में सर्वेक्षण किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के स्वयं के द्वारा, परियोजना मानव संसाधन के माध्यम से 5 जिलों और 1 नगर निगम के शेष क्षेत्रों में यह सर्वेक्षण किया गया है।

सभी आदिवासी क्षेत्रों, को कवर किया गया था, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र मे सभी उद्योगों और झूपडपट्टीओ सहित, नमक के कारखाने, मैस, ईंट भट्ठा, रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों ओर कार्यकारी स्थल को सर्वे मे शामिल किये गये है।

नवम्बर, 2011 में सर्वेक्षण के पूरा होने के बाद, डेटा विश्लेषण व्यायाम चाइल्ड मेपींग यूनिट (CMU) के माध्यम से लिया गया था। इस मे आवश्यकता के अनुसार, iNDEXTb एक सरकारी संगठन की मदद ली गइ।

सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात ने नवंबर 2011 से विशेष आवश्यकता वाले बच्चो (सीडव्ल्यूएसएन) के सहि रूप से स्कूल मे से बाहर रहेने वाले बच्चो की सभी श्रेणियों की खोज के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर शुरू कीया है। टोल फ्री नंबर 1800-233-7965 है। यह उल्लेखनीय है की स्कूल से बाहर रहेने वाले बच्चो की पहचान के लिए अखबारों और बसों में विज्ञापित के द्वारा व्यापक रूप से पहल किया गया है।

कभी नामांकित न हुए हो एसे बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण या जो प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने से पहले ही स्कूल छोड दी हो उन बच्चों को नामांकित करने के लीए एक प्रामाणिक पहचान की आवश्यकता है।

एसटीपी क्या है?

विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम आरटीई अधिनियम -2009 के प्रावधान के अंतर्गत उम्र उपयुक्त विशेष प्रशिक्षण राज्य शिक्षा अधिकारीयों (GCERT), और विद्यालय में पढ़ा रहे नियमित शिक्षक अथवा प्रशिक्षित ईवी के द्वारा

अनुमोदित सामग्री की मदद के साथ विद्यालय परिसर के पास में या बच्चों की सुविधा के अनुसार, नियमित विद्यालय में उम्र उपयुक्त कक्षा में नामांकन के बाद करा कर मुख्यधारा में लाने के बाद प्रदान करना है।

विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम (3 महीने) :

यह एक स्कूल तत्परता कार्यक्रम है जो अप्रैल से जून, 2010 मे 6 से 8 वर्ष की आयु के बच्चो के लिए चलाया जा रहा है। जो बच्चे का कभी नामांकन न हुआ हो और या वे एक वर्ष से कम समय से विद्यालय छोड चुके हो। नाश्ता, महिला एस्कॉर्ट / परिवहन, जीवन कौशल्य शिक्षा, पूर्व व्यावसायिक प्रशिक्षण, अध्ययन दौरा, मेट्रीकमेलों का प्रावधान। कुल 19,124 बच्चों को शामिल किया गया हैं।

विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम (10 से 20 महीने)

9 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए । जिनका कभी नामांकन न हुआ हो या वे एक वर्ष से कम समय से विद्यालय छोड चुके हो। उनहे मध्यान्ह भोजन, महिला एस्कॉर्ट / परिवहन, जीवन कौशल्य शिक्षा, पूर्व व्यावसायिक प्रशिक्षण, अध्ययन दौरा, मेट्रीकमेलों का प्रावधान । कुल 41520 बच्चों को कवर किया गया हैं।

स्थानांतरित बच्चों के लिए रणनीति

हमने iNDEXTb की मदद से अंतरराज्यीय और राज्यांतरित स्थानांतरण कर रहे बच्चों का पता लगाने के लिए स्थानांतरण संचालन सॉफ्टवेर (एमएमएस) तैयार किया है।

गुजरात राज्य के 25 जिलों और 4 नगर निगम है। यहाँ 12 विशेष ध्यान केंद्रित जिले हैं और 11 जनजातीय जिलों समेत 45 ब्लॉक्स है। गुजरात में भौगोलिक, सामाजिक-सांस्कृतिक एवं लोगों की जीवन-शैली में विविधता देखने को मिलती है। आदिवासी क्षेत्रों में विभिन्न कारणों की वजसे कई बच्चों नियमित रूप से स्कूल नहीं जारहे हैं, जबकि शहरी क्षेत्र में झोंपड़पट्टीयों क्षेत्रों के कई बच्चे आज भी वंचित हैं।

राज्यान्तरिक प्रवासीओं पर नजर रखना

ज्यादातर ऐसा होता है कि कई सारे परिवार जीवनयापन के लिए अपने बच्चों के साथ एक से दूसरे जिलो और ब्लॉक्स में मौसमी स्थानांतरण करते रहते है। डांग, दाहोद, सूरत, नवसारी, नर्मदा, वलसाड, सूरेन्द्रनगर, जूनागढ, कच्छ, पंचमहाल, वडोदरा ऐसे कुछ जिले है, जहाँ से लोग बाहर जाते है। ज्यादातर परिवार निर्माण, कृषि कार्य, नमक क्षेत्रों, ईंट के भट्ठों, और कारखानों में व्यस्त है और कुछेक खानाबदोश समुदाय के लोगो मवेशी के लिए घूमते रहते हैं। कुछ जिले प्राप्तकर्ता जिले हैं, जैसे कि अहमदाबाद, सूरत, जामनगर, कच्छ, राजकोट, भावनगर। राज्यान्तरिक स्थानांतरण संबंधित जानकारीयों को स्थानांतरण संचाल्क सॉफ्टवेर द्वारा अभिलिखित और पता लगाया जात है।

आंतरराज्यीय प्रवासीओं पर नजर रखना

गुजरात एक प्राप्तकर्ता राज्य है जहाँ हर वर्ष मौसमी महिनों के दौरान मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ, ओरिस्सा से कई सारे परिवार काम की तलाश में यहाँ आते हैं और गन्ने के खेतों, चीनी मिलों, ईंट के भट्ठों, कपास के खेतों, निर्माण, जहाजी कामकाज, कारखानों के क्षेत्र में कार्य करते हैं। स्थानांतरण संचालक सॉफ्टवेर(एमएमएस) की सहायता से गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर विशेष टीम नियुक्त की गई हैं, जो इनकी पहचान, ऑनलाईन दाखिलों, नामांकन और पता लगाने का काम करती हैं।

इस वर्ष में हम 15220 तम्बू (टेंट) विशेष प्रशिक्षण (NRSTC) के तहत अंतरराज्यीय प्रवासी बच्चों को कवर किया गय। इन बच्चों की ऑनलाइन एंट्री प्रक्रिया में है।

अन्य राज्यों द्वारा संयोजन:

राज्य परियोजना निर्देशक (एसपीडी) के निर्देशानुसार हमने महाराष्ट्र, राजस्थान, ओरिस्सा, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के मिशन निर्देशक को एक पत्र लिखा है। हमने स्थानांतरण कार्ड, उपयोगकर्ता का नाम, पासवर्ड की प्रतिलिपियां हिन्दी और अंग्रेजी में सम्बन्धित राज्यों को भेजी है। मध्यप्रदेश ने हमें हर गाँव का विवरण मुहैया कराया है।

सितम्बर 2011 से दाखिले की शुरूआत की गई है। एमएमएस के माध्यम से हम मौसमी प्रवासी बच्चों के ठिकाने का पता लगा सकते हैं। इस वर्ष हमने मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, ओरिस्सा और छत्तीसगढ से विभिन्न भाषाओं में पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए बातचीत की है। एसएसए ओरिस्सा ने उडीया भाषा में पुस्तकें भेजी हैं।

मौसमी छात्रावास

अन्तर राज्य प्रवासी परिवारों के बच्चों को मूल में मौसमी छात्रावास के अंतर्गत आते हैं जीस के लिए स्थानातंरण (माइग्रेशन) की अवधि की पहचान करने के लिए एमएमएस बहुत उपयोगी है ओर जो बिना बताए विस्थापित करते बच्चो, अनियमित स्थानातंरण(माइग्रेशन), खानाबदोश समुदाय के बच्चों को शामिल कीया जाता है।

टेंट विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम

लोग 6 से 8 महिने कमाई की आवश्यकता पूर्ति के लिए अपने गांव से बाहर प्रवास करते रहते हैं। उनके बच्चों को अभ्यास से नाता तोडना पडता है। स्थानांतरित लोग शहरी विस्तारों में निर्माण इत्यादि कार्य के लिए जाते है। स्थानांतरण करने वाले माँ-बाप के बच्चे स्थानांतरित जगहों पर विद्यालय की अनुपलब्धी की वजह से अपनी पढाई जारी नहीं रख पाते हैं। ऐसी जगहों पर इन बच्चों को शिक्षा मुहैया कराने के लिए टेंट विद्यालय शुरू किए जाते हैं।

इस वर्ष हमने एनआरएसटीसी के तहत 15220 आंतरराज्यीय प्रवासी बच्चों को मौसमी समयकालिन प्रवास के दौरान में आवृत किया।

मौसमी स्थानांतरण (प्रवास) की अवधि दौरान NRSTC तहत अंतरराज्यीय प्रवासी बच्चों को इस साल 15220 को सामेल किया गया।

विशेष प्रशिक्षण सामग्री:

विशेष प्रशिक्षण सामग्री राज्य संसाधन समूह (एसअरजी), डाएट के व्याख्याता, जीसीईआरटी, सीआरसीसी, सेवा-निवृत्त शिक्षकों, गैरसरकारी संगठनो के विशेषज्ञों, ईवी, रिसोर्स पर्सन, अन्य विभाग या विश्वविद्यालय से आए व्यक्तियों द्वारा विकसित किया गया। सामग्री कक्षा 1 से 6 के लिए विकसित की गई थी । जो 2011-12 में सुधार किया गया है और अन्य राज्य प्रवासी बच्चों के लिए हिन्दी शिक्षण सामग्री (कार्यपुस्तिका) विकसित कि गई है। (मॉड्युल्स, अभ्यास पुस्तिकाएँ, प्रवृत्ति काड्र्स, पूर्व परिक्षा प्रश्नपत्र, प्रगति कार्ड)

संचालन और पर्यवेक्षण:

इस चालु वर्ष में एसएसए और गैरसरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे विशेष प्रशिक्षण केन्द्रो मे अंतरराज्यीय और राज्यांतरित स्थानांतरण कर रहे बच्चों को समाविष्ट कीया गया । जहाँ विद्यालय के बाहर के बच्चों, स्थानांतरण, शहरी वंचित समूह की संख्या ज्यादा हो, ऐसे जिलों में सहायक एजेन्सीयाँ तय की गई ।

क्रम संख्या	स्कूल से वाहर रहेने वाले वच्चो के लिए हस्तक्षेप	एडव्ल्यु&वी **2011-12** के लक्ष्य के रूप में	लिंग श्रेणी वार उपलब्धि		
			लड़के	लड़कियां	कुल
1	ब्रिज आवासीय कोर्स (9 महीने)	**7605**	**7231**	**5462**	**12693**
2	टेंट स्कूल	13393	8122	7098	15220
3	स्कुल मे वापिस दाखिला लेना ओर पढाई पुरि करना	22324	5453	5426	10879
4	स्कूल तत्परता कार्यक्रम	15797	9611	9513	19124
	विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम				
1	निवासी	2263	396	203	599
2	गैर आवासीय	40077	19920	21600	41520
	कुल	**101459**	**47541**	**46430**	**93971**

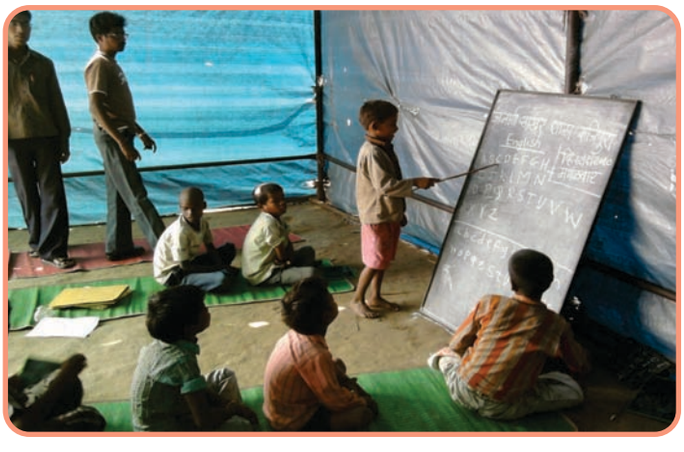

अध्याय -VI

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए संकलित शिक्षा

अध्याय VI

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए संकलित शिक्षा

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों

सर्व शिक्षा अभियान के तहत, विशेष जरूरतों वाले बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने के लिए प्रयासों कीए जा रहे है। विकलांग बच्चों के माता पिता को स्कूलों में एसएमसी के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। सभी सदस्यों को भी उन्मुख किया गया है।

संसाधन सहायता टीम को मजबूत बनाना:

सीडब्ल्यूएसएन के लिए संसाधन शिक्षकों को राज्य भर में सभी ब्लोकों में भर्ती किया गया है। 700 संसाधन शिक्षकों और 334 ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों को भर्ती किया गया है। इसके अलावा, अतिरिक्त संसाधन शिक्षकों, विशेष रूप से प्रशिक्षित और योग्य देखभाल करनेवाले को भी ब्लॉक स्तर पर रखा गया है, जो गंभीर रूप से विकलांग बच्चों को घर आधारित शिक्षा (घर पर जा कर शिक्षा देना) प्रदान करते हैं।

प्रशिक्षण की सुविधा के संवर्धन:

सीडब्ल्यूएसएन के प्रशिक्षण के लिए सभी बीआरसी स्तर के संसाधन कमरे पर्याप्त उपकरणों और सुविधाओं वाले है। जैसा कि पहले से दिखाया गया है, प्रशिक्षण के लिए आवश्यक स्टाफ सभी जगह पर है।

संकलित स्कूल का वातावरण बनाने के लिए सुग्राहीकरण:

शिक्षक समग्रता अच्छी तरह करने के लिए कम अवधि के प्रशिक्षण के रूप में लंवा समय दिया जाता है। सीडब्ल्यूएसएन के शिक्षकों के लिए फाउंडेशन कोर्स की पेशकश की है। समाविष्टि की अवधारणा के बारे मे उन्हें समझाने के लिए माता-पिता और समुदाय के सदस्यों को हर साल प्रशिक्षण दीया जाता है। स्कूल प्रवंधन समिति का ढांचा ऐसा है कि, सीडब्ल्यूएसएन के प्रतिनिधि माता पिता, एसएमसी के एक सदस्य वन जाएगा। समाविष्टि पर साथियों को उन्मुख बनाने के लिए, स्कूल स्तर पर संयुक्त पिकनिक, सांस्कृतिक गतिविधियों, प्रदर्शन का दौरा, खेल आदि का आयोजन कर रहे हैं।

कनवर्जेन्स:

शिविर चिकित्सा जांच अभिसरण में सामाजिक रक्षा विभाग और सिविल अस्पताल)स्वास्थ्य विभाग(के साथ जिला और ब्लॉक स्तर पर आयोजित कर रहे हैं। सामाजिक रक्षा विभाग द्वारा राज्य परिवहन की बसों में यात्रा के लिए सीडब्ल्यूएसएन मुफ्त यात्रा पास प्रदान की जाती हैं। राज्य के सामाजिक रक्षा विभाग द्वारा सीडब्ल्यूएसएन छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती हैं।

विकलांग बच्चों का सर्वेक्षण: गुजरात में विकलांग बच्चों का विस्तृत सर्वेक्षण किया गया था, जिसके अनुसार, 1,13,723 विकलांग बच्चों में स्कूल है और अगस्त 2011में 18,990 स्कूल से बाहर रहेनेवाले विकलांग बच्चे थे।

	TB	LV	HI	SI	MR	OH	CP	MD	ASD	LAP	कुल
स्कूल में	2870	17783	10314	8286	33234	22244	1901	16677	241	173	113723
स्कूल से वाहर	513	1500	1563	1110	5533	4488	1195	2919	89	80	18990
कुल सीडब्ल्यूएसएन	3383	19283	11877	9396	38767	26732	3096	12881	330	253	132713

सीडब्ल्यूएसएन की कुल संख्या

क्रम नं.	ज़िला	विकलांगता										सीडब्ल्यूएसएन की कुल संख्या
		TB	LV	HI	SI	MR	OH	CP	MD	ASD	LAP	
1	अहमदाबाद	91	667	333	484	1860	1077	199	651	30	1	5393
2	अमरेली	103	404	326	202	1129	696	84	382	4	0	3330
3	आणंद	294	1388	567	770	2300	1637	129	1786	19	8	8648
4	बनासकाँठा	143	1812	965	795	1805	2724	84	1248	14	16	9606
5	भरूच	72	569	256	255	1189	759	134	666	6	5	3911
6	भावनगर	179	999	778	569	1901	893	424	643	4	4	6394
7	दाहोद	111	881	408	272	1325	1342	37	711	4	2	5093
8	डांग	260	332	265	468	395	456	50	1433	8	99	3766
9	गांधीनगर	37	315	131	152	696	698	46	313	5	0	2393
10	जामनगर	50	517	343	277	1217	753	76	353	0	6	3592
11	जूनागढ़	166	658	582	519	1895	1090	321	673	29	6	5939
12	खेड़ा	134	752	649	235	2264	1037	153	601	3	3	5831
13	क्च्छ	92	537	502	412	1442	861	96	486	11	2	4441
14	मेहसाणा	126	422	276	264	1509	879	132	187	0	2	3797
15	नर्मदा	22	471	266	147	440	380	20	288	1	2	2037
16	नवसारी	21	187	108	97	529	296	13	171	0	0	1422
17	पंचमहाल	270	1456	551	406	2069	1205	74	1118	4	5	7158
18	पाटण	73	562	367	188	967	832	68	280	4	0	3341
19	पोरबंदर	50	104	68	83	349	261	15	130	13	1	1074
20	राजकोट	35	399	292	152	1211	830	59	679	8	5	3670
21	सावरकांठा	186	819	682	510	1545	1370	152	1398	4	11	6677
22	सूरत	37	703	261	275	1089	712	133	850	9	7	4076
23	सुरेन्द्रनगर	146	569	316	233	1451	880	124	586	4	1	4310
24	तापी	11	257	109	140	387	356	39	359	2	5	1665
25	वडोदरा	113	955	432	649	2189	1366	120	1307	37	7	7175
26	वलसाड	82	366	263	112	836	526	60	358	1	6	2610
27	एएमसी	263	1337	746	205	2961	2088	86	653	0	6	8345
28	आरएमसी	44	82	298	232	338	169	52	96	8	0	1319
29	एसएमसी	102	706	498	302	937	431	97	1133	70	41	4317
30	वीएमसी	75	105	249	28	604	171	19	102	28	2	1383
	कुल	**3388**	**19331**	**11887**	**9433**	**38829**	**26775**	**3096**	**19641**	**330**	**253**	**132713**

स्कूल में विक्लांग बच्चे: वर्ष 2011-12 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, 6-18 साल की आयु समूह के कुल 1,13,723 बच्चों ने गुजरात के सभी जिलों की स्कूल में दाखिला लिया।

स्कूल में विक्लांग बच्चे वर्ष 2011-12 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 6-18 साल की आयु समूह के कुल 1,13,723 बच्चों ने गुजरात के सभी जिलों की स्कूल में दाखिला लिया।

क्रम नं.	ज़िला	विकलांगता										कुल संख्या (स्कूल में)
		TB	LV	HI	SI	MR	OH	CP	MD	ASD	LAP	
1	अहमदाबाद	67	600	280	425	1561	831	106	527	30	1	4428
2	अमरेली	99	382	295	193	968	604	54	319	3	0	2917
3	आणंद	230	1287	491	722	2017	1390	85	1640	18	8	7638
4	बनासकाँठा	102	1674	815	698	1522	2217	45	997	10	11	8091
5	भरूच	48	523	209	219	927	553	86	607	1	4	3177
6	भावनगर	166	953	717	527	1647	761	296	568	3	2	5640
7	दाहोद	94	854	374	243	1231	1241	24	669	4	2	4736
8	डांग	241	293	229	422	317	453	34	1431	8	77	3505
9	गांधीनगर	26	287	102	115	597	612	28	233	1	0	2001
10	जामनगर	39	483	302	226	1012	604	33	269	0	3	2971
11	जूनागढ़	144	613	500	454	1547	922	223	526	28	5	4962
12	खेड़ा	116	717	606	206	2095	937	112	504	2	3	5298
13	क्च्छ	77	486	443	358	1224	685	47	355	11	2	3688
14	मेहसाणा	111	398	243	218	1342	789	64	145	0	2	3312
15	नर्मदा	15	415	221	135	363	303	12	232	1	2	1699
16	नवसारी	13	166	98	81	474	246	4	121	0	0	1203
17	पंचमहाल	252	1439	522	398	1993	1134	66	1044	4	5	6857
18	पाटण	61	516	332	170	813	706	26	198	3	0	2825
19	पोरबंदर	47	100	57	66	290	223	6	82	3	1	875
20	राजकोट	28	361	250	129	1050	676	37	575	8	3	3117
21	सावरकांठा	159	743	624	467	1338	1122	68	1274	4	9	5808
22	सूरत	25	674	230	251	995	625	115	780	8	7	3710
23	सुरेन्द्रनगर	126	501	254	218	1177	702	58	523	4	1	3564
24	तापी	8	224	87	122	316	290	30	306	2	5	1390
25	वडोदरा	76	878	338	564	1858	1132	69	1121	35	6	6077
26	वलसाड	78	346	237	85	726	453	21	229	0	6	2181
27	एएमसी	212	1119	488	123	2187	1377	44	352	0	4	5906
28	आरएमसी	44	80	289	217	318	162	45	94	8	0	1257
29	एसएमसी	96	613	444	244	827	364	45	902	14	2	3551
30	वीएमसी	75	105	246	27	568	171	18	99	28	2	1339
	कुल	**2875**	**17830**	**10323**	**8323**	**33300**	**22285**	**1901**	**16722**	**241**	**173**	**113723**

- आकलन शिविरः सामाजिक रक्षा विभाग, सिविल अस्पताल / सर्जन की मदद के साथ राज्य भर में ब्लॉक स्तर पर सीडव्ल्यूएसएन के शिविरों मे आकलन और चिकित्सा प्रमाण पत्र का आयोजन किया गया ।

- सहायक सामग्री और उपकरण: सहायक सामग्री और उपकरणों के रूप में उनकी आवश्यकताओं के अनुसार विकलांग बच्चों के लिए प्रदान किया गया। सभी जिलों में कुल 26251 सहायक सामग्री और उपकरणों प्रदान किया गया।

क्रमनं.	ज़िला	OH	HI	कुल
1	अहमदाबाद	625	191	816
2	अमरेली	800	308	1108
3	आणंद	1037	373	1410
4	बनासकाँठा	1104	462	1566
5	भरूच	776	218	994
6	भावनगर	1095	432	1527
7	दाहोद	314	264	578
8	डांग	32	107	139
9	गांधीनगर	329	153	482
10	जामनगर	580	166	746
11	जूनागढ़	1608	334	1942
12	खेड़ा	677	591	1268
13	क्च्छ	632	285	917
14	मेहसाणा	902	280	1182
15	नर्मदा	378	113	491
16	नवसारी	135	221	356
17	पंचमाहल	404	168	572
18	पाटण	504	148	652
19	पोरबंदर	210	26	236
20	राजकोट	840	273	1113
21	साबरकांठा	890	530	1420
22	सूरत	472	559	1031
23	सुरेन्द्रनगर	949	199	1148
24	वडोदरा	1224	348	1572
25	वलसाड	199	181	380
26	एएमसी	579	589	1168
27	आरएमसी	180	257	437
28	एसएमसी	399	206	605
29	वीएमसी	267	128	395
	कुल	**18141**	**8110**	**26251**

- आ.ई.डी. पर प्रशिक्षण: निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आ.ई के तहत आयोजित किया गया.
- कक्षा शिक्षक प्रशिक्षण राज्य भर में आयोजित किया गया था, जिस मे 26345 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया।
- माता पिताओ के लिए प्रशिक्षण राज्य भर में आयोजित किया गया था, जिस मे 19248 माता पिता को प्रशिक्षित किया गया।
- बैरियर नि: शुल्क प्रवेश: सर्व शिक्षा अभियान के तहत निर्मित सभी नए स्कूलों में रैंप और रेलिंग उपलब्ध कराए गए हैं, कुल 32,848 स्कूलों रैंप और रेलिंग उपलब्ध कराए गए हैं ।
- ध्वज दिवस एवं विश्व विकलांग दिन के समारोह: नेत्रहीन के लिए झंडा दिवस 14 सितम्बर 2011 को गुजरात में क्लस्टर, ब्लॉक और स्कूल स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा से संबंधित मुद्दों के बारे में पीढ़ी मे जागरूकता के लिए मनाया गया था। सप्ताह के लंबे समारोह के दौरान पोस्टर, रैलियों, नाटक, गीत, कविता, ब्रेल पढ़ने और लेखन के विकास के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 3 दिसम्बर 2011 को विश्व विक्लांग दिवस के रूप में सभी जिलों में मनाया जाता है।

- ग्रीष्मकालीन और दीवाली शिविर : 10118 सीडब्ल्यूएसएनने 5 दिनों में छुट्टी की अवधि के दौरान आवासीय गर्मी और दीवाली शिविरों में भाग लिया। कला, शिल्प, ड्राइंग, खेल, योग, पिकनिक आदि, की तरह क्रियाएँ इस शिविर के दौरान निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ किए गए

  सीडब्ल्यूएसएन में आत्म निर्भर बनाने के लिए, हर दिन सीडब्ल्यूएसएन को जीवन कौशल सीख मे मदद करने के लिए, सीडब्ल्यूएसएन की सृजनात्मकता को विकसित करने के लिए, अच्छी आदतों और विभिन्न व्यावसायिक कौशल विकसित करने के लिए, एडीएल, सामाजिक को बढ़ावा देने, शारीरिक और भावनात्मक विकास।

- आवासीय ब्रिज कोर्स : आवासीय ब्रिज कोर्स जिलों के अधिकांश 1724 स्कूल से बहार रहनेवाले विकलांग बच्चों के लिए आयोजित की गई। विशेषज्ञों द्वारा सीडब्ल्यूएसएन को दैनिक जीवन की गतिविधियों, पारस्परिक संबंध, सामाजिक कौशल और आत्म जागरूकता सीखा या जाता है। वे उनकी आवश्यकता के अनुसार विशेष प्रशिक्षण दे ते है।

- एक्सपोजर वीजीट: एक्सपोजर वीजीट जिला स्तर से माता - पिता और सीडब्ल्यूएसएन के लिए और साथियों मे सीडब्ल्यूएसएन शिक्षा के बारे जागरूकता पैदा करने के लिए और उन्हें सीडब्ल्यूएसएन की ओर संवेदनशील बनाने के लिए आयोजित किए गए।

- संसाधन कक्ष: संसाधन कक्ष राज्य भर में कार्यरत है। विशेषज्ञों द्वारा उनकी आवश्यकता के अनुसार सीडब्ल्यूएसएन को विशिष्ट समर्थन करने के लिए दिया जा रहा है। ब्लॉक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए 839 संसाधन कक्ष विकसित कीए गये है, जो ग्रुप हियरिंग सिस्टम (GHS) से सुसज्जित हैं, 5 किट, अएम किट, स्पिच किट, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे महीने में संसाधन कक्ष मे 3-4 बार आते हैं और सभी उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। सीडब्ल्यूएसएन और उनके माता पिता की यात्रा का किराया दिया जाता है। वास्तविक अर्थों मे संसाधन कक्ष के माध्यम से सीडब्ल्यूएसएन लाभान्वित किया जा रहा है।

एसेसमेंट शिविर

सहायक सामग्री और उपकरण

घर आधारित शिक्षा

संसाधन कक्ष

अध्याय - VII

मीडिया और दस्तावेज़ीकरण

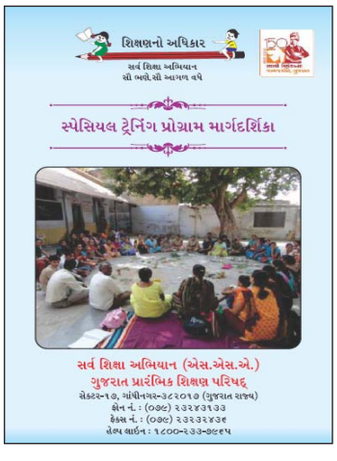

अध्याय VII

मीडिया और दस्तावेज़ीकरण

आरटीई अधिनियम के वाद, सार्वजनिक जागरूकता अभियान के लिए प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया था। समुदायों में सर्व शिक्षा अभियान ने अपनी वहुत वडी साख उत्पन्न की है और जमीनी स्तर पर उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी प्राप्त की हैं। यह परियोजना पदाधिकारियों मे सभी स्तरों पर महत्वपूर्ण विश्वास पेदा कीया है।

दस्तावेज़ीकरण : निम्नलिखित दस्तावेजों और प्रकाशनों राज्य मीडिया और दस्तावेज़ीकरण इकाई द्वारा वर्ष के दौरान तैयार किए गए थे।

1. विकास और प्रसार आईईसी सामग्री सूचना शिक्षा संचार सामग्री सहित पुस्तिका, पत्रक कैलेंडर आरटीई अधिनियम के वारे में राज्य स्तर पर विकसित किए गए और यह गतिविधियों सर्व शिक्षा अभियान गुजरात के द्वार किए गए, और समाज में जागरूकता लाने के लिए एसएमसी सदस्यों और पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों में वितरित किया जाता है।

2. पोस्टर्स स्कूल, सीआरसी, एसटीपी, कस्तूरवा गांधी वालिका विद्यालय, डाइट, डीपीसी स्तर पर प्रदर्शित किए गए।

3. टीवी विज्ञापन स्पॉट तैयार कीए गए और सर्व शिक्षा अभियान के घटकों पर दस्तावेजी फिल्मे तैयार की और उसे डीडी गिरनार, गुजरात के क्षेत्रीय चैनल पर प्रसारण कीया गया।

4. ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा रेडियो विज्ञापन विकसित किया गया था और राज्य के कुछ खानावदोश समुदायों को तक पहुँचने का प्रसारण कीया गया। सर्व शिक्षा अभियान के अधिकारियों के साथ रेडियो टॉक शो कीया गया। इसके अलावा राज्य मे आरटीई अधिनियम कार्यान्वयन के विशे पर प्राथमिक शिक्षा के शिक्षा मंत्री और सचिव और सर्व शिक्षा अभियान के निदेशक के साथ टॉक शो कीया गया।

5. शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रचार-प्रसार के लिए GSRTC की 2250 वसो में साइड और वेक पैनल लगाइ गइ।

   समाचार पत्र में विज्ञापन प्रचार का एक हिस्सा के रूप में सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात की नवीन गतिविधियों जेसे की टोल फ्री, गुणोत्सव, डीआईएसई (DISE) प्रपत्र की जानकारी आदि दिए गए थे, और प्रेस नोट जो सूचना विभाग को दिया गया था और यह उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार वे अखवार मे प्रकाशन के लिए निः शुल्क वितरित करना होगा । विभिन्न गतिविधियों और प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में 100% नामांकन हासिल करने कदम के बारे मे प्रेस नोट दी गइ।

6. एक्रिलिक लोगो मुद्रण एवं वितरणः एसएमसी / स्कूल, सीआरसी, बीआरसी, जिला, डाइट आदि में वितरण कीया गया।

7. ब्रोशर का मुद्रण और वितरणः इस मे आरटीई अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, सर्व शिक्षा अभियान के घटक से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। वर्ष के दौरान 3 बार 50,000 ब्रोशर का एसएमसी / स्कूल, सीआरसी, बीआरसी, जिला, डाइट आदि में वितरित किया गया ।

8. कैलेंडरः यह स्कूल, सीआरसी, बीआरसी, युआरसी और एसटीपी के स्तर के लिए प्रसारित होगा और इस के लिए कुल 2.50 लाख कैलेंडर तैयार किए गए।

9. समुदाय मेला: गांव मेला की मदद से समुदाय के सदस्यों की स्कूल की गतिविधियों में और अधिक सहभागिता होगी । मेला के दौरान खेल प्रतियोगिता, निवंध लेखन प्रतियोगिता, वाद - विवाद प्रतियोगिता, समुदाय के नेताओं और समुदाय के सदस्यों और माता - पिता / अभिभावक के साथ खुली चचा-, स्कूल से वाहर रहनेवाले वच्चों का स्वागत, विशेष आवश्यकता वाले वच्चों, शैक्षिक फन फैर भी इस का हिस्सा थे।

10. ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से दुर संचार कार्यक्रम में : रेडियो स्पॉट कार्यक्रम 15 मिनट का था, यह शिक्षा मंत्री द्वारा भाषण, शिक्षा सचिव, सर्व शिक्षा अभियान के निदेशक और सर्व शिक्षा अभियान के समन्वयक के साथ सवाल का जवाव सत्र और स्कूल में प्रधान मास्टर्स के साथ इंटरएक्टिव चर्चा शिक्षकों और स्कूल के छात्र यह भी शामिल है । कुल 20 कार्यक्रमों के लिए तैयार किये गए।

11. टीवी कार्यक्रम डीडी गिरनार (क्षेत्रीय चैनल) के माध्यम से : दस्तावेजी फिल्म और उसके प्रसारण का निर्माण। 30 मिनट के 10 कार्यक्रम तैयार किये गए । आरटीई अधिनियम और सर्व शिक्षा अभियान के घटक को की दस्तावेजी फिल्मों वनाइ गइ। दस्तावेजी फिल्म तैयार करने के वाद इसे व्लॉक पर वितरित किया जाएगा।

12. टीवी और रेडियो जिगलस : शिक्षा का हक अभियान पर कुल 10 जिगल तैयार वनाइ गई। इसे स्थानीय टीवी चैनल गिरनार पर 50 वार और ऑल इंडिया रेडियो पर 100 वार प्रसारित किया गया।

13. स्कूल और क्लस्टर स्तर पर शिक्षा दिवस के समारोह: इस समारोह मे छात्रों, एसएमसी सदस्य, शिक्षक, ग्राम पंचायत सदस्य और ग्राम स्तर पर डेयरी फेडरेशन यूनिट भाग लेंगे। प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए विभिन्न मुद्दों पर वहस और प्रतियोगिताएं पर चर्चा की जाएगी।

14. वीडियो कॉन्फ्रेरन्स और टेली कॉन्फ्रेरन्स परियोजना पदाधिकारियों के क्षमता निर्माण के लिए वहुत प्रभावी उपकरण साविंत हुए है। टेली कॉन्फ्रेरन्स सर्व शिक्षा अभियान की विभिन्न इकाइयों के द्वारा आयोजित किया गया।

15. कस्तूरवा गांधी वालिका विद्यालय, सिविल और विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम पर टीवी कार्यक्रमों।

साइड और वेक पैनल का नमूना

एक्रिलिक लोगो का नमूना

बस साइड पैनल

बस बेक पैनल

अध्याय - **VIII**

प्रबंधन सूचना प्रणाली

(एम.आई.एस.)

अध्याय - VIII

प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.)

चूंकि गुणवत्ता एक प्रमुख चिता का विषय है और इस लिए सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों में निगरानी (मोनिटरींग) सबसे बहुत महत्वपूर्ण है। सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सभी स्कूलों का दौरा कर रहे हैं और समय - समय पर गुणवत्ता के संकेतकों एकत्र करना, अद्यतन, सत्यापित और विश्लेषण करना भी महत्वपूर्ण है।

कार्यक्रम के उद्देश्यों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, जिला शिक्षा सूचना व्यवस्था डीआईएसई – (DISE)–सॉफ्टवेर वर्ष 2003-04 से अस्तित्व में है। डीआईएसई (DISE) बुनियादी शिक्षा आँकडे (डेटा) प्रदान करता है, जिसे शैक्षिक संकेतकों को पाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। विशेष संकेतको पर उत्पन्न सूचनाएँ विभिन्न स्तरों पर योजनाकारों और कार्यान्वयकों को कार्यक्रम के प्रभाव और हस्तक्षेपों का आकलन और मूल्यांकन करने मे सहायक होंगी।

प्रबंध सूचना व्यवस्था ईकाईयाँ राज्य परियोजना कार्यालय (एसपीओ) एवं सभी जिलों के जिला परियोजना कार्या लयों पर पर्याप्त बूनियादी सुविधाओं और मानववल के पूर्ण रूप से कार्यरत है।

2011-12 में एमआईएस

- वर्ष 2011-12 के डायस (डीआईएसई) आँकडे सभी जिलों के लिए तैयार किए गए और भारत सरकार को भेजे गए। इन्हीं आँकडो को फिर राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर कार्यरत कार्यक्रम के कर्मचारीयों के साथ साझेदारी की गई।
- "जन वांचन" – एक विशेष घटना है जिस पर सीआरसी बटोरता एसएमसी के सदस्यों, स्कूल स्टाफ और गांव वाले और एक विशेष स्कूल मे डायस (डीआईएसई) की जानकारी साझा कराई जाती हें।
- एसएसए के लिए वार्षिक कार्य योजना एवं बजट की तैयारी।
- वेव आधारित ऑनलाइन भर्ती आवेदन
- 3225 क्लस्टर संसाधन केंद्र के लिए इंटरनेट कनेक्शन प्रदान कीये गये है।
- स्कूल से वाहर के वच्चों के लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर
- सीडव्ल्यूएसएन वच्चे की डेटा ऐन्ट्री के लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर
- वेवसाइट ऑनलाइन अपडेशन
- विभिन्न संकेतकों पर डेटा उपलब्ध कराना

राज्य सरकार ने सहायता प्राप्त कम्पयुटर शिक्षा कार्यक्रम के लिए प्राथमिक स्तर पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा प्रारंभिक विद्यालयों मे कंप्यूटर प्रयोगशाला प्रदान की गई है ताकी बच्चे उन का उपयोग करे और कंप्यूटर के माध्यम से सीखते हैं।

- सीएएल (कम्प्यूटर एडेड लर्निंग) का मुख्य उद्देश्य है
- छात्रों और शिक्षकों को कम्पयुटर से परिचित करने
- कम्पयुटर के माध्यम से विषयों को पढ़ाने
- कठिन समय (मौके / मुश्किल स्थानों) के लिए शैक्षिक सॉफ्टवेयर का उपयोग
- सरकारी स्कूल के छात्रों को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को, शहरी और अग्रिम विद्यालय के छात्रों के साथ बराबर से सक्षम करने के लीए।
- वर्ष 2011-12 तक, प्रत्येक प्रयोगशाला में कम से कम पांच कम्पयुटरों के साथ 5000 के आसपास स्कूलों मे कंप्यूटर प्रयोगशाला प्रदान की गई है।
- कम्प्यूटरीकृत शैक्षिक सामग्री सिलेवस आधारित है जो प्रत्येक स्कूल को प्रदान की गई है।

  राज्य और जिला एमआईएस द्वारा इस कार्यक्रम पर बारीकी से निगरानी (मोनिटरींग) रखी जाती है।

अध्याय -IX

आयोजन और प्रबंधन

अध्याय -IX

आयोजन और प्रबंधन

वर्ष 2011-12 के लिए वार्षिक कार्य योजना और बजट की तैयारी

वर्ष 2011-12 के लिए वार्षिक कार्य योजना और बजट को ग्राम्य समुदाय स्तर से उपर के ढाँचो को शामिल कर सहभागितापूर्ण प्रक्रिया द्वारा किया गया। जिला एवं ब्लॉक स्तरों किए गए सूक्ष्म-आयोजन के अभ्यासों और विभिन्न अभ्यासों से प्राप्त निष्कर्षों को आयोजन के समय ध्यान पर लिया गया। कार्यनीति विकसित करते हुए वर्ष 2011-12 ईएमआईएस आँकडो का भी उपयोग किया गया।

पी एन्ड एम में प्रमुख पहल

वर्ष 2011-12 के लिए एसएसए वार्षिक कार्य योजना और बजट को गुजरात में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकरण के लिए उठाई जानेवाली निम्नलिखित प्रमुख पहलों के आसपास रचा गया।

- सर्व शिक्षा अभियान गुजरात में प्राथमिक स्कूलों के लिए गुणवत्ता निगरानी उपकरण वदला गया है। नई निगरानी प्रणाली जल्द ही अच्छा परिणाम देगी। यह अन्य राज्यों के लिए भी एक मॉडल हो सकता है।
- समुदायों के सहयोग और सहभागिता को प्राप्त करने के लिए, सभी जिलों में जागृति अभियानों को और सशक्त बना दिया गया। पिछले अनुभवों के आधार पर संघटन रणनीतियों को बढ़ाया गया। प्रतिधारण और गुणवत्ता में सुधार इस साल की वार्षिक योजना के ध्यान केन्द्रित क्षेत्रों मे से एक था।
- शैक्षणिक सुधार पर नवसंस्करित तरीकों से विशेष महत्व देते हुए, विषयवस्तु-आधारित शिक्षक प्रशिक्षण एक अन्य ध्यान केन्द्रित क्षेत्र था, जो डीआईईटी अथवा जीसीईआरटी के द्वारा उनके नियमित प्रशिक्षण में शामिल नही किया जाता है।
- शिक्षकों के प्रशिक्षण को सशक्त बनाने के लिए, डीआईईटी, बीआरसी और सीआरसीयों की क्षमता निर्माण को महत्व दिया गया।
- भवनों की मरम्मत करने के पश्चात, निर्माण कार्यों के कार्यक्रम का झुकाव अब बीएएलए (BaLA) विल्डींग एज़ लर्निग एईडस अभिगम के तौर पर प्रशिक्षण भवनों और वर्गखण्डों के निर्माण की ओर था।

संचालन एवं पर्यवेक्षण

सर्व शिक्षा अभियान से गुजरात अच्छी तरह से वाकिफ है की विशेषतोर से बीआरसीसओ, सीआरसीओ, जिला, ब्लॉक, और क्लस्टर स्तर पर और प्राथमिक स्कूलों की सतत निगरानी की जरूरत है। वर्ष 2011-12 के वाद एसएसए गुजरात ने एक प्रारूप सॉफ्टवेयर के साथ एक ऑन लाइन निगरानी (मोनिटरींग) प्रणाली विकसित की है। किसी भी स्थान पर किसी भी अधिकारी गुजरात के किसी भी प्राथमिक स्कूल का निरीक्षण कर सकते हैं, यह कैसे निगरानी रखी जाती है? हाल मे प्रणाली प्रारंभिक चरण पर है और समय समय पर समीक्षा वैठकों के द्वारा कमियों में सुधार किया जा रहा है। एसएसए विद्यालयों में संचालन और पर्यवेक्षण पर एसएमसी सदस्यों को भी क्लस्टर स्तर पर अभिप्रेरित किया गया।

इस प्रकार, सर्व शिक्षा अभियान गुजरात के गुणवत्ता निगरानी उपकरण (Quality Monitoring Tools) वदल गए है। नई निगरानी प्रणाली जल्द ही अच्छा परिणाम देगी। यह अन्य राज्यों के लिए भी एक मॉडल हो सकता है।

शिक्षा के लिए क्षेत्रीय अनुसंधान संस्था

एमएचआरडी, नई दिल्ली द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के राज्य स्तरीय कार्यान्वयन के संचालन और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी सरदार पटेल इन्स्टीट्यूट ऑफ सोश्यल एन्ड ईकोनॉमीक रिसर्च (SPISER) अहमदाबाद और सेन्टर फॉर एडवांस्ड स्टडीज़ इन एज्यूकेशन (CASE) एम,एस विश्वविद्यालय, वडोदरा को दी गई। दोनों ही क्षेत्रीय शिक्षा अनुसंधान संस्थानों (आरआरआईई) के द्वारा एसएसए जिलों में क्षेत्रीय प्रवास किए गए और इसका रिपोर्ट भारत सरकार को सुपुर्द किया गया।

अनुसंधान एवं मूल्यांकन

अनुसंधान अनुदान राज्य में सभी जील्ला प्रोजेकट कोओर्डिनेटर को वितरित कर दिए गए हैं। सभी सीआरसी और वीआरसीओं को क्रियात्मक अनुसंधान आयोजित करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। उपलब्ध हुइ जानकारी के रूप में 647 अनुसंधानों पर कार्रवाई (एक्शन रिसर्च) और 39 अनुसंधान अध्ययन वर्ष 2011-12 में पूरा कर लिया गया है।

एसएसए के अंतर्गत अनुसंधान अभ्यासों की भूमिका

एसएसए के कार्यान्वयन में अनुसंधान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एसएसए के अंतर्गत, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर विभिन्न हेतूओं के लिए जैसे कि, विविध आगमों असरकारकता पर प्रतिक्रिया देना, कार्यान्वयन में आ रही अडचनो और उन्हें असरदार वनाने के लिए हस्तक्षेपों में वदलाव लाने के विषयों पर आधारित अभ्यासों का आयोजन किया गया।

वर्ष 2011-12 में राज्य स्तर पर निम्नलिखित सात अध्ययनों आयोजित किये गये है:

1- गुजरात में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रभाव

2- कस्तूरवा गांधी बालिका विद्यालय की लड़कियों की शिक्षा और अवधारण पर प्रभाव

3- कक्षा संव्यवहार पर प्रभाव प्रशिक्षण

4- शिक्षकों और उनकी प्रशिक्षण की जरूरतों के बारे में शिक्षकों की प्रतिक्रिया

5- ब्लॉक संसाधन शिक्षकों के प्रदर्शन का अथ्ययन

6- बाला का गुजरात राज्य में प्रभाव

7- नए पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक कार्यान्वयन (प्रगति में)

ધોરણ-૨ વર્ગખંડ

अध्याय - X

स्कूल के बुनियादी ढांचे का विकास

अध्याय - X

स्कूल के बुनियादी ढांचे का विकास

परिचय:

सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूल के बुनियादी सुविधाओं के घटक महत्वपूर्ण है। स्कूल के बुनियादी ढांचे के प्रावधान के लिए आरटीई अधिनियम की दृष्टि के अनुसार उनके प्रतिधारण में और बच्चों के लिए उपयोग में भी मदद करता है। जिनमें से दोनों सर्व शिक्षा अभियान के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। उप जिला स्तर पर संसाधन केन्द्रों के लिए बुनियादी ढांचे के प्रावधान शैक्षिक समर्थन बनाने में मदद करता है, जो गुणवत्ता में सुधार की दिशा में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है।

स्कूल की इमारत सभी बच्चों और शिक्षकों के लिए आसान उपयोग सुनिश्चित करने के लिए है, और यह करने के लिए अपनी विभिन्न आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील समझ के साथ बनाया जा सकता है।

आरटीई अधिनियम अनुसूची नीचे स्कूल की इमारत के लिए मानदंडों और मानकों दीए गये है। स्कूल की इमारत मे सभी मौसम के लिए हर शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्षा शामिल हो और कार्यालय सह स्टोर सह हेड टीचर का कमरा, स्वतंत्र उपयोग बैरियर, लड़कों और लड़कियों के लिए अलग शौचालय, सभी बच्चों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त मात्रा में पीने के पानी की सुविधा, स्कूल की इमारत को सुरक्षित करने के लिए बाउंड्रीवोल की व्यवस्था, मध्याह्न भोजन योजना तहत खाना पकाने के लिए एक रसोई, एक खेल का मैदान, खेल के लिए उपकरणों, पुस्तकालय और टीएलएम ।

प्रवृत्तियां:

- सर्व शिक्षा अभियान के तहत किए गई स्कूल संबंधित विभिन्न प्रवृत्तियो के प्रकार निम्नअनुसार हैं।
- बिआरसी भवन एवं सीआरसी बिल्डिग
- प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों
- अतिरिक्त कक्षा
- हेड मास्टर रूम
- लड़कों और लड़कियों के लिए अलग शौचालय
- चारदीवारी बाउंड्रीवोल
- प्रमुख मरम्मत एवं स्कूल भवनों रिट्रोफिटिग

डिजाइन

विभिन्न गतिविधियों के वास्तुशिल्प डिजाइन के लिए इन हाउस वास्तुकार के माध्यम से किया जाना है और वास्तु - सहायक राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा भर्ती किया था। डिजाइन को भूकंप और चक्रवात प्रतिरोधी घटकों को मे भी शामिल किया गया।

विकसित कक्षाओं के डिजाइन बच्चे केंद्रित है एवं शैक्षणिक के प्रति संवेदनशील और गांव के संदर्भ में स्कूल में कार्य करना चाहिए। डिजाइन शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के उपयोग के लिए भी प्रदान करता है। शौचालय ब्लॉकों का निर्माण भी सीडब्ल्यूएसएन सुविधा प्रदान करता है। सभी नए निर्माण और मरम्मत के काम करता मे बच्चे के अनुकूल आंतरिक और बाहरी तत्वों का समावेश अनिवार्य होगा।

कार्यान्वयन एजेंसी:

विभिन्न सिवील कार्य के निर्माण स्कूल प्रवंधन समिति (एसएमसी) के माध्यम से किया जाता है। समिति सीधे स्थानीय मजदूरों, खरीद सामग्री और निर्माण कार्य कराती है। इस तरह समुदाय के माध्यम से निर्माण एक बड़ी हद तक स्वामित्व (मालिकी) की भावना उत्पन्न करता है। इस का उद्देश्य गांव में प्राथमिक शिक्षा के सर्वांगीण विकास में समुदाय को शामिल करने के लिए है। तकनीकी ड्राइंग और अनुमान के साथ एसएमसी की सहायता के लिए और गुणवत्ता पर्यवेक्षण के लिए तकनीकी रूप से योग्य कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर रखी जानी चाहिए।

एसएमसी प्रशिक्षण:

स्कूल प्रवंधन समिति के सदस्यों के लिए निर्माण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के प्रशिक्षण हासिल कीए है। काम के प्रारंभ से पहले प्रशिक्षण दिया जाता है और इस तरह काम निर्माण के मध्य चरण में पहुंच जाता है।

निगरानी (मॉनिटरिग), पर्यवेक्षण और गुणवत्ता आश्वासन:

- राज्य में अनुवंध के आधार पर इंजीनियरों की भर्ती की गई है और निगरानी एवं पर्यवेक्षण के काम के लिए ब्लॉक स्तर पर तैनात है। इंजीनियरों स्कूल प्रवंधन समिति को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।
- जिला स्तर पर तैनात जिला परियोजना इंजीनियर पूरे जिले के काम को देख रहे है। वह काम की समीक्षा और प्रगति की निगरानी करने के लिए जिले में काम कर रहे ब्लाकों के सभी इंजीनियरों की साप्ताहिक बैठक का आयोजन करते है।
- पूरे राज्य की प्रगति की समीक्षा और निगरानी के लिए, सभी जिला परियोजना इंजीनियरों की मासिक बैठक राज्य स्तर पर आयोजित कि जाती है। सिविल कार्य से संवंधित मुद्दों का मासिक बैठक में समाधान कीया जाता हैं।
- काम की गुणवत्ता में निष्पादित जांच करने के लिए जिला परियोजना इंजीनियर द्वारा चल रहे काम के स्थलो की अक्सर मुलाकात ली जाती है।
- जीनके द्वारा काम के स्थलो की अक्सर मुलाकात ली जाते है उनको काम की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए उन्हे सुझाव देने के लिए राज्य द्वारा सहायक इंजीनियर के साथ गठित निगरानी (मॉनिटरिग) सेल वनाया गया है।

सिविल वर्क्स के वाहरी मूल्यांकन(3rd पार्टी)

- तकनीकी लेखा और गुणवत्ता आश्वासन की सिविल काम की सेवाओं के लिए पेशेवर सलाहकार को अपनाया गया है। सलाहकार निगरानी द्वारा अक्सर काम के दौरान प्रगति के तहत निर्माण कार्य को प्राप्त करने के लिए इस परियोजना में गुणवत्ता के मानक निर्धारित की गई। विसंगति / त्रुटि अगर किसी भी 3^{rd} पार्टी सलाहकार द्वारा अपने सुझाव और उपचारात्मक दोषों को सुधारने के उपायों के साथ बताया है।
- सलाहकार निर्माण सामग्री, एसएमसी रिपोर्ट और इंजीनियरों की क्षेत्र और (प्रयोगशाला) भी स्वतंत्र जांच ले।
- काम के पूरा हो जाने पर सलाहकार समापन प्रमाण पत्र जारी करे।

वर्ष 2011-12 में इन्फ्रास्ट्रक्चर का काम

सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2011-12 के लिए विभिन्न बुनियादी गतिविधियों के विस्तार की स्थिति नीचे दी गई है।

गतिविधि के नाम	कुल योजनाए	पूर्ण		प्रगति पर हैं	
		कार्यों की संख्या	प्रतिशतता	कार्यों की संख्या	प्रतिशतता
अतिरिक्त कक्षा	14665	12336	84.12	2329	15.88
शौचालय ब्लाकों	1223	1207	98.69	16	1.31
स्कूल की इमारत के प्रमुख मरम्मत	1065	1057	99.25	8	0.75

अतिरिक्त कक्षा :

अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण सर्व शिक्षा अभियान के तहत इस वर्ष के दौरान किए गए। 14665 लक्षित अतिरिक्त कक्षाओं, कुल 12336 पहले से ही पूरा किया गया है, जबकि 2329 कक्षाओं का कार्य प्रगति में था।

जिले वार विवरण निम्नानुसार हैं:

नं.	ज़िला	अतिरिक्त कक्षाओं		
		लक्षित	प्रगति पर हैं	पूर्ण
1	अहमदाबाद	722	109	613
2	अहमदाबाद कॉर्पोरेशन	46	26	20
3	अमरेली	483	67	416
4	आणद	497	96	401
5	वनासकाँठा	1100	259	841
6	भरूच	484	27	457
7	भावनगर	783	245	538
8	दाहोद	696	56	640
9	डांग	136	6	130
10	गांधीनगर	260	47	213
11	जामनगर	662	49	613
12	जूनागढ़	680	100	580
13	खेड़ा	647	96	551
14	कच्छ	784	111	673
15	महेसाणा	425	34	391
16	नर्मदा	308	71	237
17	नवसारी	312	15	297
18	पंचमहाल	771	237	534
19	पाटण	475	22	453
20	पोरबंदर	157	36	121

नं.	ज़िला	अतिरिक्त कक्षाओं		
		लक्षित	प्रगति पर हैं	पूर्ण
21	राजकोट	678	101	577
22	राजकोट कॉर्पोरेशन	12	8	4
23	सावरकांठा	792	70	722
24	सूरत	880	99	781
25	सुरेन्द्रनगर	545	116	429
26	वडोदरा	845	122	723
27	वडोदरा कॉर्पोरेशन	35	31	4
28	वलसाड	450	73	377
	कुल	**14665**	**2329**	**12336**

शौचालय ब्लाकों:

वर्ष दौरान 1223 टॉयलेट ब्लॉक के निर्माण का लक्ष्य किया गया था। जिसमें से 1207 पूरा किया गया, जबकि काम 16 में कार्य प्रगति पर है।

नं.	ज़िला	शौचालय ब्लॉक		
		लक्षित	प्रगति पर हैं	पूर्ण
1	अहमदाबाद	38	0	38
2	आनंद	59	0	59
3	बनासकाँठा	183	0	183
4	भावनगर	44	0	44
5	दाहोद	120	9	111
6	डम्मा	21	0	21
7	जूनागढ़	121	0	121
8	खेड़ा	94	2	92
9	कच्छ	61	3	58
10	महेसाणा	74	0	74
11	नवसारी	39	0	39
12	पंचमहल	123	0	123
13	पाटन	7	0	7
14	राजकोट	35	0	35
15	राजकोट कॉर्पोरेशन	6	0	6
16	सावरकांठा	60	1	59
17	सुरेन्द्रनगर	15	1	14
18	वडोदरा	123	0	123
	कुल	**1223**	**16**	**1207**

प्रमुख मरम्मत

सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूल की इमारत के प्रमुख मरम्मत काम वर्ष के दौरान किए गए। लक्षित 1065 प्रमुख मरम्मत कार्यों में से 1057 पूरा कर रहे हैं ओर 8 प्रगति के तहत कर रहे है।

नं.	ज़िला	प्रमुख मरम्मत		
		लक्षित	प्रगति पर हैं	पूर्ण
1	अहमदाबाद	102	0	102
2	अहमदाबाद कॉर्पोरेशन	22	0	22
3	अमरेली	40	0	40
4	आणद	73	0	73
5	बनासकाँठा	82	0	82
6	भरूच	22	0	22
7	भावनगर	79	0	79
8	दाहोद	18	1	17
9	डांग	9	0	9
10	गांधीनगर	76	0	76
11	जामनगर	12	0	12
12	जूनागढ़	50	0	50
13	खेड़ा	67	1	66
15	महेसाणा	79	0	79
16	नर्मदा	8	3	5
17	नवसारी	42	0	42
18	पंचमहाल	26	0	26
19	पाटण	13	0	13
20	पोरबंदर	13	1	12
21	राजकोट	39	0	39
22	साबरकांठा	25	0	25
23	सूरत	49	0	49
24	सुरेन्द्रनगर	31	2	29
25	वडोदरा	57	0	57
26	वलसाड	31	0	31
	कुल	**1065**	**8**	**1057**

માલણકા પ્રાથમિક શાળા

ધોરણ-૧ વર્ગખંડ

अध्याय – XI
वित्त और लेखा

अध्याय – XI

वित्त और लेखा

लेखा परीक्षा एवं लेखा

एसएसए के परीक्षित लेखा समेत लेखा परीक्षित रिपोर्ट्स, भारत सरकार को भेजे जा चुके हैं। एसएसए के वर्ष 2011-12 के वार्षिक रिपोर्ट और परीक्षित लेखा भारत सरकार को समय पर प्रस्तुत किए गए थे।

सर्व शिक्षा अभियान में वित्तीय निष्पादन

गुजरात में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विविध परियोजना हस्तक्षेपों के लिए वर्ष 2011-12 में कुल वार्षिक अंदाज रू. 179330.68 लाख आँका गया था, जिसमें से कुल रू.131177.54 लाख का खर्च किया गया। धनराशि का प्रवाह सरल था, भारत सरकार द्वारा रू.86827.79 लाख की धनराशि और गुजरात सरकार द्वारा रु.52784.94 लाख की धनराशि प्राप्त हुई। इससे एडवल्यूपीए एन्ड वी की निर्धारित प्रवृत्तियों के प्रभावी कार्यान्वयन में सुगमता प्राप्त हो पाई।

(रू. लाख में)

वर्ष	बजट	प्राप्त निधि			खर्च
		भारत सरकार	गुजरात सरकार	कुल	
2001-02	3798.03	1766.20	311.70	2077.90	1385.38
2002-03	12957.98	9872.80	2250.00	12122.80	5471.67
2003-04	22774.43	11525.41	2158.00	13683.41	14310.86
2004-05	24505.23	11245.00	6121.00	17366.00	15362.65
2005-06	26566.75	12830.57	7560.00	20390.57	20516.25
2006-07	38020.43	14504.72	7999.00	22503.72	27259.23
2007-08	35714.96	21607.36	12917.73	34525.09	26933.04
2008-09	46144.12	24184.82	14890.00	39074.82	32554.84
2009-10	52014.77	19823.25	14490.00	34313.25	38120.89
2010-11	98163.98	44065.01	19018.50	63083.51	73550.41
2011-12	**179330.68**	**86827.79**	**52784.94**	**139612.73**	**131177.54**

एनपीईजीईएल

एनपीईजीईएल के अंतर्गत वर्षभर बालिकाओं की शिक्षा-सुधार के लिए किए गए विविध हस्तक्षेपों को ज़बरदस्त गतिमान प्राप्त हुआ। वर्ष 2011-12 के दौरान, एनपीईजीईएल के अंतर्गत गुजरात में विभिन्न परियोजना प्रवृत्तियों के लिए कुल वार्षिक बजट रू. 1007.00 लाख में से कुल रू.979.89 लाख खर्च किए गए। गुजरात में एनपीईजीईएल के अंतर्गत वर्षानुसार प्रदर्शन इस प्रकार रहा:

(रू. लाख में)

वर्ष	बजट	प्राप्त निधि			खर्च
		भारत सरकार	गुजरात सरकार	कुल	
2003-04	718.51	134.72	-	134.72	406.26
2004-05	4675.87	2827.00	1175.00	4002.00	3246.32
2005-06	3765.47	2454.14	950.00	3404.14	3317.97
2006-07	918.57	302.25	100.00	402.25	846.41
2007-08	726.46	472.19	200.00	672.19	671.57
2008-09	706.96	229.76	200.00	429.76	648.16
2009-10	725.87	208.48	300.00	508.48	585.24
2010-11	718.54	0.00	200.00	200.00	603.55
2011-12	**1007.00**	**307.20**	**215.00**	**522.20**	**979.89**

कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी)

वर्ष 2011-12 के दौरान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) के अंतर्गत गुजरात में विभिन्न परियोजना प्रवृत्तियों के लिए कुल वार्षिक बजट रू.6036.30 लाख में से कुल रू.2076.70 लाख खर्च किए गए।

(रू. लाख में)

वर्ष	बजट	प्राप्त निधि			खर्च
		भारत सरकार	गुजरात सरकार	कुल	
2004-05	662.70	497.03	-	497.03	21.14
2005-06	662.70	-	335.00	335.00	146.55
2006-07	1230.18	326.76	1.00	327.76	317.12
2007-08	1780.67	706.21	260.00	966.21	461.69
2008-09	3131.97	1017.89	212.00	1289.89	743.39
2009-10	2755.39	-	210.00	210.00	1040.65
2010-11	2666.36	-	450.00	450.00	1364.16
2011-12	**6036.30**	**892.80**	**2035.00**	**2927.80**	**2076.70**

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

श्री मनोज अग्रवाल, आईएएस
स्टेट प्रोजेक्ट डिरेक्टर, सर्व शिक्षा अभियान एवं
पदन कमीश्नर प्राथमिक शिक्षा और मध्याहन भोजन योजना

स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस
गुजरात काउन्सिलरऑफ एलिमेन्टरी एज्यूकेशन
सर्व शिक्षा अभियान, से-17, गांधीनगर, गुजरात
दूरभाष : 079-23235069, 23232436
ई-मेइल : dpepgujarat @yahoo.co. gujssafinance@gmail.com
web : www.ssagujarat.org

D.O.No : SSA/ACT/11001/57722-23 DATE : 5/12/2012

माननीय महोदय,

वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए एसएसए (एनपीईजीईएल समेत) और केजीबीवी के वार्षिक रिपोर्ट के साथ-साथ आवश्यक निवेदन, प्रमाणपत्र व रिपोर्ट्स तैयार किए गए और निम्नलिखित दस्तावजों के साथ प्रस्तुत किए गए :

- एसएसए और एनपीईजीईएल के लिए

(1) बैलेंस शीट
(2) आय और खर्च लेखा
(3) प्राप्ति एवं भुगतान
(4) वार्षिक समेकित वितीय बयान
(5) उपयोग प्रमाणपत्र (एसएसए एवं एनपीईजीईएल)
(6) एफएमआरएस - I एवं - II
(7) लेखा परिक्षकों की रिपोर्ट और प्रबंधन पत्र।
(8) खरीद लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र

- **केजीबीवी के लिए**

(1) बैलेंस शीट
(2) आय और खर्च लेखा
(3) लेखा उपयोग प्रमाणपत्र
(4) एफएमआरएस - I
(5) लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और प्रबंधन पत्र

जैसे ही कार्यवाही समिति को अवगत कराने के बाद, हमे हमारे वितीय वर्ष 2011-12 के वार्षिक हिसाबो की अनुमति मिल जाएगी, हम बहुत जल्दी ही उसकी स्वीकृति प्रस्तुत करेंगे।

उपर्युक्त विवरणों को क्रमबद्ध स्वरूप में देखे।

आभार सह,

संलग्न : उपर्युक्त दस्तावेज

भवदीय,

(मनोज अग्रवाल)

प्रति,
विरेन्द्र सिंह
उप-निर्देशक, (एस.ई.- ए ल)
भारत सरकार, मनाव संशाधन विकास मंत्रालय,
शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शास्त्र भवन, नई दिल्ली - 110115
ई-मेइल : ssafinance@gmail.com एवं virender.justa@nic.in

प्रतिलिपि :
टेकनिकल सर्पोट ग्रुप,
सर्व शिक्षा अभियान,
एड.सिल. (इन्डिया) लिमीटेड,
(गर्वनमेनट ओफ इन्डिया अेन्टरप्राइज),
विजय बील्डींग, ५ फोल्र, १७ बाराखंखभा रोड, नई दिल्ली-११०००१, (बाराखंखभा रोड मेट्रो स्टेशन के पाास),
EPABX No.: 011-23765605 to 23765612

1

वार्षिक अहेवाल २०११ – १२

वार्षिक हिसाबो २०११ – १२

आरटीइ-एसएसए - एनपीईजीईएल - केजीबीवी

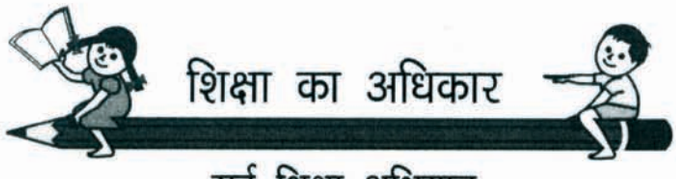

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद
सर्व शिक्षा अभियान
सेक्टर –१७, गांधीनगर, गुजरात
टोल फ्री नंबर - १८०० – २३३– ७९६५

31 वीं मार्च, 2012 के रुप में समेकित बैलेन्स शीट

सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात राज्य

देयता	रकम (रू) वर्तमान वर्ष	रकम (रू) पिछले वर्ष
असल पूँजी		
प्रारंभिक शेष	763,986,768	1,767,985,773
धन प्राप्ति		
भारत सरकार द्वारा		
(अ) एसएसए- सामान्य अनुदान	3,942,370,000	2,541,616,000
(ब) एसएसए- केपीटल अनुदान	4,740,409,000	1,864,885,000
(क) एनपीईजीईएल	30,720,000	-
राज्य सरकार द्वारा		
(अ) एसएसए- सामान्य अनुदान	2,184,500,000	1,438,150,000
(ब) एसएसए- केपीटल अनुदान	3,093,994,000	463,700,000
(क) एनपीईजीईएल	21,500,000	20,000,000
13वों एफ.सी.एवोर्ड से प्राप्त	850,000,000	720,000,000
ब्याज		
(अ) एसएसए	129,117,482	64,722,940
(ब) एनपीईजीईएल	892,303	2,180,965
अन्य प्राप्तियाँ	54,485,577	16,142,850
	15,811,975,129	8,899,383,528
कम:		
उपयोग में ली गई राशी	14,065,743,699	8,135,396,760
अंतिम शेष	1,746,231,430	763,986,768
प्रतिदेय अग्रीम / मौजूदा दायित्व		
कर्मी/हर एमडीएम खाता	7,458,233	7,458,233
कर्लब्य और दैय कर	4,073,989	224,156
प्रतिधारण राशि(नई)	72,733,911	31,290,582
आरएम/इइएमडी/बीड/निष्पादन जमा	79,892,691	12,763,250
सुरक्षा डिपोज़िट	29,617,350	5,242,678
टीआरपी वेतन अनुदान	168,040	2,373,427
बकाया समायोजन	714,947	665,947
बीआरसी भवन अनुदान	465,840	465,840
डिपोज़िट	-	50,000
शिक्षा अनुदान	-	20,000
बाल मानचित्रीकरन	98,797	114,797
एमडीएम रसोई शेड	21,670	21,670
एमआईएस डेटाबेज़ अनुदान	10,000	10,000
अन्य दायित्व	430,848	91,864
शौचालय ब्लोक अनुदान	30,675	30,675
जी सी पी ई खाता	915,394	915,394
लेनदार	45,007,429	-
सीपीओफ फंड वापसी	10,710	-
अन्य आयोजन मे दिया गया भुगतान	35,000,000	-
अंतर जिला लेन-दन	18,950	-
कुल	2,022,900,904	825,725,281

परिसंपती	रकम (रू) वर्तमान वर्ष	रकम (रू) पिछले वर्ष
अचल संपति		
निर्माण कार्य	-	-
वाहन	-	-
उपकरण	-	-
जमा राशि		
(अ) सावधी जमा	-	-
(ब) अन्य जमा राशि	-	-
जलों पर शेष राशि		
(ए) बेन्क में शेष राशी	604,353,404	574,322,440
(बी) हाथ पर शेष राशि	3,709	15,104
(सी) अग्रीम बकाया	39,583,033	24,811,052
(डी) सीआरसी वेतन निधि	36,351	36,351
(इ) प्राप्त योग्य शिक्षा अनुदान	22,730	22,730
(एफ) निर्देशक प्राथमिक (मध्याहन भोजन रसोई शेड)	-	20,000,000
(जी) डिपोज़िट	5,691	-
(एच) अंतर जिला लेन-दन	18,950	-
(आइ)अन्य संपति	-	-
एसपीओ पर अंतिम शेष		
(अ) बेन्क में शेष राशि	1,344,548,346	166,572,665
(ब) हाथ पर शेष राशि	33,969	25,156
एडवांस	4,189,160	9,819,222
जिला समायोजन खाता	100,561	100,561
केजीबीवी खाता	30,000,000	30,000,000
डिपोज़िट	5,000	-
कुल	2,022,900,904	825,725,281

परिशिष्ट । के अनुसार किए गए हिसाबो की टिप्पणी इसके साथ संलग्न है

संलग्न तारीख के हमारे लेख रिपोर्ट के अनुसार,

पोरस पटेल
वित्त और हिसाब अधिकारी,
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात,
राज्य परियोजना कार्यालय,
गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद
गांधीनगर.

स्थान : गांधीनगर
दिनांक :

मनोज अग्रवाल (आईएएस)
राज्य परियोजना निदेशक
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात,
राज्य परियोजना कार्यालय,
गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद
गांधीनगर.

स्थान : गांधीनगर
दिनांक :

एस. के. पाटोडीया एन्ड एसोसिएटस के उपलक्ष मे,
चार्टर्ड एकाउन्टंट
FRN 112723W

सुमेर सिंह
पार्टनर
M. No. 406944

S. K. PATODIA & ASSOCIATES AHMEDABAD CHARTERED ACCOUNTANTS

स्थान : अमदाबाद
दिनांक : 04 12 2012

31 वीं मार्च, 2012 के रुप में समेकित आय और व्यय लेखा

सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात राज्य

व्यय	रकम (रू) वर्तमान वर्ष	रकम (रू) पिछले वर्ष
जिला एवं तहसिल स्तर पर		
एसएसए- सामान्य अनुदान		
शिक्षकों का वेतन	1,390,969,100	642,235,500
बीआरसी	254,604,441	103,681,406
सीआरसी	663,705,632	468,108,157
विधालय से बाहर के बच्चों के	98,015,958	105,829,623
नवीनतापूर्ण प्रवृतियाँ	202,418,108	87,108,604
आईइडी	143,676,622	150,918,024
मरम्मत अनुदान	408,165,486	404,247,473
प्रबंधन और एमआईएस	610,740,411	205,770,559
निशुल्क पाठ्यपुस्तकें	350,738,817	219,977,332
संशोधनएवं मूल्यांकन	78,048,959	52,664,628
विधालय अनुदान	331,192,450	326,906,145
शिक्षक अनुदान	99,163,875	92,705,332
टीएलई	48,014,042	54,490,000
शिक्षक प्रशिक्षण	279,020,379	130,007,577
सामुदायिक अभिप्रेरण	185,003,127	60,534,431
विशेष प्रशिक्षण	213,155,597	-
एनपीईजीईएल	97,989,064	60,355,311
राज्य घटक		
प्रबंधन और एमआईएस	216,319,790	112,940,614
संशोधन एवं मूल्यांकन	5,877,562	8,360,801
एसएसए सामान्य के कुल खर्च	**5,676,819,420**	**3,286,841,517**
एसएसए असल अनुदान		
निर्माण कार्य	7,538,924,279	4128555243
एसएसए असल का कुल खर्च	**7,538,924,279**	**4,128,555,243**
एसएसए १३ वे एफ.सी. एवोर्ड		
नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक	280,000,000	230,000,000
नवीनीकृत प्रवृत्तियाँ	60,000,000	40,000,000
आईइडी	170,000,000	150,000,000
विद्यालय से बाहर के बच्चो	145,000,000	130,000,000
टीएलई	25,000,000	20,000,000
शिक्षक प्रशिक्षक	170,000,000	150,000,000
एसएसए १३वें एफ.सी अवोर्ड का कुल	**850,000,000**	**720,000,000**
कुल व्यय (एसएसए+एनपाईजीईएल)	**14,065,743,699**	**8,135,396,760**
व्यय से अधिक आय के अतिरिक्त	**1,746,231,430**	**763,986,768**
कुल	**15,811,975,129**	**8,899,383,528**

आय	रकम (रू) वर्तमान वर्ष	रकम (रू) पिछले वर्ष
धन प्राप्ति		
भारत सरकार द्वारा		
(अ)एसएसए-सामान्य अनुदान	3,942,370,000	2,541,616,000
(ब)एसएसए-केपीटल अनुदान	4,740,409,000	1,864,885,000
(क)एनपीईजीईएल	30,720,000	-
राज्य सरकार द्वारा		
(अ)एसएसए-सामान्य अनुदान	2,184,500,000	1,438,150,000
(ब)एसएसए-केपीटल अनुदान	3,093,994,000	463,700,000
(क)एनपीईजीईएल	21,500,000	20,000,000
१३वें एफ.सी.एवोर्ड से प्राप्त	850,000,000	720,000,000
ब्याज		
(अ)एसएसए	129,117,482	64,722,940
(ब) एनपीईजीईएल	892,303	2,180,965
अन्य		
अनुदान वापसी बचत	47,789,380	13,845,630
निविद शुल्क	3,269,600	2,196,000
विविध प्राप्तियाँ	359,222	79,220
वाहनों की पुन: बिकी	979,900	22,000
लीकवोड डेमेज	688,444	-
अन्य	1,399,031	-
असंवितरित अनुदान (प्रारंभिक)	763,986,768	1,767,985,773
कुल	**15,811,975,129**	**8,899,383,528**

परिशिष्ट। के अनुसार किए गए हिसाबो की टिप्पणी इसके साथ संलग्न है

संलग्न तारीख के हमारे लेख रिपोर्ट के अनुसार,

पोरस पटेल
वित्त और हिसाब अधिकारी,
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात,
राज्य परियोजना कार्यालय,
गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद
गांधीनगर.

स्थान : गांधीनगर
दिनांक :

मनोज अग्रवाल (आईएएस)
राज्य परियोजना निर्देशक
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात,
राज्य परियोजना कार्यालय,
गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद
गांधीनगर.

स्थान : गांधीनगर
दिनांक :

एस. के. पाटोडीया एन्ड एसोसिएटस के उपलक्ष मे,
चार्टर्ड एकाउन्टंट
FRN 112723W

सुमेर सिंह
पार्टनर
M. No. 406944

स्थान : अमदाबाद
दिनांक : 04-12-2012

S. K. PATODIA & ASSOCIATES AHMEDABAD CHARTERED ACCOUNTANTS

31 वीं मार्च, 2012 के रुप में समेकित आय और व्यय लेखा

सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात राज्य

प्राप्ति	रकम (रू) वर्तमान वर्ष	रकम (रू) पिछले वर्ष	अदायगी	रकम (रू) वर्तमान वर्ष	रकम (रू) पिछले वर्ष
प्रारंभिक शेष					
(अ) बेन्क में जमा राशि	740,895,107	1,776,100,839	**एसएसए- सामान्य अनुदान**		
(ब) हाथ पर शेष राशि	40,260	186,964	शिक्षकों का वेतन	1,390,969,100.00	642,235,500
भारत सरकार द्वारा प्राप्त निधि			बीआरसी	254,604,441.00	103,681,406
(अ) एसएसए- सामान्य अनुदान	3,942,370,000	2,541,616,000	सीआरसी	663,705,632.00	468,108,157
(ब) एसएसए- केपीटल अनुदान	4,740,409,000	1,864,885,000	विधालय से बाहर के बच्चों के लिए हस्तक्षेप	98,015,958.00	105,829,623
(क) एनपीईजीईएल	30,720,000	-	नवीनतापूर्ण प्रवृत्तियाँ	202,418,108.00	87,108,604
राज्य सरकार द्वारा प्राप्त निधि			आईइडी	143,676,622.00	150,918,024
(अ) एसएसए- सामान्य अनुदान	2,184,500,000	1,438,150,000	मरम्मत अनुदान	408,165,486.00	404,247,473
(ब) एसएसए - केपीटल अनुदान	3,093,994,000	463,700,000	प्रबंधन और एमआईएस	610,740,410.53	205,770,559
(क) एनपीईजीईएल	21,500,000	20,000,000	निशुल्क पाठ्यपुस्तकें	350,738,817.00	219,977,332
			संशोधन एवं मूल्यांकन	78,048,959.00	52,664,628
१३वें एफ.सी.एवोर्ड से प्राप्त	850,000,000	720,000,000	विधालय अनुदान	331,192,450.00	326,906,145
ब्याज			शिक्षक अनुदान	99,163,875.00	92,705,332
(अ) एसएसए	129,117,482.00	64,722,940	टीएलई	48,014,042.00	54,490,000
(ब) एनपीईजीईएल	892,303.00	2,180,965	शिक्षक प्रशिक्षण	279,020,379.40	130,007,577
अन्य			सामुदायिक अभिप्रेरण	185,003,127.00	60,534,431
अनुदान वापसी बचत	47,789,380.00	13,845,630	विशेष प्रशिक्षण	213,155,597.00	-
निविद शुल्क	3,269,600.00	2,196,000	एनपीआजीईएल	97,989,063.96	60,355,311
विविध प्राप्तियाँ	359,222.00	79,220			
वाहनों की पुनःबिक्री	979,900.00	22,000	**राज्य घटक**		
लीकवीड डेमेज	688,444.00	-	प्रबंधन और एमआईएस	216,319,790	112,940,614
अन्य	1,399,030.60	-	संशोधन एवं मूल्यांकन	5,877,562	8,360,801
			एसएसए सामान्य के कुल खर्च	**5,676,819,420**	**3,286,841,517**
			एसएसए असल अनुदान		
			निर्माण कार्य	7,538,924,279	4,128,555,243
			एसएसए असल का कुल खर्च	**7,538,924,279**	**4,128,555,243**
प्राप्ति योग्य रकम में बढ़ोतरी	225,759,400	3,276,842	**एसएसए १३ वें एफ.सी. एवोर्ड**		
			निःशुल्क पाठ्यपुस्तक	280,000,000	230,000,000
			नवीनीकृत प्रवृत्तियाँ	60,000,000	40,000,000
			आईइडी	170,000,000	150,000,000
			विद्यालय से बाहरके बच्चो के हस्तक्षेप	145,000,000	130,000,000
			टीएलई	25,000,000	20,000,000
			शिक्षक प्रशिक्षक	170,000,000	150,000,000
			एसएसए १३वें एफ.सी अवोर्ड का कुल खर्च	**850,000,000**	**720,000,000**
			कुल व्यय(एसएसए+एनपाईजीईएल)	**14,065,743,699**	**8,135,396,760**
			अग्रिम बकाया		
			(अ) राज्य स्तर		9,819,222
			(ब) जिला स्तर		24,811,052
			बंद शेष		
			(अ) बेन्क में शेष जमा राशी	1,948,901,750	740,895,105
			(ब) हाथ पर शेष जमा राशी	37,679	40,260
कुल	**16,014,683,128**	**8,910,962,399**	**कुल**	**16,014,683,128**	**8,910,962,399**

परिशिष्ट। के अनुसार किए गए हिसाबो की टिप्पणी इसके साथ संलग्न है

संलग्न तारीख के हमारे लेख रिपोर्ट के अनुसार,

पोरस पटेल
वित्त एवं हिसाब अधिकारी,
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात,
राज्य परियोजना कार्यालय,
गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद
गांधीनगर.
स्थान : गांधीनगर
दिनांक :

मनोज अग्रवाल (आईएएस)
राज्य परियोजना निर्देशक
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात,
राज्य परियोजना कार्यालय,
गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद
गांधीनगर.
स्थान : गांधीनगर
दिनांक :

एस. के. पाटोडीया एन्ड एसोसिएटस के उपलक्ष मे,
चार्टर्ड एकाउन्टंट
FRN 112723W

सुमेर सिंह
पार्टनर
M. No. 406944
स्थान : अमदाबाद
दिनांक : 04-12-2012

S. K. PATODIA & ASSOCIATES AHMEDABAD CHARTERED ACCOUNTANTS

31 वीं मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वार्षिक वित्तिय निवेदन

सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात राज्य

स्रोत एवं अनुप्रयोग

	कुल		
स्रोत(प्राप्तियाँ)	एसएसए	एनपीईजीईएल	कुल
प्रारंभिक शेष			
(अ) हाथ पर शेष राशि	40,260	-	40,260
(ब) बेन्क में जमा शेष	719,903,473	20,991,634	740,895,107
कुल	**719,943,733**	**20,991,634**	**740,935,367**
स्रोत (प्राप्ति)			
(अ)भारत सरकार द्वारा प्राप्त निधि			
(i) सामान्य अनुदान	3,942,370,000	30,720,000	3,973,090,000
(i) असल अनुदान	4,740,409,000	-	4,740,409,000
(ब)राज्य सरकार द्वारा प्राप्त निधि			-
(i) सामान्य अनुदान	2,184,500,000	21,500,000	2,206,000,000
(i) असल अनुदान	3,093,994,000	-	3,093,994,000
(क) १३वें एफ.सी.एवोर्ड से प्राप्त निधि	850,000,000	-	850,000,000
(ड) ब्याज	129,117,482	892,303	130,009,785
अन्य			-
(अ) अनुदान वापसी बचत	47,722,751	66,629	47,789,380
(ब) निविद शुल्क	3,269,600	-	3,269,600
(क) विविध प्राप्तियाँ	359,222	-	359,222
(ड) वाहनों की पुनःबिक्री	979,900	-	979,900
(इ) प्राप्ति योग्य रकम में कटौती	225,759,400	-	225,759,400
(फ) लीकवीड डेमेज	688,444	-	688,444
(जी) अन्य	1,399,031	-	1,399,031
कुल प्राप्तियां (I)	**15,940,512,563**	**74,170,566**	**16,014,683,128**
अनुप्रयोग (व्यय)	**अनुमोदित एडबल्युपी एन्ड बी विभाजन समेत**	**व्यय खर्च**	**बचत**
अदायगीयाँ			
एसएसए- सामान्य और १३वें एफ.सी.अवोर्ड			
शिक्षकों का वेतन	2,662,208,000	1,390,969,100	1,271,238,900
बीआरसी	415,136,000	254,604,441	160,531,559
सीआरसी	1,038,416,000	663,705,632	374,710,368
विद्यालय से बाहर के बच्चों के लिए हस्तक्षेप	325,580,000	243,015,958	82,564,042
नवीनतापूर्ण प्रवृतियाँ	324,409,000	262,418,108	61,990,892
आईइडी	348,456,000	313,676,622	34,779,378
मरम्मत अनुदान	416,610,000	408,165,486	8,444,514
प्रबंधन और एमआईएस	756,070,800	610,740,411	145,330,389
निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें	682,102,550	630,738,817	51,363,733
संशोधनएवं मूल्यांकन	82,336,800	78,048,959	4,287,841
विधालय अनुदान	342,532,000	331,192,450	11,339,550
शिक्षक अनुदान	109,996,000	99,163,875	10,832,125
टीएलई	97,500,000	73,014,042	24,485,958
शिक्षक प्रशिक्षण	730,562,000	449,020,379	281,541,621
सामुदायिक अभिप्रेरण	213,777,600	185,003,127	28,774,473
विशेष प्रशिक्षण	272,144,000	213,155,597	58,988,403
एनपीआजीईएल	100,700,000	97,989,064	2,710,936
राज्य घटक			
प्रबंधन और एमआईऍस	273,500,000	216,319,790	57,180,210
संशोधन	5,881,000	5,877,562	3,438
एसएसए असल अनुदान			
निर्माण कार्य	8,835,849,900	7,538,924,279	1,296,925,621
कुल खर्च (II)	**18,033,767,650**	**14,065,743,699**	**3,968,023,951**
बंद शेष -(I) - (II)		1,948,939,429	
(अ) बेन्क में शेष जमा राशि	1,932,766,763	16,134,987	1,948,901,750
(ब) हाथ पर शेष राशि	37,679	-	37,679
कुल	**1,932,804,442**	**16,134,987**	**1,948,939,429**

परिशिष्ट I के अनुसार किए गए हिसाबो की टिप्पणी इसके साथ संलग्न है

संलग्न तारीख के हमारे लेखा रिपोर्ट के अनुसार

एस. के. पाटोडीया एन्ड एसोसिएटस के उपलक्ष में,
चार्टर्ड एकाउन्टंट
FRN 112723W

पोरस पटेल
वित और हिसाब अधिकारी,
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात,
राज्य परियोजना कार्यालय,
गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद
गांधीनगर

स्थान : गांधीनगर
दिनांक :

मनोज अग्रवाल (आईएएस)
राज्य परियोजना निर्देशक
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात,
राज्य परियोजना कार्यालय,
गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद
गांधीनगर

स्थान : गांधीनगर
दिनांक :

सुमेर सिंह
पार्टनर
M No 406944

स्थान : अमदावाद
दिनांक : 04-12-2012

S. K. PATODIA & ASSOCIATES
AHMEDABAD
CHARTERED ACCOUNTANTS

6

एसएसए - गुजरात

वित्तिय वर्ष 2011-12

एसएसए - एनपीईजीईएल - केजीबीवी उपयोगिता प्रमाणपत्र

क्र	स्वीकृति पत्र क्रमांक और दिनांक	एसएसए			एनपीईजीईएल	केजीबीवी	कुल योग
		अनुदान सहायता-सामान्य	अनुदान सहायता-पूंजी	कुल			
1	**भारत सरकार**						
	F.NO.9-2/2011-EE-17 GOI-MHRD	-	481,806,000	481,806,000	-	-	481,806,000
	F.NO.9-2/2011-EE-17 GOI-MHRD	722,709,000	-	722,709,000	-	-	722,709,000
	F.NO.9-2/2011-EE-17 GOI-MHRD	-	240,903,000	240,903,000	-	-	240,903,000
	F.NO.9-2/2011-EE-17 GOI-MHRD	361,355,000	-	361,355,000	-	-	361,355,000
	F.NO.9-2/2011-EE-17 GOI-MHRD	1,008,306,000	-	1,008,306,000	-	-	1,008,306,000
	F.NO.9-2/2011-EE-17 GOI-MHRD	1,000,000,000	2,526,663,803	3,526,663,803	30,720,000	75,375,197	3,632,759,000
	F.NO.9-2/2011-EE-17 GOI-MHRD	-	973,336,197	973,336,197	-	13,904,803	987,241,000
	F.NO.9-2/2011-EE-17 GOI-MHRD	850,000,000	517,700,000	1,367,700,000	-	-	1,367,700,000
	कुल योग GOI SSA	**3,942,370,000**	**4,740,409,000**	**8,682,779,000**	**30,720,000**	**89,280,000**	**8,802,779,000**

S. K. RATODIA & ASSOCIATES AHMEDABAD CHARTERED ACCOUNTANTS

क्रम	स्वीकृति पत्र क्रमांक और दिनांक	एसएसए			एनपीईजीईएल	केजीबीवी	कुल योग
		अनुदान सहायता-सामान्य	अनुदान सहायता-असल	कुल			
2	**गुजरात सरकार**						
	GOG शिक्षा विभाग, पत्र क्रमांक No.APB /10/2011/268485/V	467,975,000	567,248,000	1,035,223,000	1,500,000	39,250,000	1,075,973,000
	GOG शिक्षा विभाग, पत्र क्रमांक No.APB/13/2011/282695/V	132,275,000	-	132,275,000	-	-	132,275,000
	GOG शिक्षा विभाग, पत्र क्रमांक No.APB/13/2011/326895/V	108,250,000	-	108,250,000	15,000,000	-	123,250,000
	GOG शिक्षा विभाग, पत्र क्रमांक No.APB/10/2011/268485/V	469,475,000	-	469,475,000	-	-	469,475,000
	GOG शिक्षा विभाग, पत्र क्रमांक No.APB/10/2011/768/268485/V	-	567,248,000	567,248,000	-	39,250,000	606,498,000
	GOG शिक्षा विभाग, पत्र क्रमांक No.APB/10/2011/770/282895/V	132,275,000	-	132,275,000	-	-	132,275,000
	GOG शिक्षा विभाग, पत्र क्रमांक No.APB/13/2011/326895/V	123,250,000	-	123,250,000	-	-	123,250,000
	GOG शिक्षा विभाग, पत्र क्रमांक No.APB/12/2011/829/326895/V	123,250,000	-	123,250,000	-	-	123,250,000
	GOG शिक्षा विभाग, पत्र क्रमांक No.APB/10/2011/768/268485/V	19,475,000	567,248,000	586,723,000	-	39,250,000	625,973,000
	GOG शिक्षा विभाग, पत्र क्रमांक No.APB/13//2011/770/282695/V	132,275,000	-	132,275,000	-	-	132,275,000
	GOG शिक्षा विभाग, पत्र क्रमांक No.APB/10/2011/768/268485/V	69,475,000	567,250,000	636,725,000	-	39,250,000	675,975,000
	GOG शिक्षा विभाग, पत्र क्रमांक No.APB/13//2011/770/268295/V	132,275,000	-	132,275,000	-	-	132,275,000
	GOG शिक्षा विभाग, पत्र क्रमांक No.APB/12/2011/829/326895/V	123,250,000	-	123,250,000	-	-	123,250,000
	GOG शिक्षा विभाग, पत्र क्रमांक No.APB/10/2011/768/268485/V	112,500,000	525,000,000	637,500,000	5,000,000	46,500,000	689,000,000
	GOG शिक्षा विभाग, पत्र क्रमांक No.APB/10/2011/768/268485/V	38,500,000	300,000,000	338,500,000	-	-	338,500,000
	कुल अनुदान GOG SSA	**2,184,500,000**	**3,093,994,000**	**5,278,494,000**	**21,500,000**	**203,500,000**	**5,503,494,000**
	कुल अनुदान (GOI + GOG)	**6,126,870,000**	**7,834,403,000**	**13,961,273,000**	**52,220,000**	**292,780,000**	**14,306,273,000**
3	**पिछले वर्ष का अव्यतित शेष (*)**	**2,612,556,584**	**(1,799,970,243)**	**812,586,341**	**(48,599,573)**	**13,471,772**	**777,458,540**
4	**बेन्क से पाप्त व्याज**	**129,117,482**	-	**129,117,482**	**892,303**	**2,683,592**	**132,693,377**
5	**अन्य प्राप्तियाँ**	**54,418,948**	-	**54,418,948**	**66,629**	**31,375**	**54,516,952**
	उप कुल	**8,922,963,014**	**6,034,432,757**	**14,957,395,771**	**4,579,359**	**308,966,739**	**15,270,941,869**
6	**वर्ष के दौरान उपयोग मे लिया गया अनुदान**	**5,578,830,356**	**7,538,924,279**	**13,117,754,635**	**97,989,064**	**207,670,077**	**13,423,413,776**
7	**अग्रिम बकाया**	**41,023,489**	-	**41,023,489**	**2,748,704**	**11,956,340**	**55,728,533**
8	**वर्ष के अंत में अव्ययित शेष**	**3,303,109,169**	**(1,504,491,522)**	**1,798,617,647**	**(96,158,409)**	**89,340,322**	**1,791,799,560**

नोट : (•) यह वित्तीय वर्ष 2010-11 के बाद अंत मे "बचत" मे "बकाया अग्रिम " के आंकडे दिखाता है।

S.R. PATODIA & ASSOCIATES * CHARTERED ACCOUNTANTS * AHMEDABAD

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष 2011-12 के दौरान राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात के पक्ष में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा और साक्षरता विभाग एवं गुजरात राज्य के उपर्युक्त पत्रकमांको के संदर्भ से रू.14,30,62,73,000/- (चौदासौ तीस करोड बासढ लाख तहत्तर हजार रूपये) की अनुदान सहाय राशि को उसके सामने प्रदर्शित रूपो में खर्च किया गया और पिछले वर्ष के रू.77,74,58,540/- (सत्तहत्तर करोड चौहत्तर लाख अठावन हजार पांचसौ चालीस रूपय) अव्ययित अनुदान को इस वर्ष से आगे लाया गया, बैन्क ब्याज से प्राप्त रू. 13,26,93,377/- (तेरा करोड छबीस लाख तैरानवे हजार तीन सौ सत्तहत्तर रूपये) और रू.5,45,16,952/- (पांच करोड पेतालीस लाख सोला हजार नौसौ बावन रूपये) की अन्य प्राप्तियाँ, कुल मिलकर रू.15,27,09,41,869/- (पंदरासौ सताबीस करोड नौ लाख एकतालीस हजार आठसौ उनसत्तर रूपये) मे से कुल रू.13,42,34,13,776/- (तेरासौ बैयालीस करोड चौतीस लाख तेरा हजार सात सो छहत्तर रूपये) को वर्ष 2011-12 में जिन उद्देश्यो के लिए उसे मंजूर किया गया था, उसमें उपयोग किया गया, रू.5,57,28,533 /- (पांच करोड सतावन लाख अठयाबीस हजार पांचसौ तेतीस रूपये) अग्रिम राशि के रुप में जुटाए गए, जो वर्ष के अंत तक असमायोजित है और जिसका हिसाब कार्यान्वयन ईकाईयों/एजेंसीयों से प्राप्त करना शेष है, तथा इन को आगे के वर्ष में ले जाने की अनुमति ली जा चुकी है, वर्ष के अंत में रू.1,79,17,99,560 /- (ऐकसौ उन्यासी करोड सत्तरा लाख नैन्यावे हजार पांचसो साठ रूपये) अव्ययित पडी रही घनराशी अगले वर्ष 2012-13 के अनुदान सहाय के सामने समायोजित की जाएगी ।
2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि अनुदान सहाय को जिन शर्तों पर मंजूर किया जाता था, वे सारी शर्तो का अनुपालन किया गया है तथा यह धनराशि जिन उद्देश्यों की आपूर्ति के लिए मंजूर की गई थी, उसी में उपयोग किया गया है या नही इसकी भी जांच मैनें नीचे दर्शाए गए दस्तावेजों के माध्यम से की है और में उससे संतुष्ट हूँ ।

जाँच किए गए दस्तावेजी अभ्यास :

1. लेखा परिक्षण प्राप्त लेखा निवेदन (प्रतिलिपि संलग्न है)
2. उपयोग प्रमाणपत्र
3. प्रगति रिपोर्ट (प्रतिलिपि संलग्न है)

पोरस पटेल
वित्त और हिसाब अधिकारी,
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात,
राज्य परियोजना कार्यालय,
गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद,
गांधीनगर.
दिनांक : 04-12-2012

मनोज अग्रवाल (आईएएस)
राज्य परियोजना निर्देशक
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात,
राज्य परियोजना कार्यालय,
गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद,
गांधीनगर.
दिनांक : 04-12-2012

लेखा परिक्षक का प्रमाण पत्र

जांच के लिए हमारे सामने प्रस्तुत किए गए रिकार्ड्स एवं किताबों के आधार पर हमने उपर्युकत विवरणो की जांच कर ली है और पाया है कि ये विवरण उन सभी के साथ पूर्ण रुप से अनुरुप है, इसे वर्षात 31.3.2012 के हमारे लेखा परिक्षण रिपोर्ट के साथ पढे ।

एस. के. पाटोडीया एन्ड एसोसिएटस के उपलक्ष मे,
चार्टर्ड एकाउन्टंट
FRN 112723W

S.K. PATODIA & ASSOCIATES * AHMEDABAD * CHARTERED ACCOUNTANTS

सुमेर सिंह
पार्टनर
M. No. 406944
स्थान : अमदाबाद
दिनांक : 04-12-2012

परिशिष्ट–II

उपयोगिता प्रमाणपत्र – १३ वाँ वित्तिय कमीशन अवोर्ड

रू.

अनुक्रमांक	स्वीकृति पत्र क्रमांक और दिनांक	१३ वाँ वित्तिय कमीशन अवोर्ड		कुल योग
		योजना	गैर योजना	
		अनुदान सहाय सामान्य	अनुदान सहाय सामान्य	
1	राज्य सरकार से प्राप्त 13 वें वितिय कमीशन अवोर्ड			
(अ)	GOG शिक्षा विभाग पत्र क्रमांक Apb/10/2011/768/268485/v DT 15.10.2011			450,000,000
(ब)	GOG शिक्षा विभाग पत्र क्रमांक Apb/10/2011/768/268485/v DT 27.01.2012			400,000,000
	उप कुल			850,000,000
2	पिछले वर्ष की अव्ययित शेष धनराशि			-
3	बैन्क से प्राप्त ब्याज			-
4	अन्य प्राप्तियाँ			-
	उप कुल			850,000,000
5	वर्ष पर्यांत उपयोग में लिया गया अनुदान			850,000,000
6	बकाया अग्रीम			-
7	वर्षांत पर अव्ययित शेष			-

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष 2011-12 के दौरान राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात के पक्ष में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा और साक्षरता विभाग एवं गुजरात राज्य के उपर्युक्त पत्रक्रमांको के संदर्भ से प्राप्त अनुदान सहाय धनराशि रू.85,00,00,000/- (पंच्यासी करोड रुपये) को उसके सामने प्रदर्शित रूपो से खर्च किया गया और उसमें से बची रह गई अव्यतित धनराशि जो कि रू. शून्य है, बैन्क से प्राप्त ब्याज की राशि, जोकि रू. शून्य है और अन्य प्राप्तियाँ रू.शून्य है, कुल मिलकर रू.85,00,00,000/- (पंच्यासी करोड रुपये) होता है, उसे अगले वर्ष में ले जाया गया है। कुल धनराशि रू.85,00,00,000/- (पंच्यासी करोड रुपये)जिन उदेश्य के प्राप्त की गई थी, उन्हें वर्ष 2011-12 के दौरान उसी काम में उपयोग में ले लिया गया है और वर्ष के अंत तक रू. शून्य की धनराशि अव्ययित शेष रह पाई है जो कि अगले वर्ष 2012-13 में प्राप्ति योग्य अनुदान सहाय के सामने समायोजित की जाएगी।

S. K. PANDIA & ASSOCIATES AHMEDABAD CHARTERED ACCOUNTANTS

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि अनुदान सहाय को जिन शर्तो पर मंजूर किया जाता था, वे सारी शर्तो का अनुपालन किया गया है तथा यह धनराशि जिन उद्देश्यों की आपूर्ति के लिए मंजूर की गई थी, उसी में उपयोग किया गया है या नही इसकी भी जांच मैनें नीचे दर्शाए गए दस्तावेजों के माध्यम की है और में उससे संतुष्ट हूँ।

जाँच किए गए दस्तावेजी अभ्यास :

1. लेखा परिक्षण प्राप्त लेखा निवेदन (प्रतिलिपि संलग्न है)
2. उपयोग प्रमाणपत्र
3. प्रगति रिपोर्ट (प्रतिलिपि संलग्न है)

पोरस पटेल
वित्त और हिसाब अधिकारी,
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात,
राज्य परियोजना कार्यालय,
गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद,
गांधीनगर.
स्थान : गांधीनगर
दिनांक : 04-12-2012

मनोज अग्रवाल (आईएएस)
राज्य परियोजना निर्देशक
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात,
राज्य परियोजना कार्यालय,
गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद,
गांधीनगर.
स्थान : गांधीनगर
दिनांक : 04-12-2012

लेखा परिक्षक का प्रमाण पत्र

जांच के लिए हमारे सामने प्रस्तुत किए गए रिकार्ड्स एवं किताबों के आधार पर हमने उपर्युकत विवरणो की जांच कर ली है और पाया है कि ये विवरण उन सभी के साथ पूर्ण रुप से अनुरुप है, इसे वर्षांत 31.3.2012 के हमारे लेखा परिक्षण रिपोर्ट के साथ पढे।

एस. के. पाटोडीया एन्ड एसोसिएटस के उपलक्ष मे,
चार्टर्ड एकाउन्टंट
FRN 112723W

PATODIA & ASSOCIATES AHMEDABAD CHARTERED ACCOUNTANTS

सुमेर सिंह
पार्टनर
M. No. 406944

स्थान : अमदाबाद
दिनांक : 04-12-2012

सर्व शिक्षा अभियान

एफएमआर - I

राज्य का नाम : गुजरात

व्यय रिपोर्ट सारांश

वितिय वर्ष 2011-12 के लिए

(रू लाख मे)

राज्य का नाम	योजना	एडब्लुपी एंड बी 2011-12	1-4-2011 के रोज प्रारंभिक शेष	भारत सरकरा द्वारा विमोचित	राज्य द्वारा विमोचित	31-३-2012 तक प्रतिवेदित व्यय	अगले वितिय वर्ष 2012-13 के लिए अनुमानित एडब्ल्युपी एंड बी
गुजरात	एसएसए	170,830.68	8,125.86	86,827.79	52,784.94	131,177.55	321,448.00
	एनपीईजीईएल	1,007.00	(486.00)	307.20	215.00	979.89	755.57
	कुल (एसएसए + एनपीईजीईएल)	**171,837.68**	**7,639.87**	**87,134.99**	**52,999.94**	**132,157.44**	**322,203.57**
	13 वाँ एफ.सी.एवोर्ड	8,500.00	-	-	8,500.00	8,500.00	9,800.00
कुल (एसएसए+एसएसए + एनपीईजीईएल +13 वाँ एफ.सी.एवोर्ड)		**180,337.68**	**7,639.87**	**87,134.99**	**61,499.94**	**140,657.44**	**332,003.57**

एडब्ल्युपी एंड बी के अलावा, हम सभी आँकडो को प्रमाणित करते है।

एस. के. पाटोडीया एन्ड एसोसिएटस के उपलक्ष मे,
चार्टर्ड एकाउन्टंट
FRN 112723W

S. K. PATODIA & ASSOCIATES AHMEDABAD CHARTERED ACCOUNTANTS

सुमेर सिंह
पार्टनर
M. No. 406944

स्थान : अमदाबाद
दिनांक : 04-12-2012

सर्व शिक्षा अभियान

एफएमआर – II

राज्य का नाम गुजरात

३१/०३/२०१२ तक एसएसए के अंतर्गत प्रवृति वार व्यय का बयान		
अनुक्रम	प्रवृति वार व्यय	01.04.2011 से 31.03.2012 तक
1	शिक्षकों का वेतन	1,390,969,100
2	बीआरसी	254,604,441
3	सीआरसी	663,705,632
4	विधालय से बाहर के बच्चों के लिए हस्तक्षेप	243,015,958
5	नवीनतापूर्ण प्रवृतियाँ	262,418,108
6	आईइडी	313,676,622
7	मरम्मत अनुदान	408,165,486
8	प्रबंधन और एमआईएस	610,740,411
9	नि:शुल्क पाठ्यपुस्तके	630,738,817
10	संशोधन एवं मूल्यांतकन	78,048,959
11	विधालय अनुदान	331,192,450
12	शिक्षक अनुदान	99,163,875
13	टीएलई	73,014,042
14	शिक्षक प्रशिक्षण	449,020,379
15	सामुदायिक अभिप्रेरण	185,003,127
16	विशेष प्रशिक्षण	213,155,597
17	एनपीआजीईएल	97,989,064
		-
	राज्य घटक	-
18	प्रबंधन और एमआईऐस	216,319,790
19	संशोधन एवं मूल्यांकन	5,877,562
	कुल(I)	**6,526,819,420**
	एसएसए असल अनुदान	
20	निर्माण कार्य	7,538,924,279
	कुल (II)	7,538,924,279
	कुल योग – (I) + (II)	**14,065,743,699**

हम उपर्युक्त सारे आँकडो को प्रमाणित करते है।

एस. के. पाटोडीया एन्ड एसोसिएटस के उपलक्ष मे,
चार्टर्ड एकाउन्टंट
FRN 112723W

S. K. PATODIA & ASSOCIATES AHMEDABAD CHARTERED ACCOUNTANTS

सुमेर सिंह
पार्टनर
M. No. 406944

स्थान : अमदाबाद
दिनांक : 04-12-2012

एस. के. पाटोडीया एन्ड एसोसिएटस
चार्टर्ड एकाउन्टंट

लेखा परिक्षक की रिपोर्ट

प्रति
राज्य परियोजना निर्देशक
गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद,
सर्व शिक्षा अभियान,
गुजरात, गांधीनगर.

संदर्भः गुजरात प्रार्रभिक शिक्षा परिषद विभाग (एसएसए) 2011-12 के वैद्यानिक अंकेक्षण

हमने **'सर्व शिक्षा अभियान', गुजरात** की यहाँ संलग्न 31 मार्च 2012 की स्थिति में सम्मिलित बेलेन्स शीट, उनकी सम्मिलित आय एवं व्यय खाता, सम्मिलित प्राप्तियों एवं भुगतान और सम्मिलित वार्षिक वित्तीय निवेदनों का इसमें दर्शाई गई तारीख को खत्म होने वाले वर्ष का लेखा परिक्षण किया है। ये वित्तीय निवेदन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारे लेखा परिश्रण के आधार पर वित्तीय निवेदन के लिए अभिप्राय देना हमारी जिम्मेदारी है।

हमने भारत में सामान्यरुप से मान्य किए गए लेखा परिक्षण एवं लेखा मानकों के आधिन रहकर लेखा परिक्षण किया है। इन मानकों के अनुसार हमे अपना लेखा परीक्षण इस तरह से आयोजित एवं निष्पादित करना होता है कि जिससे यह तय हो सके कि वित्तीय निवेदन किसी तरह की सामग्री के गैर निवेदन से मुक्त है। लेखा परीक्षण में वित्तीय निवेदन में प्रदर्शित धन राशियों के आँकडो एवं उनके प्रकटन आधार साक्ष्यों के याद्दच्छिक एवं जाँच परीक्षण का समावेश होता है। लेखा में उपयोग में लाए गए लेखा सिद्धांतो का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आकलनो समेत समग्र वितीय निवेदन प्रस्तुति को भी समाविष्ट किया जाता है। हमारा मानना है कि हमारे लेखा परिक्षण हमारे अभिप्राय के लिए एक यथोचित आधार प्रदान करता है और हम यह रिपोर्ट देते है।

'सर्व शिक्षा अभियान' भारत सरकार का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यो में कार्यक्रम को सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत निर्मित सोसायटी द्वारा 'स्टेट प्रोजेक्ट ओफिस ओफ गुजरात काउंसिल ओफ एलिमेन्टरी एज्युकेशन' के नाम से एक मिशन के रुप में लागु करना है।

S. K. PATODIA & ASSOCIATES
AHMEDABAD
CHARTERED ACCOUNTANTS

सोसायटी के राज्य परियोजना कार्यालय को प्राप्त अनुदान विविध जिला, तहसिल तथा क्लस्टर एवं ग्राम्य स्तर के उपयोग के लिए दी जाती है या फिर राज्य परियोजना कार्यालय स्वयं विविध जिलों में इस अनुदान का उपयोग करता है।

प्राप्त अनुदान, वापसी अनुदान (बचत) पीछले वर्षो के शेष अनुदान, बैंन्क से प्राप्त ब्याज, प्राप्त किए गए निविदा शुल्क तथा विविध प्रकार से प्राप्त हुई अन्य आयों को आय एवं धनराशि को इस कार्यक्रम की विविध प्रवृत्तियों मे व्यय के अंतर्गत लिया गया है और उसे व्यय की तरह ही माना गया है। विविध प्रवृत्तियो के लिए व्यय की गई धन राशि में निर्माण कार्य में उपयोग में लाई गई राशि तथा / अथवा इस कार्यक्रम के उद्देश्यो के लिए अचल संपति की प्राप्ति / अर्जन को भी समाविष्ट किया गया है। इन सभी व्ययों को राजस्व खर्च के तौर पर समझा गया है।

दर्शाई गई धारा ३ के लिए हम रिपोर्ट करते है कि :-

(ए) हमारी जानकारी व मान्यता के अनुसार लेखा परिक्षण के लिए आवश्यक तमाम जाानकारी तथा स्पष्टीकरण हमें प्राप्त हुए है।

(बी) बेंलेन्स शीट, इस रिपोर्ट को तैयार करने में जरुरी आय और व्यय खाता, राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा तैयार किए गए लेखा किताबों के साथ सहमती दिखा रहे है।

(सी) अगर कोई नकद शेष थी और वाउचर्स लेखा परीक्षण की तारीख तक अधिकारीयों की कस्टडी मे थे 31.03. 2012 तक कोई नकद शेष, यदि थे तो भौतिक रुप में हम उसका सत्यापन नहीं कर पाए है।

(डी) प्रमाण पत्र का उपयोग तथा प्राप्ति अदायगी खाता और उपयोगिता के प्रमाण-पत्र के आधार पर विधिवत रूप से जिला स्तर / नगर निगम के स्तर पर सक्षम अधिकारियों द्वारा प्रमाणित एव संकलित किया गया है।

(ई) हमारे अनुसार, परियोजना द्वारा जरुरी हिसाबों को तैयार किया गया है, जो कि उसके नमूनों की जाँच से पता चलता है।

(एफ) वित्तीय वर्ष ऑडिट आपत्तियों के अनुपालन के लिए लंबित कर रहे हैं और इसे जल्द से जल्द किया जाना चाहिए।

(जि) हमारे सत्यापन के लिए हमें जुटाए गए दस्तावेजों एवं हमे प्राप्त करवाई गई जानकारी के आधार पर हमने मालसामान की खरीदी के लिए अपनाई गई खरीद प्रक्रिया, कार्यो और सेवाओं का लेखा परीक्षण के अलावा और कुछ भी शामिल नहि किया है जिसे खरीद प्रमाणपत्र के अभिप्रायों मे शामिल किया जाये ।

(एच) सभी सर्व शिक्षा अभियान जिलों या महानगरपालिकाओं के लेखा किताबों का द्रढीकरण राज्य परियोजना कार्यालय, गांधीनगर में किया गया है।

S. K. PATODIA & ASSOCIATES
AHMEDABAD
CHARTERED ACCOUNTANTS

15

(आई) हमारे अभिप्राय में, हमे प्राप्त जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार दिए गए ऐसे हिसाब और हमारे अवलोकन, जो अनुच्छेद-3 में है, ऐसे हिसाब या हिसाबों पर टिप्पणी और हमारे उसी दिन के प्रबंधन पत्र के आधीन इस बात की पुष्टि करते है कि राज्य परियोजना अधिकारी द्वारा हिसाब के सिद्धातों का पालन किया गया है।

1. बेलैंस शीट के विषय में राज्य परियोजना कार्यालय के मामलों की दशा दिनांक 31-03-2012 के अनुसार
2. आय और व्यय खाता के विषय में 31-03-2012 को पूर्ण होते वर्ष के लिए व्यय से अधिक आय के उपलक्ष में।
3. 31-3-2012 को पूर्ण हो रहे वर्ष के लिए प्राप्ति एवं अदायगी से संबंधित प्राप्तियाँ एवं अदायगी खाता।

एस. के. पाटोडीया एन्ड एसोसिएटस के उपलक्ष मे,
चार्टर्ड एकाउन्टंट
FRN 112723W

S. K. PATODIA & ASSOCIATES AHMEDABAD CHARTERED ACCOUNTANTS

सुमेर सिंह
पार्टनर
M. No. 406944

स्थान : अमदाबाद
दिनांक : 04-12-2012

एस. के. पाटोडीया एन्ड एसोसिएटस
चार्टर्ड एकाउन्टंट

प्रति
राज्य परियोजना निर्देशक
सर्व शिक्षा अभियान,
गुजरात राज्य,
गांधीनगर.

प्रबंधन पत्र

मानव संसाधन विकास, भारत सरकार के प्राथमिक शिक्षण एवं साक्षरता मंत्रालय द्वारा जारी वितीय प्रबंधन एवं खरीद मार्गदर्शिका के परिच्छेद क्रमांक 101.5 एवं पूरक अंश - XVI की आवश्यकता अनुसार वितीय वर्ष 2011-2012 के लिए प्रबंधन पत्र उपलब्ध कराया गया है, जिसके साथ परीक्षण जाँच एवं यद्दच्छित लेखा परीक्षण के आधार पर समग्र लेखा प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए हमारे अवलोकन एवं सिफरिशें शामिल है, इसमें अधिक कार्यक्षम नियंत्रण के उपाय के लिए हमारे सुझाव भी शामिल है. ।

1. जिला कार्यालय स्तर तथा मुख्य कार्यालय स्तर पर माहवार बेन्क समाधान किया गया है और इससे पता चलता है कि प्रकिया / पध्धति योग्य है, तथापि वर्ष के अंत में छः महिनों से भी ज्यादा समय से जमा हुए गैरभुगतान रहे चैक अगले वित्त वर्ष में समाधान के बाद उलट किए जाने चाहिए ।

2. तहसील स्तर की ईकाईयों जैसे कि बीआरसी, सीआरसी, एसएमसी स्तर, पर लेखा परिक्षण के दैरान हमने पाया है की संयोजक काफी भुगतान नकद रूप में कर दिया करते है । भुगतान के उपर नियंत्रण लाने के लिए सलाह दी जाती है कि जिला कार्यालय तथा तहसिल स्तर पर उचित सीमा से अधिक किए सभी भुगतान जो की संस्था के हिसाब से योग्य है अकाउन्ट पेयी चैक के द्वारा चुकाने चाहिए ।

3. राज्य से जिला स्तर और जिला स्तर से तहसील स्तर तक धनराशी के मिलान की क्रिया लागू की जानी चाहिए तथा विविध स्तर से प्रतिपुष्ठि होनी चाहिए ।

4 जिला परियोजना कार्यालयों के लेखा परीक्षण की प्रक्रिया के दौरान हमने देखा कि कभी-कभी बीआरसीओं और सीआरसीओं द्वारा अव्यतित धनराशि संबंधित जिले के अकाउन्ट अधिकारी की सलाह के बगैर सीधे ही जिला कार्यालय के बेंक खाते में जमा कर देते है । बेन्क खाते के क्रेडिट सोर्स अकाउन्ट अधिकारी के साथ न होने की वजह से वे उस राशि को बकाया समायोजन खाते में डाल देते हैं । जो संदेहात्मक है । राज्य स्तर से लौटाई गई राशि के लिए योग्य हिसाब कार्यप्रणाली और आंतरिक नियत्रंण पद्धति का विकास किया जाना चाहिए तथा उसे लागु करना चाहिए, ताकि संदेहात्मकता को टाला जा सके ।

5 एसएसए परियोजना के अंतर्गत विविध प्रवृत्तियों के कार्यान्वयन के लिए समयांतर पर बेन्किंग माध्यम से एसपीओ से डीपीओं / एसएमसी को तथा डीपीओं से बीआरसी / सीआरसी / एसएमसी को भेजी गई धनराशि उनके खाते में जमा हुई

S. K. PATODIA & ASSOCIATES * AHMEDABAD * CHARTERED ACCOUNTANTS

है या उनहें मिल गई है । यह सुनिश्चित करने के लिए योग्य प्रणाली विकसित करनी चाहिए । बीआरसी / सीआरसी / एसएमसी को उनके द्वारा भेजी गई यह राशि की प्राप्ति हो पाई है या नही या फिर वह राशि भेजी जा रही है, इसकी जाँच करने के लिए जिला परियोजना अधिकारीयों को बेन्क के साथ मिलकर तय करना चाहिए, अनुदान पानेवाली कई संस्थाएँ होने के कारण राशि बेन्क में ही जमा रहने या भेजी जाने की प्रक्रिया में ही होने की संभावना है ।

6 आंतरिक लेखा परिक्षक के सुझावों का पालन नही किया गया है, जो शीघ्रातिशीघ्र होना चाहिए ।

7 आंतरिक लेखा परीक्षण वित मार्गदर्शिका के कार्यक्षेत्र के अनुरुप होना चाहिए ।

8 राज्य तथा जिला स्तर पर किए गए लेखा परिक्षणों से ज्ञात होता है कि कर की कटौती के संदर्भ में जो आयकर प्रावधान करना पडता है, वह नही हुआ है, जिसे भविष्य में ध्यान में रखा जाना चाहिए ।

9. आरएम/ईएमडी/कार्यनिष्पादन सुरक्षा/बोली की सुरक्षा को मिलाकर 31.03.2012 की स्थिति में कुल रु.7,98,92,691/- जमा खाते में है, जो समाधान के आधीन है, उपर्युक्त सभी राशियों को बकाया राशि के साथ मिलाना चाहिए ।

10. साल 31/03/2012 मे रिटेंशन मनी रू 7,27,33,911 की कुल केडिट शेष सुलह के अधीन हैं । इन बकाया का पता करने के लिए जल्द से जल्द कदम शरू किये जाने चाहिए ।

11. साल 31/03/2012 मे सुरक्षा जमा राशि रू 2,96,17,350 की कुल केडिट शेष सुलह के अधीन हैं । इन बकाया का पता करने के लिए जल्द से जल्द कदम शरू किये जाने चाहिए ।

12. निम्नलिखित शेष राशियों की शीघ्रातिशीघ्र पुष्टि और समाधान होना चाहिए ।

अनुक्रमांक	लेखा शीर्ष	रकम (रु)	जमा / उधार
1	कमीश्नर मध्याह्न भोजन शेष	7,458,233	जमा
2	कर्तव्यों और देय कर	4,073,989	जमा
3	टीआरपी वेतन अनुदान	168,040	जमा
4	बकाया समायोजन	714,947	जमा
5	बीआरसी भवन अनुदान	465,840	जमा
6	बाल मानचित्रिकरण	98,797	जमा
7	मध्याह्न भोजन योजना रसोईघर के छप्पर	21,670	जमा
8	एमआईएस डेटाबेज अनुदान	10,000	जमा
9	अन्य दायित्व	430,848	जमा
10	शौचालय ब्लोक्स अनुदान	30,675	जमा
11	जीसीपीई खाता	915,394	जमा
12	विविघ लेनदार	45,007,429	जमा

अनुक्रमांक	लेखा शीर्ष	रकम (रु)	जमा / उधार
13	सीपीएफ निधि वापसी	10,710	जमा
14	अन्य कार्यक्रमो के दिए देय	35,000,000	जमा
15	सीआरसी वेतन निधि	36,351	उधार
16	प्राप्ति योग्य शिक्षा अनुदान	22,730	उधार
17	डिपोजिट	5,691	उधार
18	जिला समायोजन खाता	100,561	उधार
19	निदेशक प्राथमिक	562,546	उधार
20	प्रथम गुजरात शिक्षा पहल	3,580,500	उधार

13. कुछ बीआरसी / सीआरसी पर बही-लेखो को योग्य तरीके से अनुरक्षित नही किया गया है और इस तरह से प्रवृत्तिवार प्रारंभिक शेष का विभाजन उपलब्ध नही है।

14. एसएमसी / सीआरसी के लेका परीक्षण के कार्यान्वयन के समय नीचे दिए गए तथ्यों को ध्यान में लिया गया है।

ए. कुछ खास एसएमसी के संयोजन निर्माण कार्य के लाई गई सामग्री का संग्रहण विवरण नही रख रहे है जो कि माल की खपत और बचत दर्शाता है, इस वजह से, हम यह सत्यापित करने में असमर्थ है कि द्वीतिय/तृतीय किस्त की अदायगी मार्गदर्शिका के अनुसार हुई है या नहीं।

बी. कुछ खास एसएमसी मजदुरों को दिए जा रहे वेतन के लिए 'लेबर रजिस्टर' नही बना रहे है, इस कारण हमें यह सत्यापित करने में मुश्किल हो रही है कि स्थानिय मजदूरों को मार्गदर्शिका के अनुसार वेतन दिया जा रहा है या मार्गदर्शिका के विरुद्ध कोट्राक्टर्स को वेतन दिया जा रहा है या नहीं।

सी. कुछ मामलों मे यह भी पाया गया है कि एसएमसी समन्वयकों रोकड बही (केश बुक) भी नहीं बनाए रखते हैं।

डी. कुछ उदाहरणों में यह पाया गया है कि एसएमसी समन्वयकों खाता किताब और अनुदान रजिस्टर ठीक तरह से नही बनाए रखते हैं।

ई. सामान्य रुप से एसएमसी उनके द्वारा की जानेवली प्रवृत्ति की स्वीकृति के लिए वित्तिय वर्ष में आयोजित बैठको की कार्य विवरण भी नहीं रखते है।

एफ. एसएमसी याँ अनेक स्त्रोत से अनुदान प्राप्त करती हैं किंतु वे एसएसए से प्राप्त अनुदान के लिए अलग खाता रखने के बजाय प्राप्त किए गए अन्य सभी अनुदान राशियों को उसी बेन्क खाते में जमा करते है, इस वजह से यह सुनिश्चित करना मुश्किल बन जाता है कि एसएसए निधी में से उन्होने कितना खर्च किया। हम एक अलग बेन्क खाता बनाने का सुझाव करते है।

जी. कई एसएमसी यों परिशिष्ट 10 (जो प्रारंभिक शेष, वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए अनुदान, किए गए खर्च तथा हरेक प्रवृत्ति के लिए शेष राशि का ब्यौरा देता है)। तथा परिशिष्ट 9 (जो बेन्क समाधान निवेदन है) तैयार नही करती।

एच. यह अवलोकन किया गया है कि कई एसएमसी के द्वारा विद्यालय अनुदान, शिक्षक अनुदान, विद्यालय रखरखाव अनुदान जैसी छोटी प्रवृत्तियों से संबंधित उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं भेजा जाता है।

आई. कुछ एसएमसी / सीआरसी द्वारा खरीद प्रकिया का योग्य अनुसरण नही किया जाता है।

जे. मार्गदर्शिका के अनुसार एसएमसी पर निर्माण कार्य तत्संबंधित एसएमसी के निरिक्षण में किया जाना था, जबकि कुछ एसएमसी में यह अवलोकन किया गया है कि निरीक्षण का यह कार्य ठेकेदारों द्वारा किया जा रहा है।

के. कच्छ क्षेत्र में, जिला और लगभग सभी बीआरसी / सी।आरसी / एसएमसी पर सिविल निर्माण के संबंध मे अभिलेखों की अनुपलब्धता है।

15. जिला स्तर पर बकाया शेष राशि पर बारिकी से नजर रखी जानी चाहिए तथा दिर्धावधि से बकाया राशि के समन्वय के लिए कार्यवाही करनी चाहिए। साथ ही, जो अग्रिम राशियों दी गई है, उनका समायोजन निश्चित समयावधि में पूर्ण कर लिया जाना चाहिए।

16. जिला और तहसील स्तर पर भुगतान की गई राशि को एक ही समय पर खर्च नही किया गया है। कहीं तो यह भी देखने में आया है कि शेष जमा राशि पर अर्जित किए गए ब्याज की वसूली भी नहीं की गई है। हमारा सुझाव है कि शेष जमा धनराशि पर कमाए गए ब्याज को पूरी तरह से वसूला जाना चाहिए तथा प्राप्त ब्याज की रकम काटने के बाद अनुगामी भुगतान किया जाना चाहिए।

17. राज्य तथा जिलवार बजट के विवरण को पीएबी द्वारा स्वीकृत किया गया है। संबंधित शीर्ष के अंतर्गत राज्य तथा जिलवार व्यय की जाँच करते समय, यह पाया गया कि राज्य एवं कुछ जिला परियोजना कार्यालयों द्वारा आयोजित की गई विविध प्रवृत्तियों के उपलक्ष में खर्च की गई धनराशि एडबल्युपी एंन्ड बी के द्वारा मंजूर की गई राशि की तुलना में काफी ज्यादा है। इसका विवरण यहाँ शामिल किए गए संलग्न पत्रक में दी गई है, यह सुझाव दिया जाता है कि एडबल्युपी एन्ड बी के द्वारा तय की गई राशि से अधिक खर्च न हो तथा राज्य एवं जिलों द्वारा किए गए खर्चो को सुनिश्चित करने के लिए इन कार्यालयों में योग्य बजटीय नियंत्रण प्रणाली लागू की जानी चाहिए।

18. वस्तु सूची पर बेहतर नियत्रंण पाने के लिए, स्टेट प्रोजेक्ट ओफिस को पूँजीगत माल, शैक्षणिक साधन, प्रशिक्षण मापदण्ड तथा निःशुल्क पाठ्यपुस्तक जैसी वस्तुओं की मात्रात्मक विवरण दर्शाते उपभोज्य एवं गैर-उपभोज्य साधनो के लिए जिला स्तर पर एक एक अलग संग्रहण रजिस्टर बनाने का और वर्ष में कम से कम एक बार भौतिक सत्यापन हेतू स्टेट प्रोजेक्ट ओफिस द्वारा अमल का निर्देश दिया जाए। हमारा मत है कि ऐसी सामग्री के आलेख एवं वितरण के लिए उचित अनुबंधन स्थापित करना चाहिए।

19. पिछले वर्ष के सांविधिक लेखा परिक्षा रिपोर्ट अनुपालन को मिशन द्वारा अधुरा छोडा गया है, जिसे जल्दी ही पूर्ण किया जाना चाहिए।

20. पिछले अभ्यासों के अनुसार मिशन द्वारा नियमित रुप से लेखांकन के नकदी आधारों का पालन किया जाता है, जो कि वर्षो पहले लेखांकन कार्यनीति में दर्शाए गए है। तथापी एमएचआरडी वाणिज्यिक प्रणालीका का प्रयोग निर्धारित करती है।

21. अग्रिम राशि में विविध प्रकार की अन्य सरकारी योजनाओं की औरसे अदा की गई राशि का समावेश किया गया है, जो कि नियमित रुप से वसूली जाती है तथा समाधान किया जाता है।

22. हमने जिला स्तरों पर डेड स्टोक, फर्नीचर तथा अचल संपति का रजिस्टर से साथ समायोजन किया है और सबकुछ सही क्रम में पाया है, तथापि, हमारा सुझाव है कि जिन संपतियो को संपति रजिस्टर में आलेखित कया गया है उन्हे हिसाब की वितीय किताबों मे भी लिखा जाना चाहिए, जो अभी नही किया गया है।

23. 13 वें वित कमिशन द्वारा सिफारिश किए गए अनुदान से मिशन को गुजरात सरकार से रु.85 करोड का अनुदान प्राप्त हुआ है, एमएचआरडी मार्गदर्शिकाओ के अनुसार इस कथित अनुदान में से हुए व्ययों का एक अलग हिसाब रखना है, तथापि अनुदान में समे किए गए खर्चो और 13 वे वित कमिशन की सिफारिशों से इस अनुदान में से हस्तांतरित किए गए अन्य खर्चो को दर्शाने के लिए एक सामान्य हिसाब रखा गया है।

एस. के. पाटोडीया एन्ड एसोसिएटस के उपलक्ष मे,
चार्टर्ड एकाउन्टंट
FRN 112723W

S. K. PATODIA & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS AHMEDABAD

सुमेर सिंह
पार्टनर
M. No. 406944

स्थान : अमदाबाद
दिनांक : 04-12-2012

परिशिष्ट – प्रबंधन पत्र

अनुमोदित बजट से अधिक व्यय का ब्योरा

जिला	व्यय हेड	बजट	व्यय	अतिरिक्त खर्च
एएमसी	स्कूल के बाहर के बच्चो के लिए हस्तक्षेण	4458000	7063913	-2605913
एएमसी	विशेष प्रशिक्षण	29658000	45474892	-15816892

परिशिष्ट "I" महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ एवं खातों का गठन

सर्व शिक्षा अभियान - गुजरात राज्य

1. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

(ए) **लेखांकन का आधार :**

परियोजना के हिसाब ऐतिहासिक लागत परंपरा तथा हिसाब की रोकड़ रकम के आधार पर तैयार किए जाते है। आय/अनुदानों का हिसाब तभी देखा जाता है जब यह वास्तविक प्राप्त किए जाते हैं, जब वस्तुत: उसे चुकाया जाता है। उप जिला स्तर पर किए गए भुगतानों को शोधन के समय किए गए खर्चों के तौर पर लिया जाता है।

प्राप्त अनुदान, वापस किए गए अनुदान (बचतों), पिछले वर्षो के अनुदानों की असंवितरित धनराशि, बैन्क ब्याज, प्राप्त किए गए निविदा शुल्क और विभिन्न प्रकार की अन्य आय को आय के रुप में तथा इस कार्यक्रम के अंतर्गत विविध प्रवृतियों के लिए खर्च की गई राशि को खर्च के तौर पर लिया गया। इसमें निर्माण के लिए किया गया भुगतान तथा / अथवा अचल संपति के अभिग्रहण को भी समाविष्ट किया गया है।

(बी) **अचल संपतियाँ :**

राज्य परियोजना कार्यालय या ग्राम स्तर द्वारा विविध कार्यक्रमो के लिए अर्जित / निर्मित अचल संपति भुगतान के समय खर्च के तौर पर लिया जाता है। परियोजना के निर्माण कार्य, जैसे कि विद्यालय भवनों, अतिरिक्त वर्गखंडो, कम्पाउंड वोल इत्यादी के निर्माण कार्य को आय और व्यय में व्यय के रूप में लिया जाता है।

(सी) **वस्तूसूची :**

31-03-2012 की स्थिति पर अपभोग्य और अन्य वितरणयोग्य वस्तुओं को मूल्यांकित नहीं किया गया है, वर्ष पर्यांत इन वस्तुओ के मूल्य को खर्च के तौर पर लिया गया है तथा इसका हिसाब नकद प्रणाली के रुप में किया गया है।

(डी) **निवेश:**

बेन्क के बचत खाते में रखी राशि के अलावा अन्य कोई भी निवेश नहीं किया गया है।

(ई) **सरकारी अनुदान :**

परियोजना के लिए सरकार द्वारा दिए जानेवाले अनुदान प्राप्ति के आधार पर स्वीकृत किया जाता है।

(एफ) **वापसी अनुदान:**

प्रवर्तमान वित्तीय वर्ष में विशेष बजट हेड के अंतर्गत संवितरित अनुदान की रकम तथा अव्यतित/गैर-उपयोगी के रुप में उसी बजट हेड में उलट की गई है। और जो अनुदान की रकम पिछले वितीय वर्षो के दोरान विशेष बजट हेड के अंतर्गत दर्शाई गई है और इस वित्तीय वर्ष के दौरान अव्यतित/गैरउपयोगी के रूप में उलट की गई है, उसे वापसी अनुदान (बचत) के तौर पर मानकर आय के रुप में स्वीकृत किया गया है।

(जी) **अनुदान की सहायता में उपयोग**

सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त घन का उपयोग जिलों से प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्र के आधार पर ब्लोक / जिलों / समूहो मे हुए हिसाब के आधार पर से लिखा गया हैं।

2. लेखा टिप्पणीयाँ

(ए) 'सर्व शिक्षा अभियान' भारत सरकार का एक कार्यक्रम है, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत बनी सोसायटी तथा गुजरात प्राथमिक शिक्षा परिषद की 'स्टेट प्रोजेक्ट ओफिस' के नाम से, ईस कार्यक्रम के उदेश्यो को अभियान के रूप में लागू किया गया है।

(बी) सोसायटी के राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्राप्त किए गए अनुदानों को विविध जिला स्तर, तहसिल स्तर, क्लस्टर स्तर और ग्राम्य स्तर के उपयोग के लिए या फिर राज्य परियोजना कार्यालय खुद विविध उदेश्यो के लिए इस अनुदान का उपयोग करता है।

(सी) मध्याह्न भोजन, रसोई शेड आदि की तरह अन्य योजनाओं से संबंधित प्राप्तियों और व्यय उपलब्ध जानकारी की हद तक इन खातों के संकलन के उद्देश्य के लिए बाहर रखा गया है । उंनके भी किताबें रेकार्ड बनाए गये है । ईसके बकाया अग्रिमों मे भी मेल मिलाप किया जा रहा है और कुछ अन्य खर्चों के संबंध में सुलह और आवश्यक समायोजन करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

(डी) कार्यक्रम की शर्तो के अनुसार, किसी भी वर्ष विशेष में, मंजूर की गई कोई लागत यदि पूर्ण रूप से व्यतित नहीं की जाती है, तो वही लागत बचत बन जाती है तथा उसे गैर-आवर्ती हेड के तहत व्यवहार में लाया जाता है। यह लागत आगे के वर्षो में की जानेवाली प्रवृतियों के लिए खर्च करने योग्य समझी जाती है।

(ई) वित्तीय वर्ष ओडिट आपत्तियों के अनुपालन के लिए लंबित कर रहे हैं और इसे जल्द से जल्द किया जाना चाहिए।

(एफ) व्यापार प्राप्तियों का संतुलन, देय व्यापार, अग्रिम और शेष राशि जमा की पुष्टि सुलह और समायोजन के अघनी हैं, यदि कोई किसी भी प्रबंघन चालू वर्ष के वित्तीय वक्तव्यों को प्रभावित मतभेद की उम्मीद नहीं करता ।

(जी) विभिन्न जिला कार्यलयों और नगर निगम कार्यालयों से जो रिटर्न प्राप्त किया गया है, वह संबंधित अधिकारीयों और नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित एंव संशोधित किया गया है । राज्य कार्यालय मे उपलब्ध जानकारी के आधार पर प्रारंभिक शेष राशि / घन अनुदान / जेवी के संबंघ में मुख्य रूप से राज्य कार्यालय से स्थानांतरित और राजय कार्यालय 31/03/2012 पर समापन शेष राशि अन्य तमाम वस्तुओ को हिसाब मे दिखाया गया है । इन संशोंघनों के अवेज मे राज्य कार्यालय में उपलब्ध जानकारी की हद तक यदि कोइ प्रभाव वर्ष के लिए पडता है तो उसे व्यय मे समायोजित किया गया है।

(एच) वर्तमान दायित्व तथा वर्तमान संपतियों की शेष राशि हिसाबी किताबों के अनुसार है तथा संबंधित पक्षों के साथ इसकी पुष्टी की जानी है, यह बेन्क में जमा शेष धनराशि संबंधित बेन्क के साथ मेल खाते हैं, जिला कार्यालय से निकासित किए गए मांग पत्र तथा अदायगी आदेशों की संबंधित बेन्को के साथ पुष्टी की जानी अभी बाकी है।

S. K. PATODIA & ASSOCIATES AHMEDABAD CHARTERED ACCOUNTANTS

(आई) प्रबंधन के मतानुसार वर्ष के अंत में बकाया अग्रिम राशि रू. 4,37,72,193/- को उचित एवं पुन: प्राप्ति योग्य अथवा समायोज्य के तौर पर माना गया है।

(जे) 31-03-2012 पर लंबित समायोजन लेखा में दिखाई गई रू. 7,14,947/- की वर्षान्त जमा राशि को अदायगी योग्य अथवा समायोज्य के तौर पर माना गया है।

(के) 31-03-2012 पर आरएम / ईएमडी / पर्फोर्मेन्स सिक्युरिटी / बीड सिक्युरिटी के रूप मे शेष राशि रू.7,98,92,691/- का मेल करने के आधिन रखा गया है।

(एल) जिला समायोजन लेखा शेष रु.1,00,561/- है जिसे मेल करने के अधीन रखा गया है।

(एम) बैलेन्स शीट में कोई आकस्मिक दायित्व और बैलेन्स शीट के बाहर की वस्तु नहीं है।

(एन) आंकड़ो को निकटतम रुपयों में परिवर्तित किया गया है।

पोरस पटेल
वित और हिसाब अधिकारी,
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात,
राज्य परियोजना कार्यालय,
गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद,
स्थान : गांधीनगर
दिनांक : 04-12-2012

मनोज अग्रवाल (आईएएस)
राज्य परियोजना निर्देशक
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात,
राज्य परियोजना कार्यालय,
गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद,
स्थान : गांधीनगर
दिनांक : 04-12-2012

इस दिनांक हमारे संलग्न लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार :

एस. के. पाटोडीया एन्ड एसोसिएटस के उपलक्ष मे,
चार्टर्ड एकाउन्टंट
FRN 112723W

S. K. PATODIA & ASSOCIATES * CHARTERED ACCOUNTANTS * AHMEDABAD

सुमेर सिंह
पार्टनर
M. No. 406944

स्थान : अमदाबाद
दिनांक : 04-12-2012

खरीद लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र

"प्रमाणित किया जाता है कि हमने सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात राज्य के लिए परियोजना कार्यान्ययन एजेन्सी - गुजरात प्राथमिक शिक्षा परिषद, गांधीनगर के द्वारा उपयोग में लाई गई खरीद, प्रक्रिया की याद्दच्छिक आधार पर चले है और हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए वर्ष 2011-12 के राज्य एवं जिला स्तर के आलेखों का लेखा परिक्षण किया है, और हमारे प्रबंधन पत्र के आधीन रहकर, सामान्यरुप से हम संतुष्ट है कि खरीद प्रक्रिया सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वित्तीय प्रबन्धन और खरीदी मार्गदर्शिका में निर्धारित प्रक्रिया का पालन गया है और निम्नलिखित विचलनों का अवलोकन किया है। "

अनुक्रमांक	विवरण	विचलन	समाविष्ट राशि (जिसे गलत खरीद घोषित किया गया है)
१	जलपा अमोनीया प्रिन्टर	विभिन्न पक्षकारों से उद्धरण प्राप्त नहीं किए गए।	1,17,133/-

एस. के. पाटोडीया एन्ड एसोसिएटस के उपलक्ष मे,

चार्टर्ड एकाउन्टंट
FRN 112723W

PATODIA & ASSOCIATES AHMEDABAD CHARTERED ACCOUNTANTS

सुमेर सिंह
पार्टनर
M. No. 406944

स्थान : अमदाबाद
दिनांक : 04-12-2012

कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय कार्यक्रम

गुजरात राज्य

31.03.2012 पर बैलेन्स शोट

स्त्रोत	रकम	रकम	अनुप्रयोग	रकम	रकम
अनुदान विवरण			**बैन्क और रोकड शेष**		
			(राज्य और जिला स्तर पर)		
आय और व्यय खाते से हस्तांतरित किया गया		-			
आतिरिक्त शेष	-	101,296,662	एसपीओ के पास बैन्क में शेष धनराशि	101,878,120	
			जिलाओ के पास बैन्क में शेष धनराशि	22,128,014	124,006,134
देय			**प्राप्य**		
(राज्य और जिला स्तर पर)			(राज्य और जिला स्तर पर)		
एसएसए द्वारा धन प्राप्ति	30,000,000				
आरएम/ईएमडी/ निष्पादन जमा	3,467,985		महिला सामख्य को अग्रिम भुगतान	4,940,993	
केजीबीवी को अग्रिम भुगतान	1,008,835		जिलों पर केजीबीवी को अग्रिम भुगतान	7,015,347	11,956,340
कर्तव्य और देय कर	4,990				
लेनदार	184,502	34,666,312	समायोजन लंबित		500
कुल		135,962,974	**कुल**		135,962,974

अनुबंध "।" के अनुसार किए गए हिसाबो की टिप्पणी इस के साथ संलग्न है।

संलग्न तारीख के हमारे लेख रिपोर्ट के अनुसार,

एस. के. पाटोडीया एन्ड एसोसिएटस के उपलक्ष मे,
चार्टर्ड एकाउन्टंट
FRN 112723W

पोरस पटेल
वित्त और हिसाब अधिकारी,
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात,
राज्य परियोजना कार्यालय,
गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद
गांधीनगर.

स्थान : गांधीनगर
दिनांक :

मनोज अग्रवाल (आईएएस)
राज्य परियोजना निर्देशक
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात,
राज्य परियोजना कार्यालय,
गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद
गांधीनगर.

स्थान : गांधीनगर
दिनांक :

सुमेर सिंह
पार्टनर
M. No. 406944

स्थान : अमदाबाद
दिनांक : 04-12-2012

कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय कार्यक्रम

गुजरात राज्य

31.03.2012 तक की अवधि पूर्ण होने तक का आय और व्यय खाता

व्यय	रकम	रकम
अनुदान चुकाना /वापस लेना (राज्य और जिला स्तर पर)		
गैर-आवर्ती व्यव		
मोडल I	37,658,097	
मोडल I	16,135,953	
मोडल III	16,866,924	70,660,974
आवर्ती व्यय		
मोडल I	89,806,293	
मोडल I	23,443,678	
मोडल III	23,759,132	137,009,103
आय से अधिक खर्च को बेलेन्स शीट मे आगे ले जाने के लिए		101,296,662
कुल		308,966,739

आय	रकम
भारत सरकार के प्राप्त अनुदान	89,280,000
गुजरात सरकार से प्राप्त अनुदान	203,500,000
जोडे: असंवितरित शेष पिछले वर्ष से आगेल लाये	13,471,772
बैन्क व्याज	1,604,714
प्राप्त निविदा शुल्क	21,600
अन्य आय	-
जिलों पर प्राप्त व्याज	
बैन्क व्याज	1,078,878
अन्य आय	9,775
कुल	

अनुबंध "।" के अनुसार किए गए हिसाबो की टिप्पणी इस के साथ संलग्न है।

संलग्न तारीख के हमारे लेख रिपोर्ट के अनुसार,

पोरस पटेल
वित्त और हिसाब अधिकारी,
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात,
राज्य परियोजना कार्यालय,
गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद
गांधीनगर.

स्थान : गांधीनगर
दिनांक :

मनोज अग्रवाल (आईएएस)
राज्य परियोजना निर्देशक
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात,
राज्य परियोजना कार्यालय,
गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद
गांधीनगर.

स्थान : गांधीनगर
दिनांक :

एस. के. पाटोडीया एन्ड एसोसिएटस के
चार्टर्ड एकाउन्टंट
FRN 112723W

सुमेर सिंह
पार्टनर
M. No. 406944

स्थान : अमदाबाद
दिनांक : 04-12-2012

फंड प्रवाह विवरण - केजीबीवी

31 वीं मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

स्त्रोत(प्राप्तियाँ)	कुल
प्रारंभिक शेष	
(अ) हाथ पर शेष राशि	-
(ब) बेन्क में जमा शेष	33,531,618
कुल	**33,531,618**
स्त्रोत (प्राप्ति)	
(अ)भारत सरकार द्वारा प्राप्त निधि	
(i) सामान्य अनुदान	39,280,000
(i) असल अनुदान	50,000,000
(ब)राज्य सरकार द्वारा प्राप्त निधि	
(i) सामान्य अनुदान	203,500,000
(i) असल अनुदान	-
(क) एसपीओ से प्राप्त निधि	-
(ड) एसपीओ द्वारा प्राप्त निधि का उपयोग	0
(इ) ब्याज	2,683,592
अन्य	
(अ) अनुदान वापसी बचत	-
(ब) निविद शुल्क	21,600
(क) विविध प्राप्तियाँ	-
(ड) वाहनों की पुन:बिक्री	-
(इ) प्राप्ति योग्य रकम में कटौती	2,649,627
(फ) अन्य	9,775
कुल प्राप्तियां (I)	**331,676,211**
अनुप्रयोग (व्यय)	**व्यय खर्च**
अदायगीयाँ	
केजीबीवी - गैर आवर्ती मोडल I	37,658,097
केजीबीवी - प्रतिवर्ष आवर्ती लागत - मोडल - I	89,806,293
केजीबीवी - गैर आवर्ती मोडल II	16,135,953
केजीबीवी - प्रतिवर्ष आवर्ती लागत - मोडल II	23,443,678
केजीबीवी - गैर आवर्ती मोडल III	16,866,924
केजीबीवी - प्रतिवर्ष आवर्ती लागत - मोडल III	23,759,132
कुल खर्च (II)	**207,670,077**
बंद शेष -(I) - (II)	**124,006,134**
(अ) बेन्क में शेष जमा राशि	124,006,134
(ब) हाथ पर शेष राशि	
कुल	**124,006,134**

पोरस पटेल
वित्त और हिसाब अधिकारी,
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात,
राज्य परियोजना कार्यालय,
स्थान : गांधीनगर
दिनांक :

मनोज अग्रवाल (आईएएस)
राज्य परियोजना निर्देशक
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात,
राज्य परियोजना कार्यालय,
स्थान : गांधीनगर
दिनांक :

एस. के. पाटोडीया एन्ड एसोसिएटस के उपलक्ष मे,
चार्टर्ड एकाउन्टंट
FRN: 112723 W

सुमेर सिंह
पार्टनर
M. No. 406944

एस. के. पाटोडीया एन्ड एसोसिएटस
चार्टर्ड एकाउन्टंट

लेखा परिक्षक की रिपोर्ट

प्रति

राज्य परियोजना निर्देशक

गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद,

सर्व शिक्षा अभियान,

गुजरात, गांधीनगर.

संदर्भः गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद विभाग (एसएसए) 2011-12 के वैद्यानिक अंकेक्षण

हमने **'कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय कार्यक्रम', गुजरात राज्य'** की यहाँ संलग्न 31 मार्च 2012 की स्थिति में सम्मिलित बेलेन्स शीट, उसकी सम्मिलित आय एवं व्यय खाता, सम्मिलित प्राप्तियाँ एवं भुगतान और सम्मिलित वार्षिक वित्तिय निवेदनो का इसमें दर्शाई गई तारीख को खत्म होने वाले वर्ष का लेखा परीक्षण किया। यह वितिय निवेदन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर वितिय निवेदन के लिए अभिप्राय देना हमारी जिम्मेदारी है।

हमने भारत में सामान्यरुप से मान्य किए गए लेखा परीक्षण एवं लेखा मानकों के आधिन रहकर लेखा परिक्षण किया है, इन मानकों के अनुसार हमें अपना लेखा परिक्षण इस तरह सें आयोजित एवं निष्पादित करना होता है कि जिससे यह तय हो सके कि वित्तीय निवेदन किसी तरह की महत्वपूर्ण तथ्य के गैर-निवेदन से मुक्त है, लेखा परीक्षण में वित्तीय निवेदन में प्रदर्शित धन राशियों के आंकडो एवं उनके प्रकटन आधार साक्ष्यों के याद्दच्छिक एवं जाँच परीक्षण का समावेश होता है, लेखा में उपयोग में लाए गए लेखा सिद्धांतो का मुल्यांकन और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आकलनों समेत समग्र वित्तीय निवेदन प्रस्तुति को भी समाविष्ट किया जाता है, हमने सत्यापन के लिए हमारे सामने रखे गए विवध दस्तावेजो पर अवलंबन किया है। हमारा मानना है कि हमारा लेखा परीक्षण हमारे अभिप्राय के लिए एक यथोचित आधार प्रदान करता है और हम यह रिपोर्ट देते है।

'कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय' भारत सरकार का कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यो में कार्यक्रम को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत निर्मित सोसायटी द्वारा 'स्टेट प्रोजेक्ट ओफिस ओफ गुजरात काउंसिल ओफ प्राइमरी एज्युकेशन' के नाम से एक मिशन के रुप में लागु करना है।

सोसोयटी के राज्य परियोजना कार्यालय को प्राप्त अनुदान विविध जिला, तहसिल तथा क्लस्टर एवं ग्राम्य स्तर के उपयोग के लिए दी जाती है, या फिर राज्य परियोजना कार्यालय स्वयं विविध जिलों मे इस अनुदान का उपयोग करने के लिए जारी करता है।

प्राप्त अनुदान, वापसी अनुदान (बचत), पिछले वर्षो के शेष अनुदान, बैन्क से प्राप्त व्याज, प्राप्त किए गए निविदा शुल्क तथा विविध प्रकार से प्राप्त हुई अन्य आयों को आय एवं धनराशि को इस कार्यक्रम की विविध प्रवृत्तियों मे व्यय के अंतर्गत लिया गया है और उसे व्यय की तरह ही माना गया है। विविध प्रवृत्तियों के लिए व्यय की गई धन राशि में निर्माण कार्य में

S. K. PATODIA & ASSOCIATES AHMEDABAD CHARTERED ACCOUNTANTS

उपयोग में लाई गई राशि तथा / अथवा इस कार्यक्रम के उद्देश्यो के लिए अचल संपत्ति की प्राप्ति / अर्जन को भी समाविष्ट किया गया है। इन सभी व्ययों को राजस्व खर्च के तौर पर समझा गया है।

दर्शाई गई अंश 3 के लिए हम रिपोर्ट करते है कि :-

(ए) हमारी जानकारी व मान्यता के अनुसार लेखा परीक्षण के लिए आवश्यक तमाम जानकारी तथा स्पष्टीकरण हमें प्राप्त हुए है।

(बी) बेलेन्स शीट, इस रिपोर्ट को तैयार करने में जरुरी आय और व्यय खाता, राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा तैयार किए गए लेखा किताबो के साथ सहमती दिखा रहे है।

(सी) अगर कोई नकद शेष थी और वाउचर्स लेखा परीक्षण की तारीख तक अधिकारीयों की कस्टडी में थे 31.03.2012 तक के कोई नकद शेष, यदि थे तो भौतिक रुप में हम उसका सत्यापन नहीं कर पाए है।

(डी) हमारे अनुसार परियोजना द्वारा जरुरी हिसाबों को तैयार किया गया है, जो कि उसके नमुनों की जाँच से पत चलता है।

(ई) हमारे अभिप्राय में, हमे प्राप्त जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार दिए गए ऐसे हिसाब और हमारे अवलोकन, जो अनुच्छेद-3 में है, ऐसे हिसाब या हिसाबों पर टिप्पणी और हमारे उसी दिन के प्रबंधन पत्र के आधीन इस बात की पुष्टि करते है कि राज्य परियोजना अधिकारी द्वारा हिसाब के सिद्धांतो का पालन किया गया है।

1. बेलैस शीट के विषय में, राज्य परियोजना कार्यालय के मामलो की दशा दिनांक 31.03.2012 के अनुसार ।
2. आय और व्यय खाता के विषय में 31-03-2012 को पूर्ण होते वर्ष के लिए व्यय से अधिक आय के उपलक्ष में।

एस. के. पाटोडीया एन्ड एसोसिएटस के उपलक्ष मे,
चार्टर्ड एकाउन्टंट
FRN 112723W

PATODIA & ASSOCIATES AHMEDABAD CHARTERED ACCOUNTANTS

सुमेर सिंह
पार्टनर
M. No. 406944

स्थान : अमदाबाद
दिनांक : 04-12-2012

एस. के. पाटोडीया एन्ड एसोसिएटस
चार्टर्ड एकाउन्टंट

प्रति

राज्य परियोजना निर्देशक

कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय,

गुजरात राज्य,

गांधीनगर.

प्रबंधन पत्र

मानव संसाधन विकास, भारत सरकार के प्राथमिक शिक्षण एव साक्षरता मंत्रालय द्वारा जारी वित्तीय प्रबंधन एवं खरीद मार्गदर्शिका के परिच्छेद क्रमांक 101.5 एवं पूरक अंश-XVI की आवश्यकता अनुसार वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए प्रबंधक पत्र उपलब्ध कराया गया है, जिसके साथ परिक्षण जाँच यदच्छित लेखा परिक्षण के आधार पर समग्र लेखा प्रक्रिया में सुधार लाने के किए हमारे अवलोकन एवं सिफारिशें शामिल है। इसमें अधिक कार्यक्षम नियंत्रण के उपाय के लिए हमारे सुझाव भी शामिल है।

1. राज्य से जिला स्तर और जिला से तहसिल स्तर तक धनराशि के मिलान की क्रिया लागु की जानी चाहिए तथा विविध स्तर से प्रतिपुष्टि होनी चाहिए।
2. जिला कार्यालय स्तर तथा मुख्य कार्यालय स्तर पर माहवार बेन्क समाधान किया गया। इससे पता चलता है कि प्रक्रिया / पद्धति योग्य है, वर्ष के अंत में छः महिनों से भी ज्यादा समय से जमा हुए चैंक अगले वित वर्ष में समाधान के बाद उलट किए जाने चाहिए। मौजूदा देनदारीयों के खिलाफ जिला कार्यालय से जारी किए गए मांग पत्रों तथा भुगतान आदेशों से संबंधित चेकों से संबंधित बैंको के साथ भुगतान होने ओर निकासी की पुष्टि के लिए लंबित हैं।
3. आंतरिक लेखा परिक्षक के अवलोकनों / टिप्पणीयों के अनुपानल का कार्य प्रगति में है, जो शीघ्रातिशीघ्र होना चाहिए।
4. राज्य तथा जिला स्तर पर किए गए लेखा परीक्षणों से ज्ञात होता है कि कर को की कटौती से संदर्भ में जो आयकर प्रावधान करना पडता है वह नही हुआ है। जिसे भविष्य में ध्यान में रखा जाना चाहिए।
5. जारी किए गए मांग पत्र के लिए तैयार किया गया रजिस्टर बनाए रखना चाहिए और योग्य आंतरिक नियंत्रण के लिए समयांतर पर उसे बेन्क से मिलाना चाहिए।
6. जिला स्तर पर बकाया शेष राशि पर बारिक से नजर रखी जानी चाहिए। तथा दर्धावधि से बकाया राशि के समन्वय के लिए कार्यवाही करनी चाहिए।
7. उप-ईकाई स्तर अर्थात, केजीबीवी स्तर, पर लेखा परीक्षण के दौरान हमने यह पाया है कि संयोजन काफी कुछ नकदी भुगतान करते है, भुगतान पर नियंत्रण रखने हेतू यह सुझाव दिया जाता है कि

जिला कार्यालय तथा तहसिल स्तर पर उचित सीमा से अधिक किए गए सभी भुगतान, जो कि संस्था के हिसाब से योग्य है, अकाउन्ट पेयी चेक के द्वारा चुकाने चाहिए।

8. पिछले अभ्यासों के अनुसार मिशन द्वारा नियमित रुप से लेखांकन के नकदी आधारों का पालन किया जाता है। जो कि वर्षो पहले लेखांकन कार्यनीति में दर्शाए गए है, तथापि, एमएचआरडी मार्गदर्शिका लेखांकन की वाणिज्यिक प्रणाली का निर्धारण करती है।

9. वस्तु सूची पर बेहतर नियंत्रण पाने के लिए, स्टेट प्रोजेक्ट ओफिस को बिस्तर (बेडींग्स), प्रशिक्षण मोड्युल्स, एवं फर्नीचर जैसी वस्तुओं की मात्रात्मक विवरण दर्शाते उपभोज्य एवं गैर-उपभोज्य साधनों के लिए जिला स्तर पर एक एक अलग संग्रहण रजिस्टर बनाने का और वर्ष में कम से कम एक बार भौतिक सत्यापन हेतू स्टेट प्रोजेक्ट ओफिस द्वार अमल का निर्देश दिया जाए, हमारा मत है कि ऐसी सामग्री के आलेख एवं वितरण के लिए उचित अनुबंधन स्थापित करना चाहिए।

10. पिछले वर्ष के सांविधिक लेखा परिक्षा रिपोर्ट अनुपालन को मिशन द्वारा अधुरा छोडा गया है, जिसे जल्दी ही पूर्ण किया जाना चाहिए।

11. निम्नलिखित शेष राशि की पुष्टि और सामंजस्य जल्द से जल्द हो जानी चाहिए।

क्रम	खाता हेड	रकम (रू)	जमा / उधार
1	आरएम / ईएमडी / परफोंमन्स डीपोझीट	3,467,985	जमा
2	लेनदार	184,502	जमा
3	महिला सामख्य को अग्रिम भूगतान	4,940,993	उधार

12. हमारा सुझाव है कि जिन संपत्तियो को संपत्ति रजिस्टर में आलेखित किया गया है उन्हें हिसाब की वित्तिय किताबों में भी लिखा जाना चाहिए, जो अभी नही किया गया है।

13. कुछ केजीबीवी द्वारा खरीद प्रक्रिया का योग्य अनुपालन नही किया जा रहा है जिसे समय रहते ही पुरा कर लिया जना चाहिए।

एस. के. पाटोडीया एन्ड एसोसिएटस के उपलक्ष मे,
चार्टर्ड एकाउन्टंट
FRN 112723W

सुमेर सिंह
पार्टनर
M. No. 406944

स्थान : अमदाबाद
दिनांक : 04-12-2012

परिशिष्ट "I" महत्वपूर्ण लेखांकन नीतिया एवं खातों का गठन
कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय कार्यक्रम- गुजरात राज्य

1. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों :

(ए) **लेखांकन का आधार :**

परियोजना के हिसाब ऐतिहासिक लागत परम्परा तथा हिसाब की रोकड रकम के आधार पर तैयार किए जाते है, आय/अनुदानों का हिसाब तभी देखा जाता है जब यह वास्तविक प्राप्त किए जाते है और खर्च तभी किए जाते है, जब यह वस्तुत: उसे चुकाया जाता है। उप जिला स्तर पर किए गए भुगतानों को शोधन के समय किए गए खर्चो तौर पर लिया जाता है।

प्राप्त अनुदान, वापस किए गए अनुदान (बचतॉं), पिछले वर्षो के अनुदानों की असंवितरित धनराशि, बेन्क व्याज, प्राप्त किए गए निविदा शुल्क और विभिन्न प्रकार की अन्य आय को आय के रुप में तथा इस कार्यक्रम के अंतर्गत विविध प्रवृत्तियों के लिए खर्च की गई राशि को खर्च के तौर पर लिया गया, इसमें निर्माण के लिए किया गया भुगतान तथा / अथवा अचल संपत्ति के अभिग्रहण को भी समाविष्ट किया गया है।

(बी) **अचल संपत्तियॉं :**

राज्य परियोजना कार्यालय या ग्राम स्तर द्वारा विविध कार्यक्रमो के लिए अर्जित/निर्मित अचल संपति भुगतान के समय खर्च के तौर पर लिया जाता है, परियोजना के निर्माण कार्य, जैसे कि केजीबीवी भवनों इत्यादी के निर्माण कार्य को आय और व्यय के रुप में लिया जाता है।

(सी) **वस्तुसूची :**

31-032012 की स्थिति पर उपभोग्य और अन्य वितरणयोग्य वस्तुओं को मूल्यांकित नहीं किया गया है। वर्ष पर्यत इन वस्तुओं के मूल्य को खर्च के तौर पर लिया गया है तथा ईसका हिसाब नकद रकम के रुप में किया गया है।

(डी) **निवेश :**

बेन्क के बचत खाते में रखी रकम के अलावा अन्य कोई भी निवेश नहीं किया गया है।

(ई) **सरकारी अनुदान :**

परियोजना के लिए सरकार द्वारा दिए जानेवाले अनुदान प्राप्ति के आधार पर स्वीकृत किया जाता है।

(जी) **वापसी अनुदान :**

प्रवर्तमान वितीय वर्ष में विशेष बजट हेड के अंतर्गत संवितरित अनुदान की रकम तथा अव्यतित / गैर-उपयोगी के रुप में उसी बजट हेड में उलट की गई है, और जो अनुदान की रकम पिछले वितीय वर्षो के दौरान विशेष बजट हेड के अंतर्गत दर्शाई गई है और इस वितीय वर्ष के दौरान अव्यतित/गैरउपयोगी के रुप में उलट की गई है, उसे वापसी अनुदान (बचत) के तौर पर मानकर आय के रुप में स्वीकृत किया गया है।

2. लेखा टिप्पणियॉं :

(ए) 'कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय' भारत सरकार का एक कार्यक्रम है, सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम के तहत बनी सोसायटी तथा गुजरात प्राथमिक शिक्षा परिषद की 'स्टेट प्रोजेक्ट ओफिस' के नाम से ईस कार्यक्रम के उद्देश्यों को अभियान के रुप में लागु किया गया है।

(बी) सोसायटी के राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्राप्त किए गए अनुदानों को विविध जिला स्तर, तहसिल स्तर, क्लस्टर स्तर और ग्राम्य स्तर के उपयोग के लिए या फिर राज्य परियोजना कार्यालय खुद विविध हेतुओं के लिए इस अनुदान का उपयोग करता है।

(सी) कार्यक्रम की शर्तों के अनुसार, किसी भी वर्ष विशेष में, मंजुर की गई कोई लागत यदि पूर्ण से व्यतित नहीं की जाती है, तो वही लागत बचत बन जाती है तथा उसे गैर-आवर्ती हेड के तहत व्यवहार में लाया जाता हैं, यह बचत आगे के वर्षो में की जानेवाली प्रवृत्तियों के लिए खर्च करने योग्य समझी जाती है।

(डी) मौजूदा देनदारियों और मोजूदा संपत्तियों में शेष राशि खाता किताब के अनुसार और संबंधित पार्टियो से पुष्टि के अधीन है ।

(ई) विविध शीर्ष अंतर्गत अनुदानों के वितरण का वर्गीकरण इस परियोजना में जारी की गई सुचनाओं और मार्गदर्शिकाओं के अनुसार है।

(एफ) आरएम/बीड सिक्युरिटी / ईएमडी/ पर्फोर्मेन्स सिक्युरिटी के रुप में शेष राशि रु.34,67,985/- का मेल करने के आधीन रखा गया है।

(जी) महिला सामख्य को मुहैया कराई गई अग्रिम राशि रु.49,40,993/- समाधान एवं पुष्टी के आधीन है।

(एच) न्यायालय में कोई दावे अपुर्ण नही है, कोई फरियाद दाखिल या अपूर्ण नहीं है अथवा कोई निर्णय अपुर्ण नहीं है।

(आई) बैलेन्स शीट में कोई आकस्मिक दायित्व और बैलेन्स शीट के बाहर की वस्तु नही है।

(जे) आँकडो को निकटतम् रुपयों मे परिवर्तित किया गया है।

पोरस पटेल
वित और हिसाब अधिकारी,
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात,
राज्य परियोजना कार्यालय,
गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद,
गांधीनगर.

स्थान : गांधीनगर
दिनांक :

मनोज अग्रवाल (आईएएस)
राज्य परियोजना निर्देशक
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात,
राज्य परियोजना कार्यालय,
गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद,
गांधीनगर.

स्थान : गांधीनगर
दिनांक :

इस दिनांक हमारे संलग्न लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार :

एस. के. पाटोडीया एन्ड एसोसिएटस के उपलक्ष मे,
चार्टर्ड एकाउन्टंट
FRN 112723W

सुमेर सिंह
पार्टनर
M. No. 406944

स्थान : अमदाबाद
दिनांक : 04-12-2012

શિક્ષણનો અધિકાર

સર્વ શિક્ષા અભિયાન
સૌ ભણે, સૌ આગળ વધે

गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद
सर्व शिक्षा अभियान
सेक्टर -17, गांधीनगर, गुजरात
टोल फ्री नंबर - 1800-233-7965

Specifications of Annual Report-2011-12 : 128 inner pages, 80-gsm maplitho paper with 4-color printing bilt a-grade paper and 4 title pages, 210-gsm bilt art card c2s with 4-color printing 2-pages